सम्पादकीय

दिल्ली की दमघोंटू हवा और प्रदूषण पर सख्ती का नहीं दिख रहा असर, ग्रैप-4 के नियम लागू होने का भी फायदा नहीं?

पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की हवा कैसी है, यह जगजाहिर है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यहां प्रतिबंधों के स्तर को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत पड़ रही है। इसके बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। हवा में घुले धुएं और धुंध की वजह से लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रहीं हैं, सेहत के सामने कई तरह की मुश्किलें गहरा रही हैं। इस मसले पर शीर्ष अदालत तक को सख्ती बरतने का आदेश जारी करना पड़ा है और उसने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लागू किए गए उपायों की निगरानी करने की भी जरूरत बताई है। लगातार बढ़ती मुश्किलों के मद्देनजर इस उम्मीद में दिल्ली में ग्रैप-4 के नियम लागू किए जा चुके हैं कि प्रदूषण से उपजी स्थिति में कुछ सुधार होगा। मगर सरकार की ओर से तमाम उपायों को सख्ती से लागू करने के दावे के बरक्स हकीकत यह है कि राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ से ऊपर दर्ज किया गया। गौरतलब है कि ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों के सीमित प्रवेश को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं, उनके सख्ती से पालन को लेकर कई सवाल उठे हैं। वाहनों के दिल्ली में दाखिल होने की जगहों पर सख्त निगरानी लागू करने पर जोर देने से लेकर कृत्रिम बारिश कराने तक पर विचार किया जा रहा है। मगर इस क्रम में नियमों के असर और उनके विरोधाभास को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति बन रही है। प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पहले ही दिल्ली में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के लिए क्रमशः पंद्रह और दस वर्ष की सीमा तय की गई है। मगर फिलहाल बाहर से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को जिस तरह प्रतिबंधित किया गया है, उसमें इससे कम अवधि वाले वाहन भी प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में आवाजाही के लिए सार्वजनिक परिवहन की हालत यह है कि बसों से गंतव्य तक सही समय पर पहुंचना संभव नहीं रह गया है। वहीं मेट्रो भी अब समय और जरूरत के तकाजे के बोझ से दब रही है।

सवाल है कि इस वर्ष फिर ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण की वजह से उपजी समस्या के गहराते जाने के बाद दिल्ली सरकार ने जो शुरुआती उपाय किए, उससे राहत क्यों नहीं मिली! अब ग्रैप-4 के भी नियम लागू किए जाने के बावजूद राजधानी की हालत ऐसी क्यों बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्कूलों के संचालन और अन्य स्तर पर नियंत्रण को लागू करने की हिदायत देनी पड़ी है।

प्रदूषण का जो स्तर बना हुआ है, उस पर काबू पाने के लिए हर उचित उपाय किए जाने चाहिए। इससे किसी को असहमति नहीं होगी। मगर क्या इस क्रम में ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि उन उपायों से आम लोगों को राहत मिलने के बजाय उनकी परेशानियों में इजाफा ही हो जाए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की दशा जिस पैमाने तक पहुंच गई है, उसमें बाहर से आने वाले वाहनों के यहां सीमित प्रवेश को लेकर लागू नियम का अपना महत्त्व हो सकता है।

धन्यवाद दिवस पर विशेष

कृतज्ञता-संस्कृति से संवरती है जिन्दगी

हर व्यक्ति जितना अपने दुःखों से पीड़ित नहीं है, उससे ज्यादा वह दूसरों के सुखों से पीड़ित है। इसीलिये वह दुखी होता जारहा है। उसकी संकीर्ण मानसिकता एवं छोटी सोच का ही परिणाम है कि वह दुखों का सृजन करता है। इसके बावजूद वह सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ या फिर दुनिया के सारे दर्द मेरे लिए ही क्यों बने हैं, जबकि अगर सोचा जाए तो महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपके पास पीड़ाएं कितनी हैं, जरूरी यह होता है कि आप उस दर्द के साथ किस तरह खुश रह जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी बचा है, उसे गले लगाएं बजाए कि खोए हुए का गम मनाने के।

ललित गर्ग

हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को अमेरिका समेत कई देशों में थैंक्सगिविंग डे यानी धन्यवाद दिवस, कृतज्ञता दिवस मनाया जाता है। थैंक्सगिविंग आधिकारिक तौर पर छुट्टियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है, जिसे जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, जापान और अन्य देशों में भी मनाया जाता है। अमेरिका में इस दिन को क्रिसमस की ही तरह धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे का शुक्रिया अदा करते हुए आने वाले साल के लिए सुखद, स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल होने की दुआ करते हैं। यह दिन उत्तरी अमेरिका का एक पारंपरिक त्योहार है, जो एक तरह का फसल पर्व है। अधिकांश धर्मों में फसल कटने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना और विशेष धन्यवाद समारोह आम बात है। इस दिन को मनाने का मकसद किसी अपने या अनजान व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी तरह की मदद या सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करना है। इस दिन आप खास अंदाज में उन्हें शुक्रिया कह सकते हैं। आमतौर पर लोग इस दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए अपने घरों में पारंपरिक भोजन का एक साथ आनंद लेते हैं। थैंक्सगिविंग डे को मनाने की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा साल 1939 में की गई थी, जिसे बाद में साल 1941 में अमेरिकी कांग्रेस ने मान्यता दी थी।

कृतज्ञता जरूरी है। सभी धर्मों में कृतज्ञता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कृतज्ञता धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती है। सिखों से लेकर बुद्ध तक और अन्य कई दार्शनिक व आध्यात्मिक शिक्षकों ने भी कृतज्ञता को भरपूर बांटा है और उससे प्राप्त खुशी को उत्सव की तरह मनाया है। दुनिया के सभी बड़े धर्म हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध मानते हैं कि किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना एक भावनात्मक व्यवहार है और अंत में इसका अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। बड़े-बड़े पादरी और पंडितों ने इस विषय को लेकर बहुत-सा ज्ञान बांटा है, लेकिन आज तक इन विद्वानों ने इसे विज्ञान का रूप नहीं दिया है। जबकि कृतज्ञता, धन्यवाद एवं शुक्रिया का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। परोपकार एवं उपकार के प्रति आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करना मानवीय मूल्य है। भले ही कृतज्ञता के पास शब्द नहीं होते, किन्तु साथ ही कृतज्ञता इतनी कृतघ्न भी नहीं होती कि बिना कुछ कहे ही रहा जाए। यदि कुछ भी न कहा जाए तो शायद हर भाव अव्यक्त ही रह जाए, इसीलिए 'आभार' मात्र औपचारिकता होते हुए भी कहीं गहराई में एक प्रयास भी है अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का, अपने को सुखी और प्रसन्न बनाने का। किसी के लिए कुछ करके जो संतोष मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर वह कड़कती ठंड में किसी गरीब को एक प्याली चाय देना ही क्यों न हो और उसके मन में 'जो मिला बहुत मिला-शुक्रिया' के भाव हों तो जिंदगी बड़े सुकून से जी जा सकती है, काटनी नहीं पड़ती। अमेरिकी लोग दुनियाभर में कई रोजमर्रा की स्थितियों में 'धन्यवाद' कहने के लिए जाने जाते हैं । हालांकि इनमें से कुछ 'धन्यवाद' निस्संदेह दिल से कहे जाते हैं, लेकिन कई नियमित भी होते हैं और बिना किसी भावना के कहे जाते हैं। यह देखते हुए कि अमेरिकी कितनी बार 'धन्यवाद' कहते हैं, यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि दुनिया भर की कई अन्य संस्कृतियों में, लोग शायद ही कभी 'धन्यवाद' कहते हैं। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता को बहुत बड़ा गुण माना जाता है। भारतीय संस्कृति में बड़ों और गुरुओं का सम्मान करने पर जोर दिया जाता है। महाभारत में कहा गया है कि उपकार को न याद रखने वाले कृतघ्न व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। कृतज्ञता की भावना को बढ़ाने के लिए, खुशी को अपनाना चाहिए क्योंकि खुशी और कृतज्ञता एक-दूसरे को बढ़ाते और मज़बूत करते हैं। कृतज्ञता की भावना को बढ़ाने के लिए ध्यान, सकारात्मक चिंतन और कृतज्ञता के अभ्यास को अपनाने की बात कही गयी है। इस भावना को बढ़ाने के लिए रिश्तों, अनुभवों और जुड़ाव के क्षणों को महत्व देना चाहिए। कृतज्ञता की भावना को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यों, विचारों एवं व्यवहारों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है, इस बात को समझने की अपेक्षा है।

जब हमारी दिशाएं सकारात्मक होती हैं जो हम सृजनात्मक रच ही लेते हैं। हमें कृतज्ञ तो होना ही होगा, क्योंकि इसके बिना छोटी-छोटी तकलीफे भी पहाड़ जितनी बड़ी बन जाती है। एक जिंदगी जीता है, दूसरा उसे ढोता है। एक दुःख में भी सुख ढूंढ लाता है, दूसरा प्राप्त सुख को भी दुःख मान बैठता है। एक अतीत भविष्य से बंधकर भी वर्तमान को निर्माण की बुनियाद बनाता है, तो दूसरा अतीत और भविष्य में खोया रहकर वर्तमान को भी गंवा देता है। इसी सोच ने पश्चिमी देशों में धन्यवाद दिवस को बड़ी व्यापकता दी है। महान् दार्शनिक संत आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा भी है कि यह बड़ी विचित्र बात है कि सदूपन आदमी प्रयत्न करने पर भी जल्दी नहीं सीख पाता और दुर्गुण बिना किसी प्रयत्न के ही सीख लेता है, वैसे ही अच्छे बोल और मुदुभाषिता आदमी प्रयास करने पर भी जल्दी से नहीं सीख पाता और गाली तथा अपशब्द बिना प्रयास के ही सीख लेता है। इस प्रवृत्ति को बदलकर ही सुख पाने के प्रयत्न सफल हो सकते हैं। सोच को बदलना होगा, जिस संकीर्ण एवं विकृत सोच के साथ रहने से मन और भावों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, वृत्तियां कलुषित और उच्छृंखल हो रही हों, जीवनशैली में विकृति आ रही हो, उनका साथ छोड़ देना ही हितकर है। वाल्मीकि ने रामायण में भी इस बात का उल्लेख किया है कि परमात्मा ने जो कुछ तुमको दिया है, उसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। हालांकि इसका विज्ञान बस इस छोटे से वाक्य में समाहित है कि जितना आप देंगे, उससे कहीं अधिक यह आपके पास लौटकर आएगा, लेकिन इसे समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। 'कितना दें और क्यों' इस बात में बिल क्लिंटन ने देने का गणित बेहतर ढंग से समझाया है। औरों में दोष देखने की छिद्रान्वेषी मनोवृत्ति कृतज्ञता-संस्कृति की बड़ी बाधा है। लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कौन, कहां, किसने, कैसी गलती की। औरों को जल्द बताने की बेताबी उनमें देखी गई है, क्योंकि उनका अपना मानना है कि इस पहल में भरोसेमंद इंसान की पहचान यूं ही बनती है। यह भ्रामक सोच अनेक समस्याओं की जनक है। वास्तविकता यही है कि सुख प्राप्ति के लिए आदमी दुख के उत्पादन का कारखाना चला रहा है। अपने भिन्न दृष्टिकोण के कारण वह दुख को जेनरेट कर रहा है। सुख को पाने की चाह है तो दृष्टिकोण को सम्यक बनाकर सुख प्राप्ति के अनुरूप कार्य करना होगा। हमारे पास दो रास्ते हैं या तो हम दीप हो जाएं, जो उसे दुगुना कर देता है, लेकिन इसके लिये कुछ सार्थक करना होता। धन से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से प्रेरित होकर। क्योंकि बड़े-बड़े धन के अम्बार और महंगे साज-ओ-सामान के बजाय सार्थक संकल्प एवं कृतज्ञता का भाव जीवन को अधिक सुख देते हैं, प्रसन्न बनाते हैं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आज कई विशिष्ट ग्रहयोग बने हुए बनेंगे। कब आप रात सकता पाते है कि अपने जीवन के ऐसे पहलुओं को रे, जहां आपको जिंदगी कुछ देनेवाले और कुछ लेनेवाले, आपको किस बात में लाभ्रान्त रहना चाहिए तथा न किसी हमारे शत्रुओं और जीत हारों को सुलझाने वाला सहायतमक ऊर्जा को सफलता दायक, विशिष्ट परामर्शदाता संकेतों में भी, जहां रात सहायतमक नहीं लगाए और बाधाएं में लाभ प्रदान करेगा

मेष

जीवनसाथी के साथ अच्छा मेल-जोल रहेगा। आज आपकी वाणी और व्यवहार पर अंकुश रखना पड़ेगा। किसी की हंसी उड़ाने से आप परेशान होंगे। गलतफहमी पैदा हो सकती है। मनोरंजन और मौज-शौक के पीछे खर्च हो सकता है।

वृष

ईपोर्ट-एक्सपोर्ट के व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह समय आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आपको कलात्मकता और सृजनात्मकता बहुत अच्छी रहेगी। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे।

मिथुन

स्वादिष्ट भोजन मिलने से मन खुश रहेगा। धन लाभ हो सकता है। बिजनेस में फायदे के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा। पारिवारिक और संतान सम्बंधी चिंता दूर होगी। संतोष और खुशी मिलेगी।

कर्क

खर्च होने का योग है। भोजन में अनियमितता रहने से आप परेशान रहेंगे। अनिद्रा भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। आज आप शारीरिक मानसिक रूप से अव्यस्थ रह सकते हैं। भाइयों के साथ सम्बंध मजबूत बनेंगे। व्यापार में थोड़ा व्यस्त रहेंगे।

सिंह

आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव नहीं करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संघर्ष हो सकता है। आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने जैसी परिस्थिति निर्मित होने की संभावना है। पानी वाली जगहों से आप दूर रहें।

कन्या

अपने मन के अनुसार काम कर सकेंगे। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। विरोधियों को परास्त कर सकेंगे। प्रियजनों के साथ आत्मीयता बढ़ेगी। आर्थिक लाभ भी हो सकता है। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है।

तुला

परिजनों के पीछे खर्च भी हो सकता है। विवाह योग्य जातकों के विवाह के संयोग बन सकते हैं। नौकरी में आय बढ़ सकती है। घर में मंगल प्रसंग का आयोजन होगा। स्नेहीजनों से मिलकर खुशी अनुभव होगा। आपको रुचिकर भोजन मिलेगा।

वृश्चिक

व्यावहारिक उग्रता के कारण बड़ा विवाद हो सकता है। परिजनों के साथ मतभेद होने की आशंका भी है। पारिवारिक जीवन में सुख- शांति बनी रहेगी। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात बहुत यादगार साबित होगी। मित्रों के साथ घूमने जा सकेंगे।

धनु

आपको उलझन का अनुभव होगा। मन में नकारात्मक भाव बने रहने से डर बना रहेगा। परिजनों के साथ मतभेद या विवाद हो सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेंगे। किसी से अधिक विवाद या चर्चा में न पड़ें।

मकर

आज भाग्य आपके साथ है, इसलिए आज आप समाज और लोगों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन संतुष्ट और सुखी रहेगा। आप मित्रों के साथ मौज-मस्ती और रोमांस का आनंद ले सकेंगे।

कुंभ

पार्टनर के साथ संवाद बना रहेगा। मनोरंजन और मौज मस्ती के पीछे खर्च हो सकता है। आज आप मौज-मस्ती और मनोरंजन के पीछे धन खर्च करेंगे। शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो सकेंगी।

मीन

स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्घटना होने की आशंका बनी रहेगी। मन के आवेग के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है। आज आप हर जगह चौकसे बने रहें। आज का दिन सभी तरह से लाभदायक है। आपके परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी। कुटुंब में परिजनों से अच्छे संबंध बनेंगे।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम की स्टार हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर श्रुति भारद्वाज। 4 अगस्त सन 1966 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ। एमए तक शिक्षा लेकर सिविल सर्विसेज में आना स्वीकार किया और राजस्थान में विभिन्न बड़े पदों पर रहकर सरकार की कल्याण कारी योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने का अनुपम प्रयास किया है। इस पद से पहले ये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीग रही हैं। उससे पूर्व जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना। निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर। राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एसएमएसए राजस्थान शिक्षा परिषद एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा जयपुर। संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त आयुक्त भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। अतिरिक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर। निदेशक, सम्पदा कम.संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर। मुख्य सम्पदा अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर। मुख्य संपदा अधिकारी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर। सलाहकार इन्म रीको, जयपुर। जिला रसद अधिकारी, जयपुर। कार्यकारी निदेशक एडीएमएन आरएसआरटीसी, जयपुर। आयुक्त मुख्यालय नगर निगम, जयपुर। एडीएम एलसी जयपुर-द्वितीय। उपायुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंच विभाग, जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी, जयपुर। संपदा अधिकारी, जीएडी, जयपुर। उपखण्ड अधिकारी, जयपुर। प्रबंधक, रवीन्द्र मंच जयपुर। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जयपुर। सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अलवर जैसे पदों पर रही हैं। बहुत

श्रुति भारद्वाज
(भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी)

सुलझी हुई अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। अपने अधिनस्थ कर्मचारी व अधिकारियों से बेहतरीन तालमेल और अपने उच्चाधिकारियों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण इनका व्यक्तित्व एक अलग सी पहचान बनाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्वल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

कदम-कदम पर बिकते अधिकारी

कंटेंट का शीर्षक उन अफसरों के लिए नहीं जो सच मे कदम-कदम पर बिकते हैं, बल्कि उन अधिकारियों के लिए है जो कब बिक जाते हैं उन्हें खुद पता नही चलता। खासकर पुलिस में,क्योकि आवाम का सीधा संबंध आज पुलिस से ही है (डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग) बिरले छोड़कर सब बिकते सब हैं यहां, क्या आईपीएस क्या आईएएस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की कार्रवाही में हम देखते हैं उन्हे शर्मिंदा खड़े हुए। नमन उन्हें हे जिनका जमीर जिन्दा है,आज के इस दौर में भी। समझने का प्रयास करें, में वैसे बिकने की बात नहीं कर रहा हूं,जहां माल सीधे इन तक पहुँच जाता है, उसमे तो इन्हें संतुष्टि हो जाती है पर अधिकतर इन्हें कुछ अलग अंदाज में बेच दिया जाता है। जहां इन्हें खुद को पता नही चलता। मसलन कोई भी मामला हो समाज मे हर प्रकार के ठेकेदार हैं। पीड़ित (इन्हें भी चढ़ावा देना पड़ता है ये भारत वर्ष हैं)को और आरोपी के परिजन को साथ लेकर जाते हैं, उनके सामने बैठकर अच्छी-अच्छी बातें करते हैं समाज सुधार की बाते करते हैं और चाय खत्म होने के बाद उन्हें बाहर भेज देते हैं, पता नही फिर कुछ कहते हैं या नहीं पर बाहर आकर कहते हैं कि कर आया मामला सैटो। काम नहीं हुआ तो अफसर ने सामने वाले से ले लिया ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं और हो जाने पर उसे देना है ये कह कर सामने वाले से ले लेते हैं। अफसर को पता ही नही चलता कि वा कब बिक गया। इसलिए हमारे इस कंटेंट को पढ़ने के बाद कैसे भी नहीं बिकने वाले अधिकारियों को समझना होगा कि ये ध्यान रखें कि कहीं उन्हें कोई बेच ना दे।

रूपक शर्मा
बढ़ता राजस्थान

विशेष आलेख

पूजा स्थलों के लिए झगड़े : धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए मारकाट कब थमेगी?

भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है। संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की ओर से जामा मस्जिद को लेकर याद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि समेत 8 वादी हैं। वादियों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद समिति को विवाद में पार्टी बनाया है। वादिका में कहा गया- ए.मस्जिद मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदले दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहीं कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पर जोर दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर रुख जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही को कानून की अवहेलना बताया है।

याचिकाकर्ताओं के दावे के बारे में कानून क्या कहता है? याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद स्थल पर अपना दोवा स्थापित करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुकदमों में, प्रारंभिक दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्टया) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालांकि,

संभल में दायर याचिका वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए दायर याचिकाओं की तरह ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून-पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को कैसे समझा जाता है। संभल की ज़िला अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है। इस आदेश के कारण स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों और विरासत पर हमला माना। जब सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रिपोर्ट बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों को चोटें आईं और मौतें हुईं। भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है। संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की ओर से जामा मस्जिद को लेकर याद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि समेत 8 वादी हैं। वादियों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद समिति को विवाद में पार्टी बनाया है। वाविका में कहा गया- ए.मस्जिद मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदले दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहीं कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पर जोर दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर रुख जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही को कानून की अवहेलना बताया है।

याचिकाकर्ताओं के दावे के बारे में कानून क्या कहता है? याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद स्थल पर अपना दोवा स्थापित करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुकदमों में, प्रारंभिक दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्टया) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालांकि, कोई भी दावा जो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, उसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है? अधिनियम पूजा स्थलों के किसी भी रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। विशेष रूप से, धारा 3 किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में रूपांतरण पर रोक लगाती है। धारा 4 में कहा गया है कि उस तिथि को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन के सम्बंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त (समाप्त) कर दी जाती है, जिससे ऐसे रूपांतरणों के सम्बंध में नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते। उल्लेखनीय रूप से, यह अधिनियम अपने अधिनियमन के समय पहले से ही विचाराधीन विवादों पर लागू नहीं होता है, जैसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला, जिसने समकालीन विवादों में इसके आवेदन की जटिल बना दिया है।

न्यायालयों ने इन टाइटल मुकदमों को कैसे अनुमति दी है? पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, अदालतों ने ज्ञानवापी और मथुरा जैसे स्थानों से सम्बंधित टाइटल मुकदमों को बनाए रखने योग्य करार देकर अनुमति दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने संकेत दिया कि अधिनियम के तहत किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति को बदलना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके ऐतिहासिक चरित्र की जांच अभी भी अनुमेय हो सकती है। इस व्याख्या ने ज़िला न्यायालयों को अधिनियम की मंशा को सीधे उल्लंघन किए बिना ऐसी याचिकाओं पर विचार करने का आधार प्रदान किया है। संभल के मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने से पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या दीवानी मुकदमा विचारणीय है। इस फैसलों निर्णय (दोनों पक्षों को सुने बिना) ने इसकी वैधता और निष्पक्षता के बारे में और विवाद पैदा कर दिए हैं। न्यायालयों को 1991 के अधिनियम की मंशा को बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक के स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले विवादों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, हिंसक झड़पों के जोखिम को कम करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हवामहल रोड खरडला,निवाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* | प्रधान संपादक-राव विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन न.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-बार्यावास निवाई, रोक फोन न.01

चिंतन

संघर्ष विराम से पश्चिम एशिया में 'शांति' संभव

लेबनान के चरमपंथी गुट हिज्बुल्लाह के साथ जारी संघर्ष को विराम देने के समझौते पर इजराइल का सहमत होना संकेत है कि पश्चिम एशिया में शांति की राह खुल सकती है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में आधिपत्य वाले आतंकी गुट हमास के हमले के बाद इजराइल की जवाबी प्रतिक्रिया में शुरू जंग को लेकर इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की आतंकी गुटों के खिलाफ आक्रामकता को देखते हुए उम्मीद नहीं थी कि इजराइल किसी संघर्ष विराम पर पहुंचेगा। अमेरिकी मध्यस्थता व फ्रांस की अहम भूमिका के बाद इजराइल व हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ है, जिससे दोनों के बीच लगभग 13 महीने की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। यह संघर्ष विराम सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमास के हमले से उत्पन्न क्षेत्रव्यापी अशांति को समाप्त करने की दिशा में पहला बड़ा कदम होगा, लेकिन इसका गाजा में विनाशकारी संघर्ष से संबंध नहीं है, जहां हमास अब भी कई लोगों को बंदी बनाए हुए है। अमेरिका ने इसका स्वागत किया है। इजराइली पीएम नेतन्याहू का मानना है कि इस संघर्ष विराम से हमास अलग-थलग पड़ जाएगा, जिसके बाद इजराइल ईरान पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। हालांकि अमेरिका लगभग एक वर्ष से अधिक समय से पीएम नेतन्याहू को मनाने की कोशिश कर रहा था कि इजराइल संघर्ष रोक दे। पिछले महीनों जब संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपना संबोधन दे रहे थे, तब आतंकवादी गुटों के खात्मे को लेकर उनकी आक्रामकता व प्रतिबद्धता साफ दिख रही थी। इजराइल ईरान समर्थित तीन आतंकी गुटों हमास, हिज्बुल्लाह व हूती की जंगी गतिविधियों से लंबे अर्से से परेशान रहा है, इसलिए जब हमास ने इजराइल के बेकसूर नागरिकों को निशाना बना कर हमला किया तो इजराइली पीएम ने आतंकी गुटों के सफाये का आक्रामक अभियान चलाया। हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर उसकी कमर तोड़ी। इजराइली हमले में हिज्बुल्लाह के सभी शीर्ष कमांडर मारे गए। इसके बाद ईरान भी कूदा और इजराइल के साथ उसके संबंध भी तल्ख हुए। ईरान के सक्रिय होने के बाद आशंका जताई जाने लगी कि पश्चिम एशिया में इजराइल व ईरान के बीच जंग शुरू हो जाएगी। इससे पश्चिम एशिया व अरब क्षेत्र की स्थिति बिगड़ने के हालात पैदा हो सकते थे, लेकिन अमेरिका के प्रयास से इजराइल व हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष विराम से जहां पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की संभावना टल गई है, वहीं दूसरे युद्ध के खतरे होने के आसार भी बढ़ गए हैं। भारत ने इजराइल और लेबनान के हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि इन घटनाक्रमों से प्रभावित क्षेत्र में 'शांति और स्थिरता' आएगी। इजराइल के जंग में शामिल होने के दरम्यान भारत ने हमेशा तनाव कम करने, संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया में तनाव के लंबा चलने से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। हिज्बुल्लाह के कमजोर होने के बाद लेबनान सरकार के लिए भी अपने देश के सभी क्षेत्रों को आधिपत्य में लेने का यह एक मौका होगा। यह समझौता लगभग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 जैसा है, जिससे 2006 में इजराइल और हिज्बुल्लाह के बीच युद्ध का अंत हुआ था। प्रस्ताव 1701 में था कि लिटानी नदी के दक्षिणी इलाके में लेबनानी सैनिकों और यूएन के शांति सैनिकों के अलावा कोई और दूसरा हथियारबंद समूह नहीं रह सकता है।

दो टूक
पंकज झा

कांग्रेस चाहे तो रोक सकती है ईवीएम

> मात्र ढाई वर्ष के लिए मुख्यमंत्री चुने गए भूपेश बघेल भी 'कांग्रेस जनित' काम पर जुट गए थे, ईवीएम की भर्त्सना करते हुए। एक बार तो नए मुख्यमंत्री ने यह हास्यास्पद बयान तक दे दिया था कि जान-बूझ कर तीनों राज्यों में कांग्रेस को जिता दिया गया है, ताकि आगे ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सके। कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने की जगह अपनी हठधर्मिता पर कायम रही थी। ईवीएम का विरोध करना उसका एजेंडा जैसा हो गया था। आज भी जब झारखंड में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला है, तब भी वह अपने ईवीएम विरोधी रुख पर कायम ही है। वास्तव में अगर कांग्रेस मतपत्रों से चुनाव कराने की पक्षधर होती, तो देशभर में यह करा लेना उसके 'बाएं हाथ' का खेल होता।

दिनांक 3 दिसंबर 2018 की वो बड़ी ही सर्द शाम थी। कांग्रेस के लिए शायद अब ऐसी खुशनुमा गरमाहट लिए ऐसी शाम आना संभव नहीं दिखता। भारत के तीन बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव परिणाम आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उसे लगभग आधे भारत का जनादेश मिल गया था। कोरोना की तीसरी लहर की तरह उसे आप कांग्रेस की अंतिम लहर कह सकते हैं, जब तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का सफाया जैसा ही हो गया था। लगातार 15 वर्ष से चली आ रही भाजपा की सत्ता राजस्थान और अहम भूमिका वाले मध्यप्रदेश से भी समाप्त हो गई थी। परिणाम स्वयं कांग्रेस के लिए भी अप्रत्याशित ही था। विशेषकर तब जब छह महीने बाद ही लोकसभा का भी चुनाव होना हो, तब भाजपा के लिए वह परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी कितना निराशाजनक रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

भाजपा ने हमेशा की तरह जनादेश को स्वीकार किया। कोई बहानेबाजी नहीं। किसी तरह का कोई भी ईवीएम दोष नहीं। कहा कि कमियां रही होंगी। उसे दूर करने की पूरी कोशिश होगी। अत्यधिक विनम्रता से उसे स्वीकार कर अगले दिन से ही काम पर लग गई भाजपा। खूब बारिश हुई थी अगले दिन। जाड़े की बारिश हाड़ कंपकंपा रही थी, उधर पार्टी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया था। तीन-चार दिन बाद ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में मत देने के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन शुरू कर दिया था। उससे संबंधित प्रेस वार्ता लेने पहुंचे कार्यवाहक हो चुके मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को इस पंक्ति के लेखक ने कहा भी कि जीती हुई पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री भी नहीं चुन सकी है और आप विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका में सक्रिय हो गए। हमेशा की तरह मुस्कान के साथ वे भी जुट गए थे और भाजपा भी। आगे की कहानी इतनी पुरानी भी नहीं है कि उसे दुहराया जाय। पांच वर्ष लड़ी भाजपा। तीनों राज्यों में फिर से जनादेश मिला। विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला।

बहरहाल। इसके ठीक बाद की सौदेबाजी के बाद मात्र ढाई वर्ष के लिए मुख्यमंत्री चुने गए भूपेश बघेल भी 'कांग्रेस जनित' काम पर जुट गए थे, ईवीएम की भर्त्सना करते हुए। एक बार तो नए मुख्यमंत्री ने यह हास्यास्पद बयान तक दे दिया था कि जान-बूझ कर तीनों राज्यों में कांग्रेस को जिता दिया गया है, ताकि आगे ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सके। कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने की जगह अपनी हठधर्मिता पर कायम रही थी। ईवीएम का विरोध करना उसका एजेंडा जैसा हो गया था।

आज भी जब झारखंड में एक जूनियर दल के रूप में ही सही, कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला है, तब भी वह अपने गठबंधन के साथ अपने ईवीएम विरोधी रुख पर कायम ही है। वास्तव में अगर कांग्रेस मतपत्रों से चुनाव कराने की पक्षधर होती, तो देशभर में यह करा लेना उसके 'बाएं हाथ' का खेल होता।

वह 2018 के परिणाम को एक अवसर के रूप में उपयोग कर सकती थी। उसे करना बस यह होता कि वह एक स्टैंड लेती और कहती कि वर्तमान में उसके 'इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन' पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह तीनों जगह सरकार नहीं बनाएगी, उसके सभी नए विधायक

इस्तीफा देंगे। भले यह बात पहली नजर में अतिरेक भरा लग सकता हो लेकिन ऐसा अन्य संदर्भ में कांग्रेस एक बार कर चुकी है। सन 2004 में कांग्रेस की केंद्र में जनादेश मिला था, उस समय 'विदेशी बहू' का विषय चल रहा था। विपक्ष तो विदेशी भूमि पर पैदा हुई नेत्री का प्रधानमंत्री बनने को लेकर विरोध कर ही रहा था, यहां तक कि इसी विषय पर कांग्रेस में भी दो-फाड़ हो चुकी थी। शरद पवार, तारिक अनवर समेत अनेक नेता कांग्रेस का विभाजन कर अपनी नयी पार्टी भी बना चुके थे। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर एक तीर से कई निशाने साध लिए थे।

विदेशी बहू का मुद्दा तो समाप्त हुआ ही, एक सिख मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर वे कांग्रेस पर चिपके सिख नरसंहार के दाग को भी तनिक ही सही, हल्का करने में सफल हुई थी। भले वह दांव केवल रणनीतिक रहा हो और एनएसी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी अगले दस सालों तक 'सुपर पीएम' बनी रहीं, लेकिन काम तो कर ही गया था उनका वह कदम। जिसने भी ऐसी तब कांग्रेस नेतृत्व को यह सलाह दी होगी, उनके राजनीतिक समझ की दाद देनी होगी। लेकिन आज अयोग्य और संदिग्ध कम्युनिस्ट सलाहकारों से घिरी कांग्रेस ऐसे किसी कदम की सोच भी नहीं सकती। अगर कांग्रेस में तबकी तरह ही रत्ती भर भी समझ रखने वाला कोई होता, तो तीन राज्यों में जीतने के बाद सरकार बनाने से इनकार करने मात्र से कांग्रेस ईवीएम के विरुद्ध एक नैतिक शक्ति पैदा कर लेती। वह इस मुद्दे को जिस तरह आज मजाक बना दिया गया है, उससे मुक्ति पाती। लेकिन येन-केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने को अपना मकसद बना चुकी आज की कांग्रेस से ऐसी कोई उम्मीद करना ही बेमानी है। उसके लिए ईवीएम या ऐसे तमाम विरोध महज अराजकता पैदा करने का एक उपकरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह जानते हुए भी कि तेजी से विकसित हो रहे इस ग्लोबल तकनीकी युग में समय के पहिए को पीछे घुमाना न संभव है और न ही उचित, पर वह अपने ही विचारधारा से विलग होकर हर उस काम को करने के लिए विवश है, जिसका कभी वह वकालत करती थी। आप सर पीट लेंगे, तर्क पर तर्क देते जायेंगे लेकिन कांग्रेस के चेहरे पर हर बार विमर्श में भी पराजित होते हुए भी पार्टी के चेहरे पर आपको शिकन तक नहीं दिखेगी। वह बस लगी रहेगी, किसी छिपे एजेंडे के तहत काम करने के लिए। कांग्रेस के कुछ लोगों का तर्क है कि इन्हें चुनाव में कथित 'छोटे' राज्य दे दिये जाते हैं, जबकि बड़े राज्यों में इन्हें हरा दिया जाता है। गोया झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों में जहां पिछले पांच-छह वर्ष में इन्हें जीत मिली, वे सभी राज्य इनकी नजर में महत्वहीन हो। लगभग 45 बार विभिन्न न्यायालयों में ईवीएम की प्रामाणिकता के विरुद्ध दायर वाद को रद कर चुका है। दर्जनों बार चुनाव आयोग भी इन्हें मशीन को हैक करने का अवसर दे चुकी है लेकिन हर बार इनके दावे खोखले साबित हुए हैं। बावजूद इसके फिर नए सिरे से लोकतंत्र को बदनाम करने में जुट जाना, इनकी विश्वसनीयता को बुरी तरह संदिग्ध बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्हें गर्त में जा रही अपनी साख का अनुमान नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन ये जानते हैं कि इनके पास अब कोई भी विषय ऐसे रह नहीं गए हैं, जिस पर इन्हें जनसमर्थन मिले। ऐसे में लगभग हर मोर्चे पर पस्त-परास्त कांग्रेस देश को अस्थिर करने में लगी शक्तियों से 'हाथ' मिलाने समेत विभाजनकारी राजनीति में लगी रहती है। अगर आज भी ये सच्चे अर्थों में ईवीएम के विरुद्ध है, इनका इसके विरोध के पीछे कोई ऊपर वर्णित अन्य ध्येय नहीं है, तो आज भी ईवीएम के द्वारा बनी अपनी सरकारों का इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए।

(लेखक राजनीतिक समीक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विशेष दिवस
डॉ. परदेशीराम वर्मा

अनुपम है छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति

संस्कृति और साहित्य के लिए सरकारों के मुखिया सदैव अपनी रुचि, जानकारी और क्षमता के हिसाब से प्रतिफल दे पाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और पं. अटलबिहारी वाजपेयी संस्कृति और भाषा के गहरे जानकार और शब्द शिल्पी थे. इसलिए अपने समय पर इन क्षेत्रों में उनकी पहल की नहरों और ऐतिहासिक लाभ के इतिहास को हम तब प्रसंग की दृष्टि से देखते समझते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य मंत्री अजीत जोगी एक विज्ञान व्यक्ति थे। उन्हें यद्यपि इन क्षेत्रों में कुछ बड़े विरोधों के लिए काम समय मिला फिर भी उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी का गठन किया। राज्य पुरस्कार शुरू हुआ तो किशोर कुमार शुक्ल जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक को पंडित सुन्दरलाल शर्मा फिर पं. रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला। ये दोनों राज्य के लोक सम्मान हैं।

सबसे अधिक काम करने का अवसर डॉ. रमनसिंह को मिला। इस अवसर का उन्होंने भरपूर रचनात्मक उपयोग किया। डॉ. रमनसिंह वैचारिक अग्रहनति को दरकिनार कर योग्य व्यक्तियों को चुनने के अपने कौशल के लिए परिचित हैं। उन्होंने 2007 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ही नहीं बनाया बल्कि अध्यक्ष और सचिव के रूप में अपने समय के श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चुनाव किया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लोकप्रिय कवि डॉ. सुरेन्द्र दुबे को उन्होंने महत्ता देकर राजभाषा आयोग का सचिव बनाया। डॉ. सुरेन्द्र दुबे के कार्यकाल में साहित्यकारों स्वामीलाल चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुत लोकप्रिय गीतकार और दिलजान कवि दाऊरेवाराम शर्मा तथा भाषविद् डॉ. विनय पाठक इस आयोग के अध्यक्ष बने।

वे लोग अपने समय के बहुत श्रेष्ठ भाषविद और दिलजान रचनाकार रहे। इन्हें चुनाकर सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा के रचनाकारों को बड़ा आकाश दिया। इनके कार्यकाल में बड़े काम हुए। लगातार वैचारिक समानता में छत्तीसगढ़ भर के लेखक एकजुट हुए। बीच में जोटी छत्तीसगढ़ी व्यक्तित्व अपूर्व बघेल को भी पांच वर्ष इतिहास रचने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरानी प्राथमिकताएँ तय कर ली। राजनीति के समर में जिरह बख्तर पहनकर समर में उतरने वाले वीरों को प्रायः साहित्य और कला के क्षेत्र की सुधि लेने की फुरसत नहीं मिलती। भूपेश बघेल की पहचान जनमनी समझ वाले छत्तीसगढ़ी भाषा के पैरोकार की रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश अकुलाए रहा कि उनके समय में व्यवस्थित छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी दोनों विलोपित हो गए। राजभाषा आयोग को उन्होंने बिना अध्यक्ष के चलाया। हिन्दी ग्रंथ अकादमी में आज भी सन्नाटा है। ग्रंथ अकादमी में रमेश बेवर जैसे बड़े पत्रकार निदेशक रहे। शासकीय कामों में बहुत महत्वपूर्ण काम कर इने भरा पूरा बनाया। नया भवन बना लेकिन अब सब कुछ सिमट सा गया है। हिन्दी और छत्तीसगढ़ी दोनों देश और प्रदेश की सम्मानित राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। लेकिन भाषाओं के नाम पर बने आयोग और अकादमी को पूर्व सरकार ने खड़ाऊं नहीं दिया। उन्होंने साहित्य अकादमी बनाकर मध्यप्रदेश को दो विभागों का आकार दिया। लेकिन छत्तीसगढ़िया उन्हें नहीं जंचा।

अब अधिकांशों बहुत छत्तीसगढ़ राज्य में एक सरल, लोकप्रिय लेख विष्णुदेव साय नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उनके आज लगभग स्वामनिक ही है। छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश का हिस्सा था तब मध्यप्रदेश अधिकारी लोकरंजन परिषद में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का रंग देखते ही बनता था। आज भी वहां छत्तीसगढ़ी नहनी, बरतनी, साड़ियों के जाल मूसल, बाहना, देंगी हम जाकर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी परंपराओं को ये सरकार किए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में अब मध्यप्रदेश की तरह आदिवासी लोकरंजन परिषद बनना जरूरी है। 24 वर्ष बीत गए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज है लेकिन वहां छत्तीसगढ़ लोक रंजन परिषद नहीं बना, यह दुःखद है। छत्तीसगढ़ उन्नति के चरम पर है। वह शीघ्र से प्रतीक्षा करता है। दो बार कांग्रेस को और चार बार भाजपा को छत्तीसगढ़ ने अवसर दिया है। राजनीति के साथ जिन सरकारों ने संस्कृति और साहित्य के मजबूती की महत्ता को समझा है वे सरकारें जनता में अधिक लोकप्रिय होती हैं। ऐसी सरकारों की स्वीकार्यता भी बढ़ती है।

पद्मविभूषण तीजन बाई और पद्मविभूषण हबीब साहब की कीर्ति विश्व भर में है। पंडवानी और छत्तीसगढ़ी नाचा के साथ देवदास बंजारे के द्वारा प्रस्तुत पंथी को भी ऊंचाई भर के काला प्रेमियों ने खूब सराहा। सुरज बाई खांडे के भरथरी गायन को उनके अलग्रहार आवाज और प्रभावी प्रस्तुति के कारण भरपूर यश मिला। ऐसे छत्तीसगढ़ में राजभाषा छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रमों को जो हमारा पांच वर्ष पूर्व थी वह लौटनी चाहिए। हम सब पुरानी पीढ़ी के लेखकों के ऋणी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में लिखा जिसे उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा में लेखन के लिए उन्हें केवल उत्साहन ही मिलता था। वे आजे तक के कारण दिंते रहें और हमारी पीढ़ी के लिए राह बनाकर चले गए। आज छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य में घन ए. करने की सुविधा है। छत्तीसगढ़ी के लेखकों पर संकट है। अनुपम है छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति। यह दिन हमारे ऋषितुल्य लेखकों के श्रम के कारण हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लेखक हाय-तौबा नहीं करते। अपना वाजिब हक भी नहीं मांगते। शांतिपूर्वक अपना लेखकीय काम करते हुए ओटे कोने में रहकर शेखी की पक्षधरता करते हुए जीते हैं।

वे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा के साथ अन्याय कर कोई भी सरकार यशस्वी और वीरांजली नहीं हो सकती। सरकारें भी अब इस अटल सच्चाई को जानती हैं। आशा है अब इकलिंग परिपूर्ण में बदलाव होगा। आशाएं पूरी होंगी।

(वे लेखक के अपने विचार हैं।)

हर मानव में शुभ व अशुभ इच्छाएं होती है

संकलित
दर्शन

शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश का अर्थ ही है कि जहां केवल उत्सव हो, केवल आनंद हो। श्रावण के महीने में संपूर्ण वातावरण उत्सव से भर जाता है। शिव-तत्व अपने चरम पर होता है, यह सहजता से उपलब्ध होता है। इसलिए यह मास भगवान शिव की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम मास है। हमारे प्राचीन ऋषि अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि हर मानव के भीतर इच्छाएं होती हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है कि शुभ इच्छाएं फलित हों। विवेक के उपयोग से मनुष्य यह निर्णय ले सकता है कि कौन-सी इच्छाएं उसके लिए लाभदायक हैं और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वह अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। उसे मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कारण विविध हो सकते हैं, कुछ अत्यंत सूक्ष्म, कुछ अधिक सूक्ष्म नहीं। ऋषियों ने इस समस्या पर विचार किया और एक अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने मानव कल्याण के लिए संकल्प और पूजा की प्रक्रिया तैयार की। पूजा आरंभ करने से पूर्व पूजा करने वाले यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। संकल्प वह विशिष्ट उद्देश्य है, जिसके लिए पूजा आयोजित की जा रही है। संकल्प का उच्चारण करने से पहले स्थान (देश) और समय (काल) को परिभाषित किया जाता है, जहां पूजा आयोजित की जा रही है।

ईमानदारी और आत्म सम्मान के साथ जीएं

संकलित
प्रेरणा

एक सेठ अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने गया। उसने मंडी में एक ऊंट पसंद किया और उसे खरीदकर अपने घर लेकर आ गया। सेठ ने ऊंट की पीठ से गादी हटाई तो वहां एक पोटली दिखाई दी। उस पोटली में देखा तो उसमें हीरे थे। सेठ समझ गया कि ये हीरे ऊंट के पुराने मालिक के हैं, जिससे ऊंट खरीदा है। पोटली में हीरे देखकर नौकर ने कहा कि हमें तो ऊंट के साथ हीरे भी मिल गए हैं। सेठ ने नौकर से कहा कि हमने तो सिर्फ ऊंट खरीदा है, हीरे नहीं, इसलिए ये पोटली ऊंट के व्यापारी को वापस देनी होगी। अगले दिन सेठ ऊंट बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंच गया और हीरों की थैली लौटा दी। ऊंट के व्यापारी ने कहा कि आप तो बहुत ईमानदार हैं। ये कीमती हीरे हैं, मैं रखकर भूल गया था। आपकी नीयत एकदम साफ है। अपनी ईमानदारी के लिए आप इसमें से एक हीरा रख लीजिए। सेठ ने कहा कि मुझे ये हीरा नहीं चाहिए। मैंने किसी भेंट के लिए ये पोटली आपको नहीं दी है। मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको ये थैली दे दी। जब हीरों के मालिक ने बार-बार निवेदन किया तो सेठ ने कहा कि मैंने पहले से ही दो हीरे रख लिए हैं। ये बात सुनते ही हीरों के मालिक को गुस्सा आ गया। हीरों के मालिक ने तुरंत ही पोटली में से हीरे निकाल कर गिनना शुरू कर दिए। उस थैली में 50 हीरे थे। हीरों के मालिक ने कहा कि थैली में तो पूरे हीरे हैं, आप किन दो हीरों की बात कर रहे हैं। ऊंट खरीदने वाले सेठ ने कहा कि मेरे ये दो हीरे हैं ईमानदारी और आत्म सम्मान। ये दो हीरे मैंने पहले से बचाकर रखे हैं, इसलिए आपके पूरे 50 हीरे आपको वापस मिल गए है।

अंतर्मन

आज की पाती

संसद में हंगामा क्यों

जिन सांसदों ने इस बार के संसद सत्र में अडाणी ग्रुप को लेकर हंगामा किया, उनसे सवाल है कि वो अपने आस्तक्षेत्र के भ्रष्ट राजनेताओं को लेकर आज तक संसद के किस सत्र में आवाज उठाते रहे हैं? क्या संसद में कोई भ्रष्ट सांसद नहीं होता? अडाणी को मोहरा बना कर संसद सत्र का कीमती समय बर्बाद करना गलत है। यह कोई नई बात नहीं है कि इस बार के संसद सत्र का पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछले कुछ सालों से लोकतंत्र का मंदिर भी राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। संसद के कीमती समय की पक्ष-विपक्ष दोनों को कीमत समझनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि संसद में शांति के लिए कौन कटोरता दिखाएगा? कौन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा? इस हंगाम में तो सब नंगे हैं। संसद में अर्थपूर्ण चर्चा होनी चाहिए।

- रमेश शर्मा, बिलासपुर

ट्रेंड

विकसित भारत का संकल्प

देशवासियों का जीवन आसान बनाने और विकसित भारत के संकल्प में नई ऊर्जा भरने के लिए हमने जो काम उठाए हैं, उनके परिणाम बेहद उत्साहित करने वाले है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हर एक जान अनमोल

हर एक जान अनमोल होती है, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टरों की जान जान और भी अधिक दुखद घटना है। श्रद्धांजलि! उप्र सरकार को सोचना चाहिए कि चिकित्सा में पर हादसों की संख्या क्यों बढ़ गयी है।
-अखिलेश यादव, सपा सांसद

जनता कॉन्फ्रेंस

अर्बिट केजरीवाल जनीश सिसोदिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम जनता कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहर झुग्गी प्रवास में इन्हा विकास झुग्गी बस्ती में ठेर सत्ता लेना घर-घर वाली बनी ले जाते रहे और आपनी सलाह बताते रहे.।
-मनोज तिवारी, भाजपा सांसद

श्रेष्ठ साहित्य से परिचय

7 वर्ष की कनुप्रिया और 8 वर्ष के शिवम ने राजस्थरी लिंक डिवाइर जी के कारकाती खंडकाव्य के अंश सुनाकर हरा आनंद से पुलित हो गया। इन बच्चों के माता-पिता का अभिनंदन जो वे अपने बच्चों का परिचय बालपन से श्रेष्ठ साहित्य से कराया रहे हैं।
-आशुतोष राणा, अभिनेता

करंट अफेयर

हैरिस का लोकतंत्र के लिए लड़ते रहने का संकल्प

रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति पद का चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि वह लोकतंत्र, कानून के शासन, समान न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। हैरिस ने देश भर में अपने प्रमुख समर्थकों और धन जुटाने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ लड़ना है, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके और यह लड़ाई पांच नवंबर को समाप्त नहीं हुई है। ये समर्थक और धन जुटाने वाले उनके राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का हिस्सा थे और मंगलवार को उनके एक आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव पांच नवंबर को हुआ था। ट्रंप राष्ट्रपति जो बाइडन का स्थान लेंगे, जबकि हैरिस का स्थान जे डी वांस लेंगे। हैरिस ने कहा, 'हम लड़ाई जारी रखेंगे। हमें ऐसे भविष्य के लिए बहुत संघर्ष करना है, जहां हर कोई अपने सपनों, अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। हम महिलाओं के अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।' उन्होंने कहा कि हम अपने लोकतंत्र, कानून के शासन और समान न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।

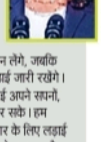

ऑफ बीट

मस्तिष्क की चोट से ग्रसित फर्जी प्रेम के अधिक शिकार

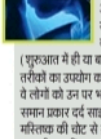

धोखाधड़ी और ठगी के अनेक तरीकों में फर्जी रोमांस या प्रेम के बहाने घोटाला करना भी शामिल है, जिसमें ठग नकली पहचान दिखाकर आपका विश्वास और पैसा हासिल करने के लिए दोस्ती करते और नजदीकी बढ़ाते हैं। इस तरह की अवैध गतिविधि में घोटालेबाज (या कभी-कभी कई लोग) किसी व्यक्ति को फर्जी रिश्ते में फंसाकर उसका शोषण करते हैं। इसका मकसद फर्जी तरीके से पैसा हासिल करना होता है। धोखाधड़ी करने वाला कोई भी व्यक्ति शिकार की तलाश में लोगों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया, गेमिंग और चाहे तक कि ऑनलाइन खरीदारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये लोग लंबे समय तक 'लव बॉम्बिंग' (शुरुआत में ही या बार-बार प्यार होने का खुलासा), ग्रूमिंग और हेरफेर जैसे तरीकों का उपयोग करके विश्वास और मजबूत भावनात्मक लगाव पैदा करते हैं। ये लोगों को उन पर भरोसा दिलाने के लिए समान रुचियां और यहां तक कि समान प्रकार दर्द साझा करते हैं। इसी तरह की एक धोखाधड़ी से बचने वाले मस्तिष्क की चोट से ग्रस्त एक व्यक्ति ने बताया, 'मेरे सोचने का तरीका कुछ हद तक सीधा नहीं था क्योंकि मुझे केवल प्यार, पैसा और वो सारी चीजें दिखाई देती थीं जो मैं चाहता था, इसलिए मुझे बाकी सभी छोटी चीजों की चिंता नहीं थी।'

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

दिल्ली का वायु प्रदूषण राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है। -एमएस स्वामीनाथन

अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित ताजा शोध देश-दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के खतरों को लेकर गंभीर चेतावनी देता है। इन दवाओं के अनियंत्रित वितरण पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत सुधारों के अलावा इनके विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है।

गंभीर चेतावनी

ज्यूरिख, ब्रुसेल्स और जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालयों व कुछ अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित शोध का यह खुलासा बेहद चिंताजनक है कि 2030 तक विश्व में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल में 50 फीसदी से भी ज्यादा की वृद्धि हो सकती है। यह अध्ययन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चेतावनी तो है ही, इससे यह भी पता चलता है कि इन दवाओं का अंधाधुंध उपयोग मानवता को किस तरह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट की ओर धकेल रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 2016 से 2023 के बीच भारत समेत पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं की खपत में तेज बढ़ोतरी हुई है। दरअसल, विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या और संक्रमणों के बढ़ते मामलों ने एंटीबायोटिक दवाओं की मांग को बढ़ाया है। लेकिन इन देशों में खराब स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की कमी के चलते भी लोग बगैर चिकित्सकीय सलाह के अक्सर इन दवाओं का सेवन करने लगते हैं, जिससे स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। विषाणु जनित संक्रमणों में इसके सीमित प्रभाव के बावजूद कोरोना महामारी के दौर में भी इनका अत्यधिक उपयोग देखा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों में से महज आठ फीसदी को जीवाणुओं के कारण होने वाला संक्रमण था। इसके बावजूद कोरोना के हर चार में से तीन मरीजों को सिर्फ इस उम्मीद में एंटीबायोटिक दवाएं दी गईं कि शायद वे फायदेमंद होंगी। बेशक महामारी से पहले विकसित देशों में इनका उपयोग घट गया था, लेकिन खास तरह के एंटीबायोटिक की मांग फिर भी बनी रही। यह स्थिति 'एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध' (एएमआर) के जोखिम को बढ़ा रही है, जिसमें जीवाणुओं में एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर प्रतिरोध विकसित हो जाता है। यह स्थिति एक अदृश्य महामारी का रूप ले सकती है, जिससे साधारण संक्रमण भी जानलेवा हो सकते हैं। यह

देखते हुए कि एएमआर से पूरी दुनिया में हर वर्ष साढ़े बारह लाख, तो भारत में करीब तीन लाख मौतें होती हैं। जरूरी है कि समय रहते इस समस्या का समाधान कर लिया जाए। भारत दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और दिक्कत यह है कि ये दवाएं बड़ी आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं। एंटीबायोटिक दवाएं देश और दुनिया में मृत्युदर में कमी लाने में सहायक बनी हैं, लेकिन इनका अनावश्यक उपयोग चिंताजनक है। एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित वितरण पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत सुधार जरूरी हैं, लेकिन यह भी तभी सार्थक साबित होंगे, जब लोगों में इसके विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर जागरूकता आएगी।

घरों में भी हवा कहां शुद्ध है

भारत जैसे भारी असमानताओं वाले देश में गंभीर रूप से प्रदूषित हवा के कारण भले ही स्कूलों को अच्छे इरादे से बंद किया गया हो, लेकिन यह उन गरीब बच्चों के लिए विभाजनकारी हो सकता है, जिन्हें कई मोर्चों पर तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

एक ग्यारह वर्षीय बच्चा, जिसकी मां दक्षिणी दिल्ली के एक पार्लर में ब्यूटी थेरेपिस्ट के रूप में काम करती है, इन दिनों काफी दुखी है। उस बच्चे ने बीते सप्ताह मुझसे कहा, 'खेल की कक्षाएं निलंबित हैं। मैं खेल से प्यार करता हूं। मुझे इससे नफरत है, क्योंकि अब सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और मैं फुटबाल का अभ्यास भी नहीं कर सकता।'

आमूली सुधार के बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा जहरीली बनी हुई है। सर्वविदित है कि इसका हमारे बच्चों और सबसे कमजोर लोगों के स्वास्थ्य पर कितना विपरीत असर पड़ता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकृत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार, बच्चों के फेफड़े बढ़ने और विकसित होने की प्रक्रिया में होते हैं, जिससे प्रदूषित हवा के प्रति वह काफी संवेदनशील हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में दोगुनी क्षमता से सांस लेते हैं और अपने शरीर के वजन की अपेक्षा ज्यादा सांस लेते हैं।

कई किशोर अक्सर मुंह से सांस लेते हैं, जिससे प्रदूषित तत्व उनके अंदर ज्यादा चले जाते हैं। बच्चे जमीन के करीब भी होते हैं, जहां कुछ प्रदूषक तत्वों की चरम सांद्रता का उन्हें अनुभव करना होता है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की तुलना में कमजोर होती है और उनकी श्वसन नलिकाएं अधिक पारगम्य होती हैं। शुरुआती बचपन के दौरान उन्हें वायरस, बैक्टीरिया या अन्य तरह के संक्रमणों का जोखिम अधिक रहता है। जो बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, उनको सांस संबंधी संक्रमण का उच्च जोखिम रहता है। जो लोग प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, उनके फेफड़ों की क्षमता बीस फीसदी तक कम हो सकती है। यह एक तरह से ऐसे घर में बड़े होने के जैसा है, जहां किसी वयस्क को सिगरेट पीने की आदत हो। वायु प्रदूषण निमोनिया से भी जुड़ा है, जो वैश्विक स्तर पर बच्चों की मौत का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है।

भारत की प्रदूषित हवा को लेकर मुख्यधारा के विमर्श में जिस बात पर कम जोर दिया गया है, वह यह है कि अब बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब तबके के बच्चे हैं, जैसे कि वह लड़का, जिसने हाल ही में अपने दिल की बात मुझे बताई थी। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना शुरू कर दिया है, जिससे कोरोना महामारी की यादें ताजा हो गई हैं, जब स्कूल बंद थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन जरिया अपनाया गया था। समृद्ध परिवारों के बच्चों के पास घर पर बेहतर सुविधाएं थीं, जैसे-स्मार्टफोन, कंप्यूटर और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। यही वजह है कि अमीर और गरीब बच्चों के बीच सीखने के परिणामों में अंतर उभरकर सामने आया। यूनिसेफ की सितंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना महामारी के दौरान भारत के 14 से 18 वर्ष की उम्र के करीब अस्सी फीसदी बच्चों के सीखने का स्तर कम था। वास्तव में, छह से तेरह वर्ष की आयु वर्ग के 42 प्रतिशत बच्चों ने स्कूल बंद होने के दौरान किसी भी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उपयोग करने की जानकारी नहीं दी थी। आज फिर से वही संकट बुरे सपने की तरह मंडरा रहा है।

गरीब बच्चे एयर-प्यूरीफाइड घरों में नहीं रहते। प्रदूषित हवा के अतिरिक्त वे वित्तीय बाधाओं और सीमित ऑनलाइन संसाधनों से जूझ रहे हैं। सामान्यतः उनके घरों का वातावरण सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के अनुकूल नहीं होता। कई बच्चे छोटे घरों में रहते हैं, जो भीड़भाड़ वाले होते हैं, जबकि उनके माता-पिता अक्सर ऑनलाइन शिक्षा के लिए सहायक संसाधन उपलब्ध करवाने में असमर्थ होते हैं। इसका उनके समग्र कल्याण और शैक्षणिक प्रदर्शन पर दीर्घकालिक असर पड़ता है। कम आमदनी वाली पृष्ठभूमि से संबंधित विद्यार्थी अक्सर स्कूल जाना पसंद करते हैं, इससे उन्हें अपने घरेलू वातावरण से कुछ देर के लिए सही निजात मिलती है। साथ ही वे शिक्षकों और सहपाठियों से मुखातिब होने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रदूषण के चरम के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को अस्थायी तौर पर अपनाने से ये आमने-सामने की व्यस्तताएं कम हो जाती हैं और इससे सामाजिक-भावनात्मक विकास, प्रेरणा और सीखने में भी बाधा पहुंचती है।

मैं जब यह लेख लिख रही थी, तब आठ अभिभावकों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिक दायर कर गुहार लगाई कि स्कूलों को बंद करना दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं है। उनका तर्क था कि जहरीले धुएं में लिपटे शहर में हर घर को 'शुद्ध हवा' नहीं मिलती और इस तरह के बंद होने से बच्चों की 'शिक्षा का मौलिक अधिकार' बाधित हो सकता है। अभिभावकों की ओर से भौतिक कक्षाएं फिर से शुरू करने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा, 'स्कूल और आंगनवाड़ी बंद होने से कुछ विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।' अदालत ने कहा कि कई विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं। 25 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को मध्याह्न भोजन और घरों में वायु गुणवत्ता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर में स्कूल बंद करने के अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया, विशेषकर दसवीं से बारहवीं की कक्षाओं के लिए। संक्षेप में, दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों की भौतिक कक्षाओं पर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करें, जो पिछले सप्ताह गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लगाए गए थे। देखते हैं क्या होता है?

भारत जैसे भारी असमानताओं वाले देश में गंभीर रूप से प्रदूषित हवा के कारण भले ही स्कूलों को अच्छे इरादे से बंद किया गया हो, लेकिन यह उन गरीब बच्चों के लिए विभाजनकारी हो सकता है, जिन्हें कई मोर्चों पर तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का भविष्य ही भारत के भविष्य को आकार देगा। यदि देश का राजनीतिक वर्ग राजधानी और उसके आसपास और छोटे शहरों की वायु प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए साथ नहीं आता है, और केवल फौरी उपाय ही जारी रखता है, तो इससे वह न केवल लाखों बच्चों के सपनों और आकांक्षाओं को खत्म कर रहा है, बल्कि भारत की कहानी को भी खतरे में डाल रहा है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

विनोबा भावे

नेपोलियन और खलीफा युद्ध के दौरान भी चित्त को एकाग्र रखते थे। व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना सफलता मिलना संभव नहीं है। चित्त एकाग्र रहेगा, तो फिर सामर्थ्य की कमी नहीं पड़ेगी।

कामयाबी तभी मिलेगी जब चित्त में एकाग्रता होगी

चित्त की एकाग्रता के बिना सच्ची साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है, चित्त की चंचलता पर अंकुश। इसी के साथ जुड़ी है जीवन की परिमितता यानी सब क्रियाओं को नापतौल करना। और एक है समदृष्टि, जिसका अर्थ है विश्व की ओर देखने की उदार दृष्टि। इन तीन से ध्यान योग बन जाता है। इनमें सबसे जरूरी है चित्त की एकाग्रता। हर काम में चित्त की एकाग्रता जरूरी है। व्यावहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यवहार में अलग गुणों की जरूरत है और परमार्थ में अलग। व्यवहार को शुद्ध करने का ही अर्थ परमार्थ है। कैसा भी व्यवहार हो, उसका वश और अपयश आपकी एकाग्रता पर ही निर्भर है। व्यापार, व्यवहार, राजनीति, कूटनीति आदि किसी को भी ले लें, इनमें जो भी यश मिलेगा, वह चित्त की एकाग्रता का ही परिणाम होगा। नेपोलियन के लिए कहा जाता है कि वह युद्ध के दौरान भी सारे मोर्चे निश्चित कर देने के बाद फिर समर भूमि से गणित के सिद्धांत हल किया करता था। डेरों, तंबुओं पर गोले बरसते, सैनिक मरते, किंतु नेपोलियन का चित्त अपने गणित में ही मगन रहता। मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बहुत बड़ी हुई थी। उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकते हैं। देखने की बात तो यह है कि एकाग्रता उसके पास कितनी थी। ऐसा ही खलीफा उमर के बारे में कहा जाता है। बीच लड़ाई में जब नमाज का वक्त हो जाता था, तो वह वहीं रणभूमि में चित्त एकाग्र करके घुटने टेककर नमाज पढ़ने लगता और उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यह होश भी नहीं रहता कि किसके आदमी कट मर रहे हैं। उसकी एकाग्रता तो सिर्फ नमाज में थी। सारांश यह है कि व्यवहार हो या परमार्थ, चित्त की एकाग्रता के बिना उसमें सफलता मिलना संभव नहीं है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा, तो फिर सामर्थ्य की कमी कभी नहीं पड़ेगी।

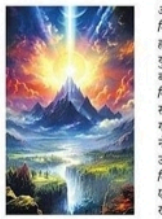

अब बात आती है एकाग्रता कैसे संभव हो? इसका एक ही तरीका है और वह यह कि आत्मा में मन को स्थिर करके दूसरा कोई चिंतन न करें। मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। सवाल यह भी है कि विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता संभव होगी कैसे? बाहरी चक्र को तो जैसे-तैसे रोक भी लिया जाए, लेकिन भीतर तो विचारों का चक्र चलता ही रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए जैसे-जैसे बाहरी साधन काम में लाते हैं, वैसे-वैसे भीतर के वेग और तीव्र हो जाते हैं। आसन लगाकर तनकर बैठ जाने और आंखें मूंद लेने से मन एकाग्र नहीं होता। असल बात तो मन का चक्र बंद करने की है, तभी एकाग्रता आती है। बात यह है कि बाहर का यह संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसे बंद किए बिना एकाग्रता संभव नहीं है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाह्य क्षुद्र बातों और वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक हम इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा हासिल हो जाए, जिससे हमारा भौतिक जीवन और समृद्ध हो जाए। इससे तो हमारा मन और ज्यादा भटकाव में चला जाता है। इसलिए एकाग्रता के लिए जीवन शुद्धि आवश्यक है।

जीवन में संतुलन रखें

सूत्र

मन की स्थिति बदले बिना एकाग्रता नहीं आ सकती। नियमित आचरण को ही हम परिमितता कहते हैं। हमारा सब काम नपा-तुला होना चाहिए। गणित का यह रहस्य हमारे जीवन की सब क्रियाओं में आना चाहिए। जीवन का हर पक्ष नपा-तुला होना चाहिए। चाहे भोजन या नींद हो, या फिर व्यवहार। सब संतुलन में हों।

दूसरा पहलू

तनाव के कारण मेलेनिन का उत्पादन कम होने पर बाल निश्चित उम्र से पहले सफेद होने के साथ झड़ने भी लगते हैं।

तनाव में छिपा है बालों की सफेदी का राज

हमारे बालों का सफेद होना काफी हद तक आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। आमतौर पर पहली बार सफेद बाल बीस से पचास साल के बीच कभी भी दिखाई दे जाते हैं। पुरुषों में सफेद बालों की शुरुआत अक्सर कनपटी और कलम के पास से होती है, जबकि महिलाओं में सिर के सामने वाले हिस्से से। यह देखा गया है कि 50 से 60 साल के बीच बाल तेजी से सफेद होते हैं। लेकिन बात यह है कि हम जो कुछ करते हैं, क्या उससे बाल सफेद होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, और ऐसा है तो इसे धीमा करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं।

थेरेसा लार्किन

हर बाल त्वचा पर बने अतिसूक्ष्म छिद्र से निकलता है। त्वचा पर ये छिद्र ठीक वैसे ही होते हैं, जैसे किसी एक छोर पर सुरंग का खुला मुंह।

हर बाल त्वचा पर बने अतिसूक्ष्म छिद्र से निकलता है। त्वचा पर ये छिद्र ठीक वैसे ही होते हैं, जैसे किसी एक छोर पर सुरंग का खुला मुंह। अलग-अलग प्रकार की स्टेम कोशिकाएं होती हैं। एक, केराटिनोसाइट्स, जो केराटिन प्रोटीन का उत्पादन करती है। यह प्रोटीन बालों को बनाती और पुनर्जीवित करती है। दूसरी स्टेम कोशिका मेलानोसाइट्स होती है, जो मेलेनिन का उत्पादन करती है। मेलेनिन बालों और त्वचा को रंगता है। मेलेनिन दो प्रकार का होता है, जो बालों का रंग निर्धारित करता है। एक-यूमेलेनिन, जो काले-भूरे रंग का होता है और दूसरा फिओमेलेनिन, जो लाल-पीला रंग लिए होता है। बालों का रंग इन विभिन्न रंगों की मात्रा से तय होता है। काले और भूरे बालों में ज्यादातर यूमेलेनिन होता है। लाल बालों में फोमेलेनिन सबसे ज्यादा होता है, जबकि सुनहरे बालों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा इन दोनों की होती है। तनाव कम करके और खान-पान अच्छा रखकर समय से पहले बालों को सफेद होने से बचाने में मदद मिल सकती है।

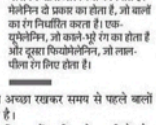

मेलेनिन बालों और त्वचा को रंगता है। मेलेनिन दो प्रकार का होता है, जो बालों का रंग निर्धारित करता है। एक-यूमेलेनिन, जो काले-भूरे रंग का होता है और दूसरा फियोमेलेनिन, जो लाल-पीला रंग लिए होता है।

उम्र बढ़ने के साथ-साथ कोशिकाओं की सक्रियता में कमी आने लगती है और बालों के छिद्र में स्टेम कोशिकाएं भी मेलेनिन का उत्पादन कम कर देती हैं। इससे हमारे बाल सफेद होने लगते हैं। क्या तनाव हमारे बालों को सफेद कर सकता है? यह अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। इसका जवाब है-हां। तनाव के कारण आपके बाल सफेद हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब ऑक्सीडेटिव तनाव (जब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर कम हो जाता है) बालों के छिद्र और स्टेम कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और मेलेनिन का उत्पादन बंद कर देता है। इसलिए स्वस्थ रहकर, तनाव कम कर, धूम्रपान और शराब के सेवन से बचकर बालों को जल्द सफेद होने से बचा सकते हैं।

(द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

निष्क्रिय खाते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खातों में नियमित लेनदेन नहीं होने से निष्क्रिय खातों में जमा राशि बढ़ गई है।

2019-20	2,837.29
2020-21	3930.85
2021-22	4962.70
2022-23	6804.88
2023-24	8,505.23

आंकड़े निष्क्रिय खातों में जमा राशि के, करोड़ रुपये में

स्रोत : MoLE

बावरी साहिबा सारे सुख-ऐश्वर्य त्यागकर प्रभु की प्रेम दीवानी होकर घूमने लगी थीं। स्वजनों द्वारा बहुत प्रताड़ित हुईं, लेकिन उन्होंने अपनी टेक न छोड़ी।

बावरी साहिबा की भक्ति

अंतर्कथा
संकलन

बावरी साहिबा निर्गुण ब्रह्म की उपासक थीं। उन्हें 'बावरीपंथ' की संस्थापक माना जाता है। लोगों ने उन्हें 'साहिबा' कहकर आदर तथा मान-सम्मान दिया। बावरी साहिबा द्वारा शुरू की गई अलौकिक साधना की पद्धति को बीरू साहब, यारी साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन साहब, भीखा साहब, पलटू साहब जैसे संतों ने आगे बढ़ाया।

संसार के सारे सुख-ऐश्वर्य, घर-द्वार, लोकलाज त्यागकर वह भगवान की प्रेम दीवानी होकर घूमने लगी थीं। प्रभु के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया, तो स्वजनों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति की टेक न छोड़ी। बावरी साहिबा न किसी विशेष पहनावे में विश्वास करती थीं, न ही कोई तिलक लगातीं और न ही पूजा-पाठ करती थीं। वह निर्गुण उपासना करती थीं। संत साधना में बावरी साहिबा का नाम ईश्वर के प्रति दिव्य और अलौकिक प्रेम के लिए अमर है। वह कहती थीं, 'प्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, प्रेम ही खाओ, प्रेम का ही स्वप्न देखो। नाक में प्रेम के पुष्प की सुगंध आने दो, कानों में हृदय को विभोर करने वाले प्रेमसंगीत सुनो। प्रेम का जीवन जीयो।' वह प्रभु से कहती थीं, *बावरी रावरी का कहिये, मन ह्वैके पतंग भरै नित भांवरी। भांवरी जानहिं संत सुजान, जिन्हें हरिरूप हिरे दरसावरी।।* हे प्रभु! आपकी लीला क्या कहूं। यह बावरी आपके चरणों में भांवरी भर रही है-जैसे पतंग दीपक की भांवरी भरता है।

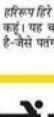

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 24 जुलाई,1962

भारत को पश्चिम से पर्याप्त सहायता मिलने की आशा

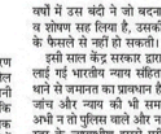

भारत को पश्चिम से पर्याप्त सहायता मिलने की आशा

विश्वभन्नी श्री देसाई का संकेत

केंद्रीय वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ने यूरोप के दौरे से वापस आने पर यह संकेत दिया कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए विदेश से पर्याप्त विदेशी सहायता मिलने की आशा है। वह अपने इस दौरे से काफी संतुष्ट हैं।

भारतीय जेलें और बंदियों की बाढ़

जेलों का भार कम करने के लिए जरूरी है कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। छोटे-मोटे मामले तो जेल के बाहर ही सुलझ जाने चाहिए।

पंकज चतुर्वेदी

मुद्दा

बीते कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल हो या गुजरात की साबरमती जेल, कुख्यात अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना और अपने विरोधियों की हत्या जेल में ही कर देने के लिए कुख्यात हो गई हैं। भले ही कागजों में दर्ज हो कि जेल किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि सुधार घर होता है। लेकिन भारतीय जेलों की स्थिति इतनी भयावह है कि यह बहुत कुछ अपराधी तैयार करने के स्थान बन गई हैं।

भारतीय जेलें अत्याचार, मारापीटी, पैसे छुड़ा लेने, गरीब लोगों के बगैर माकूल न्यायिक मदद के लंबे समय तक जेल में रहने, रसूखदारों की आरामगाह व निराएद स्थली के तौर पर कुख्यात हैं। दूसरी तरफ देखें, तो हमारी जेलें निर्धारित क्षमता से कई-कई गुना ज्यादा बंदियों से ठूंसी पड़ी हैं। भारत सरकार के कुछ महीनों पहले के आंकड़े बताते हैं कि देश की 1,382 जेलों में 5,73,200 बंदी हैं, जो कि क्षमता से 131 प्रतिशत अधिक हैं। जेलों में बंद लगभग 78 फीसदी बंदी विचाराधीन हैं।

देश में सर्वाधिक करीब सवा लाख बंदी उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं, जबकि क्षमता है 67,700 की। इसके बाद उत्तराखंड आता है, जहां ऑक्यूपेंसी रेट 182.4 फीसदी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल (181 फीसदी), मेघालय (167.2 फीसदी), मध्य प्रदेश (163 फीसदी) और जम्मू-कश्मीर (159 फीसदी) का स्थान है।

गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) ने 24 अक्तूबर, 2024 को जेल सुधारों पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इसमें उजागर हुआ कि गुजरात की जेलों में क्षमता से 119 प्रतिशत अधिक बंदी हैं। मजेदार बात यह है कि राज्य की खुली जेलें खाली पड़ी हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफीम की खेती होती है और वहां इससे जुड़े बंदी भीड़ बढ़ाते हैं। मंदसौर जिला जेल में बंदियों की क्षमता से ज्यादा बंधक बंद हैं। यहां एक बार में लगभग 370 बंदियों को रखा जा सकता है, जबकि 640 बंदी हैं। इनमें से 395 बंदी एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद हैं।

जेलों में बंद बंदियों में 22 फीसदी दलित, 11 फीसदी आदिवासी और 20 फीसदी मुसलमान हैं। अपराध व जेल के आंकड़ों के विश्लेषण के मायने यह कतई नहीं हैं कि अपराध या अपराधियों को जाति या समाज में बांटा जाए। वहीं, न्याय प्रक्रिया में देरी की वजह से भी जेलों पर भार बढ़ रहा है। दिल्ली दंगों का केस बानगी है, जिसमें ज्यादातर लोगों की अन्य मामलों में जमानत हुई, क्योंकि तथ्य कमजोर थे, लेकिन पुलिस ने अधिक से अधिक समय तक जेल में रखने को यूएपीए लगा दिया। हाईकोर्ट में भी जज बदलते रहे और तीन वर्षों से तारीखें ही बढ़ रही हैं। आए दिन सुनने को आता है कि अमुक व्यक्ति आतंकवाद के आरोप में दस या उससे अधिक वर्षों तक जेल में रहा और उसे अदालत ने बरी कर दिया। इन फैसलों पर इस दिशा से कोई विचार करने वाला नहीं होता कि बीते 10 वर्षों में उस बंदी ने जो बदनामी, तंगहाली, मुफलिसी व शोषण सह लिया है, उसकी भरपाई किसी अदालत के फैसले से नहीं हो सकती।

इसी साल केंद्र सरकार द्वारा न्यायिक सुधार के लिए लाई गई भारतीय न्याय संहिता में बहुत से मामलों में थाने से जमानत का प्रावधान है। इनमें किसी मामले की जांच और न्याय की भी समय-सीमा तय है। चूंकि, अभी न तो पुलिस वाले और न ही बहुत हद तक जिला स्तर के न्यायाधीश इससे पूरी तरह परिचित हुए हैं। लिहाजा जेल भेज कर उत्पीड़ित करने का तंत्र यथावत जारी है। वैसे भी पहले से लंबित कई करोड़ मामलों पर यह नए प्रावधान लागू नहीं होते।

जेल में विचाराधीन बंदियों की बढ़ती भीड़ एक गंभीर मामला है। जेल में विचाराधीन बंदी से कोई काम नहीं करवाया जाता, सो सारा दिन लाखों लोग खाली रहकर समय बिताते हैं और इनमें से ही कई के दिमाग में और अपराध करने के फितूर उपजते हैं। हालांकि लोग अपराध न करें या उन्हें कोई गलत न फंसा सके इसका निदान पहले शिक्षा या जागरूकता और उसके बाद आर्थिक स्वावलंबता ही है। इसके लिए कुछ प्रयास सरकार के स्तर पर और अधिक प्रयास समाज के स्तर पर हों। यह भी जरूरी है कि आम लोगों को पुलिस कार्यप्रणाली, आम लोगों के कर्तव्य और अधिकार, अदालतों की प्रक्रिया, वकील के अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता जैसे विषयों की जानकारी दी जाए। इसके लिए स्कूली पाठ्यक्रम में प्रावधान के साथ कमजोर आर्थिक-सामाजिक स्थिति के मुहल्लों और गांवों में नियमित कार्यशालाएं भी हों। साथ ही छोटे-मोटे अपराधों को जेल के बाहर ही निपटाने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए।

दैनिक जागरण
अध्यात्म आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है

चिंतित करता बांग्लादेश

यह अच्छा हुआ कि भारत ने पिछले दिनों ढाका में हिंदू समुदाय के नेता और इस्कान के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की एक मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के समक्ष अपनी आपत्ति और चिंता व्यक्त की, लेकिन इसमें संदेह है कि इतने मात्र से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए नहीं, क्योंकि भारत की चिंता के जवाब में बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को अपना आंतरिक मामला बता दिया। बांग्लादेश को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वह हिंदुओं के उत्पीड़न से आंखें मूंदे रहे और यदि उसके रवैये पर सवाल उठें तो वह उसे अपना आंतरिक मामला बता दे। अल्पसंख्यकों का सिलसिलेवार उत्पीड़न किसी देश का आंतरिक मामला नहीं हो सकता। यह किसी से छिपा नहीं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से किस तरह हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। उन्हें केवल आतंकित ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों, व्यावसायिक ठिकानों पर इस इरादे से हमले किए जा रहे हैं कि वे अपना घर-बार छोड़कर भाग जाएं। इससे भी गंभीर बात यह है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उलटे उन कट्टरपंथियों और जिहादी तत्वों को पोषित किया जा रहा है, जो हिंदुओं को आतंकित कर रहे हैं।

यह एक तथ्य है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तमाम कट्टरपंथियों और यहां तक कि जिहादियों को भी जेल से रिहा किया है। उन्होंने ऐसे कई अतिवादी संगठनों को भी राहत दी है, जिन पर शेख हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। सबसे खतरनाक बात यह है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर अनगिनत हमलों को बांग्लादेश के खिलाफ आधारहीन दुष्प्रचार करार दे रहे हैं। यह तब है, जब कई देशों के नेता हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इनमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। मोहम्मद यूनुस न तो जल्द चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं और न यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि वह किसकी सरकार के मुख्य सलाहकार हैं? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बांग्लादेशी सेना उनका इस्तेमाल अपने मुखौटे की तरह कर रही है और वह भी उसकी कठपुतली बनने को तैयार हैं। बांग्लादेश अपने बचे-खुचे सेक्युलर स्वरूप को नकार कर जिस तरह पाकिस्तान की तरह कट्टर इस्लामी देश बनता जा रहा है, वह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए। वहां इस्लामी कट्टरता बढ़ने का मतलब है हिंदुओं के उत्पीड़न का सिलसिला तेज होना और उनके पलायन की नौबत आना। सच तो यह है कि तमाम बांग्लादेशी हिंदू भारत आने को तैयार हैं। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि वहां के हालात उनके प्रतिकूल होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत को बांग्लादेश पर दबाव बनाने के लिए सक्रिय होना चाहिए।

गोतस्करों का दुस्साहस

पंजाब में गोकशी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल की घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां गोतस्करों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसी आशंका इसलिए है, क्योंकि सितंबर में मंडी गोबिंदगढ़ में गोमांस से भरा ट्रक पकड़ा जा चुका है। कई बार तस्करी कर गोकशी के लिए ले जाए जा रहे गोवंश को भी बरामद किया गया है। अब नया मामला सरहिंद की पवित्र भूमि पर घटित हुआ है। यहां सोमवार रात सरहिंद-पटियाला मार्ग पर गांव आदमपुर के निकट चार गोवंश कटे हुए पाए गए। जब गोरक्षक घटनास्थल पर पहुंचे तो गोतस्कर फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। ऐसी चर्चा है कि पंजाब में गोकशी के बाद गोमांस को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के होटलों में भेजा जाता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को वहां की सरकार की ओर से बंद करवाने के कारण इस धंधे से जुड़े तत्व पंजाब में अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पंजाब पुलिस को और सतर्क होने की आवश्यकता है। सभी जिलों में पुलिस को निगरानी बढ़ानी चाहिए और इस धंधे से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान संचालित करना चाहिए। पुलिस की जरा सी निष्क्रियता से न सिर्फ गोतस्करों का दुस्साहस और बढ़ेगा, अपितु समाज में नाराजगी भी उत्पन्न होगी। इसलिए पुलिस को स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और गोकशी तथा गोतस्करी से जुड़े तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

सभी जिलों में पुलिस को निगरानी बढ़ानी चाहिए और इस धंधे से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए अभियान संचालित करना चाहिए

लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता वक्फ कानून

आदित्य सिन्हा

वक्फ अधिनियम वास्तव में पुरातन काल का अवशेष है, जो आधुनिक गवर्नेंस और लोकतंत्र के सिद्धांतों से कतई मेल नहीं खाता

प्रतीकात्मक तस्वीर

हालिया चुनावी विजय के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वक्फ कानून को जिस प्रकार आड़े हाथों लिया, उसने लंबे समय से चली आ रही बहस को एक नई हवा दी है। किसी भी आधुनिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में ऐसे कानून की उपस्थिति खटकती है। प्रधानमंत्री ने संवैधानिक मूल्यों की कसौटी के साथ ही इसकी वैधानिकता एवं प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए। वक्फ कानून मनमानी शक्तियां प्रदान करता है। कई बार संपत्ति का अधिकार और विधिसम्मत प्रक्रियाएं भी इस कानून की बलि चढ़ जाती हैं। इस कानून को लेकर राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते विधि के शासन और निष्पक्षता का पहलू गौण हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। तमिलनाडु स्थित तिरुचेंदुराई के किसान राजगोपाल ने जब अपनी जमीन बेचनी चाही तो उन्हें पता चला कि वह तो वक्फ की संपत्ति है। उसके बाद वह तेज की जटिलता के चक्कर में फंसकर रह गए। ऐसे अंतहीन उदाहरण हैं जब इस कानून की वजह से लोगों को पुश्तैनी संपत्ति गंवानी पड़ी। इसके कारण अपनी पहचान और आजीविका के साधन गंवाने वालों की मुश्किलों की बस कल्पना ही की जा सकती है।

असल में वक्फ कानून वक्फ बोर्डों को असीम अधिकार प्रदान करता है कि वे बिना औपचारिक प्रक्रिया के ही किसी भी जमीन या संपत्ति पर अपना दावा कर सकें। लोकतांत्रिक समाज में ऐसे स्वेच्छाचारी कानून की कोई जगह नहीं हो सकती और उसे निश्चित ही निरस्त कर देना चाहिए। वक्फ अधिनियम धार्मिक या धर्मादा उद्देश्यों के लिए अपरिवर्तनीय रूप से समर्पित संपत्तियों को नियंत्रित करता है। यह कानून संपत्तियों को हमेशा के लिए वक्फ बोर्डों के नियंत्रण में करने का प्रविधान करता है। वक्फ बोर्ड उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना ही किसी भी प्रकार की संपत्ति को अपना बताने लगते हैं। उन्होंने अपना समानांतर न्यायिक ढांचा तक बना लिया है, जहां अर्जी लगाने से लेकर पैरवी और फैसला सुनाने वाले सभी उनके लोग होते हैं। वक्फ के बेलगाम दावों के चलते देश भर में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। सूरत में तो नगर निगम के मुख्यालय को ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। व्यक्ति, परिवार, कारोबारी समूह से लेकर खुद सरकारी एजेंसियां इस कानून की तपिश झेल रही हैं, जिसे मजहबी तुष्टीकरण की आड़ में निरंकुश स्वतंत्रता प्रदान की हुई है।

वक्फ के पास संपत्तियों का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश में रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति उसके पास ही है। इन संपत्तियों के वक्फ असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम आफ इंडिया यानी वामसी के जरिये डिजिटलकलीकरण के प्रयास में कई विसंगतियां सामने आई हैं। करीब 4.3 लाख वक्फ संपत्तियों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। 58,000 संपत्तियां अतिक्रमण के रूप में हैं और हजारों संपत्तियां कानूनी विवादों में फंसी हैं। इस मोर्चे पर स्पष्टता का अभाव लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी और विलंबित फैसलों का कारण बनता है, जबकि संपत्ति के वास्तविक स्वामी कानूनी लड़ाई में फंसकर असहाय महसूस करते हैं। समुदायिक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति में भी वक्फ कानून असफल सिद्ध हुआ है। भारतीय मुस्लिमों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से जुड़ी संपत्तियां कुप्रबंधन की शिकार हैं और उनका अपेक्षित उपयोग भी नहीं हो पा रहा है।

सच्चर समिति के अनुसार वर्ष 2005 में वक्फ संपत्तियों से महज 163 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो पाई थी, जो केवल 2.7 प्रतिशत प्रतिफल थी। जबकि सक्षम प्रबंधन के जरिये वार्षिक आधार पर 12,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और रणनीतिक नियोजन के अभाव में ये परिसंपत्तियां उलटे बोझ बन गईं। वक्फ संपत्तियों की अक्सर बाजार भाव से कम मूल्य पर बोर्ड के करीबियों में बंदरबांट कर दी जाती है और उनसे प्राप्त राजस्व का भी कुप्रबंधन देखने को मिलता है, जिससे जरूरतमंदों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। सशक्तीकरण का माध्यम बनने के बजाय वक्फ संपत्तियां अक्षमता, शोषण एवं उत्पीड़न का प्रतीक बनकर रह गई हैं। संपत्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है और वक्फ अधिनियम इस पर कुठाराघात करता है। किसी भी मजहबी या धर्मादा उद्देश्य के लिए ऐसे वैयक्तिक अधिकार की घोर उपेक्षा जायज नहीं ठहराई जा सकती। यह कानून केवल न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों का ही अवमूल्यन नहीं करता, अपितु कानूनी ढांचे के प्रति भरोसे को भी घटाता है। इसमें संशोधन कोई समाधान नहीं, क्योंकि समस्या इसकी बुनियाद में निहित है। डिजिटलीकरण और जीआइएस मैपिंग जैसी पहल से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए गए, लेकिन ये केवल लक्षणों का उपचार कर सकते हैं, किंतु बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। समाधान के लिए स्थापित न्यायाधिकरण अक्षम और आवश्यक न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित हैं। परिणामस्वरूप अपीलों और देरी का अंतहीन सिलसिला चलता है। इस कानून को समाप्त करना ही एकमात्र उपाय है। इससे संपत्ति के अधिकार की बहाली होगी। नागरिक और संस्थान सुनिश्चित होंगे कि वे अपनी संपत्ति पर मनमाने दावों के शिकार नहीं होंगे। वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और कुशासन की बीमारी पर अंकुश लगेगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी से इन संपत्तियों की संभावनाओं को पूरी तरह भुनाया जाना संभव हो सकेगा, जिसका लाभ जरूरतमंदों को मिलेगा। इससे सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य भी साधा जा सकेगा।

मनमाने वक्फ कानून की समाप्ति से एक समानांतर कानूनी ढांचे पर विराम लगेगा और जमीनों से जुड़े सभी विवाद एक सार्वभौमिक संपत्ति कानून के दायरे में आएंगे। वक्फ अधिनियम वास्तव में पुरातन काल का अवशेष है, जो आधुनिक गवर्नेंस और लोकतंत्र के सिद्धांतों से कतई मेल नहीं खाता। यह न केवल संपत्ति के अधिकारों का घोर उल्लंघन करता है, बल्कि उस समुदाय के हितों को ही पोषित नहीं कर रहा, जिसके हितों के लिए वह काम करने का दावा करता है। इसीलिए, वक्फ अधिनियम को समाप्त करना केवल कानूनी रूप से ही आवश्यक नहीं, बल्कि नैतिकता, न्याय, पारदर्शिता और संस्थानों के प्रभावी उपयोग के दृष्टिकोण से भी अपरिहार्य हो चला है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

बातों तक सीमित जलवायु सम्मेलन

अमित प्रकाश जोशी

जब काप सम्मेलनों से जलवायु संकट का समाधान नहीं निकल रहा, तब सभी देश अपने स्तर पर ही कुछ करें

विना नतीजे समाप्त हुआ जलवायु सम्मेलन। प्रेट्र

अजरबैजान के बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन-काप (कांफ्रेंस आफ पार्टीज)-29 जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस निर्णय लिए बिना ही संपन्न हो गया। विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया। गरीब देश अमीर देशों से लंबे समय से जलवायु वित्त के रूप में 500 अरब डालर की सहायता की मांग कर रहे हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों से आर्थिक क्षति की भरपाई कर सकें, लेकिन इस बार भी उनकी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। अमीर देशों की ओर से काप-29 में गरीब देशों के लिए 300 अरब डालर के नए जलवायु फंडिंग पैकेज की पेशकश की गई, लेकिन भारत जैसे देशों ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बहुत कम है।

काप 29 सम्मेलन की समाप्ति के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस सम्मेलन से कोई ठोस निर्णय निकल पाया? देखा जाए तो पिछले 28 काप सम्मेलनों की तरह इस बार भी वही पुराने मुद्दे चर्चा में रहे, जिनका समाधान हर बार पीछे छूट जाता है। ऐसे में यह विचारणीय है कि आज तक इन सम्मेलनों में ऐसा क्या ठोस हुआ है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने में मदद मिली हो या आगे मिलने की संभावना जगी हो? 1996 में शुरू हुए जलवायु सम्मेलनों में हम केवल वादे और चर्चाओं का दौर ही देखते आ रहे हैं। पेरिस समझौते के तहत कार्बन क्रेडिट प्रणाली और विकसित देशों द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की जो बात हुई थी, वह अब तक कागजों पर ही सीमित है। वास्तव में 2016 से 2024 तक कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन और तापमान वृद्धि जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सका है। अगर जलवायु सूचकांक देखें तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देश इसमें सबसे पीछे हैं। ये देश जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा तो करते हैं, लेकिन ठोस क्रियान्वयन में विफल रहते हैं। इनसे इतर भारत अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की दिशा में भारत की भूमिका सराहनीय है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दे किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं। यदि पाकिस्तान में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो इसका असर भारत पर भी पड़ता है। भूमिगत जल, वायुमंडलीय हवाएं और हिमखंड-ये किसी एक देश की समस्या नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व का साझा संकट हैं।

काप सम्मेलन का उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु बनाना था, लेकिन यह मंच केवल वाद-विवाद और एक-दूसरे पर दोषारोपण तक तक सिमट गया है। अब तक न तो जलवायु वित्तीय सहायता की दिशा में कुछ सुधार हुआ है और न ही कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। इसे देखते हुए पनामा के मुख्य वार्ताकार कालोस गोमेज को कहना पड़ा कि हमारे जैसे गरीब देश हर मिनट कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन अमीर देश इस ओर संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे। छोटे देशों के गठबंधन ने तो एक तरह से काप 29 सम्मेलन से बाकआउट ही कर दिया। अब जब काप-29 सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, तब फिर सभी देशों को अपने-अपने स्तर पर कुछ करने की आवश्यकता है। आखिर जब इन सम्मेलनों से कुछ ठोस निकल ही नहीं रहा है तो फिर सदस्य देशों को अपने स्तर पर प्रकृति के संहार से बचाने के लिए सक्रिय होने के अलावा और कोई उपाय नहीं। भारत को चाहिए कि वह इन अंतरराष्ट्रीय बैठकों में अपनी बात रखने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर भी ठोस कदम उठाए। यदि हम अपने प्रदूषण स्तर और स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो यह न केवल हमारी आंतरिक स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हमें मजबूत करेगा। समय आ गया है कि स्थानीय स्तर पर मजबूत रणनीतियां बनाई जाएं। भारत को अपनी ऊर्जा खपत, कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। यदि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, तो हम दुनिया को यह दिखा सकेंगे कि किस तरह सीमित संसाधनों के साथ भी जलवायु संकट का समाधान संभव है।

अब इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या जलवायु सम्मेलन का मंच बाकई समस्याओं के समाधान का माध्यम है या केवल औपचारिकता भर है? काप सम्मेलनों की असफलता को देखते हुए इसके मौजूदा स्वरूप में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जलवायु संकट की गंभीरता को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब विकासशील देश अपने स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय होंगे तो विकसित देशों पर कुछ करने का दबाव पड़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आने को बाध्य हो सकते हैं। चूंकि यह सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ पर्यावरण मिले, इसलिए पर्यावरण रक्षा के उपाय करने में देर नहीं की जानी चाहिए। पर्यावरण लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। यदि दुनिया की चिंता छोड़ सब देश अपनी-अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढ़े तो कुछ नहीं से कुछ तो हासिल किया ही जा सकता है। भारत अपने स्तर पर काफी कुछ करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत को इकोनमी के साथ इकोलाजी के प्रति भी गंभीरता का परिचय देना होगा। यह समय की मांग है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ-साथ सकल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पाद (जीईपी) को भी बराबर महत्व मिले। जीडीपी जहां देश की अर्थव्यवस्था की सेहत बताती है वहीं जीईपी देश के पर्यावरण की सेहत बताती है।

(लेखक पर्यावरणविद् हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ध्यान का मर्म

ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होना है। अंतर्मुख होने का अर्थ है, आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा की एकता को पहचानते हैं। हमें यकीन हो जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है। अंतर्मुख होने से हम उस दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हैं, जो समस्त ज्ञान का भंडार है।

एक बार आत्मा के अमर होने का अनुभव होने के बाद हमारा भय समाप्त होने लगता है। प्रभु से एकता की अवस्था में हमारा आत्मा किसी भय को नहीं जानता। उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। पाप का अर्थ है-प्रभु से अनभिज्ञ रहना और सत्य एवं प्रेम के उस नियम से अनभिज्ञ रहना, जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। गुण वही है, जो हमें परमात्मा के नजदीक लाए। जो हमें प्रभु से दूर ले जाए, वह पाप है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में ढालते हैं और साथ ही साथ ध्यान-अभ्यास में नियम से समय देते हैं तो हमें इस विश्व में और उसके बाद की दुनिया में किसी बात का भय नहीं रहता। जब हम देखते हैं कि जो प्रकाश हमारे आत्मा में है वही दूसरे आत्माओं में भी है, तो हम सृष्टि के हर जीव को अपना समझते हैं। तब हम अनुभव करते हैं कि सभी प्राणी एक ही परिवार के सदस्य हैं और दूसरों से मिलकर हमें मिलन की खुशी का अहसास होता है।

अंतस की यात्रा द्वारा हम इस अवस्था को पा सकते हैं जहां सारी सृष्टि हमारा परिवार बन जाती है और विश्व हमारा घर। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो सारा संसार प्रेम के रंग में रंगा नजर आता है। हमें हर चीज खुशगवार लगती है। इसी तरह अंतस के आनंद की अवस्था में पूरा संसार आनंद के रंग में रंगा नजर आता है। तब हम जहां देखते हैं हमें खुशी ही खुशी दिखाई देती है।

संत राजिंदर सिंह जी महाराज

त्वरित न्याय की जगी आस

सोनम लववंशी

आनलाइन कोर्ट की पहल देश में न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है

बीते दिनों न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला जिससे त्वरित, सुलभ और पारदर्शी न्याय की आस जगना स्वाभाविक है। न्यायिक प्रणाली का व्यवस्थित और सुचारु रूप से क्रियान्वित होना एक सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है और उसे आधुनिक बनाना समय की जरूरत है। वर्तमान में समय पर न्याय उपलब्ध कराने के मामले में हमारी व्यवस्था काफी पिछड़ी हुई है। समय से न्याय न मिलना, अपने-आप में स्वयं किसी अन्याय से कम नहीं। न्याय के लिए लोग सिर्फ तारीखें के इंतजार में अपना समय, धन और क्या कुछ नहीं गंवा देते। इसी बीच केरल के कोल्लम जिले में हमेशा खुले रहने वाले देश के पहले आनलाइन कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह देश में न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत है।

यह अदालत एक ऐसी प्रणाली के तहत काम करेगी, जहां वादियों और वकीलों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं से भी, किसी भी समय, केवल एक आनलाइन प्रपत्र भरकर केस दर्ज किया जा सकता है। इस प्रणाली के तहत एक मजिस्ट्रेट और तीन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करेंगे। डिजिटल माध्यम के जरिये यह सुविधा न्यायालयों के भारी दबाव को कम करने में सहायक होगी। खासकर उन मामलों के लिए, जिन्हें त्वरित निपटारे की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाना एक ऐसे सोच को दर्शाता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को व्यावहारिक रूप से साकार करने की ओर अग्रसर है। आज न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है। ऐसी स्थिति में यह डिजिटल पहल न केवल लंबित मामलों के बोझ को कम करने में सहायक होगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत करेगी। कई बार वादियों को न्यायालयों तक पहुंचने के लिए भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यायालय तक पहुंचना एक कठिन कार्य है। आनलाइन कोर्ट इन चुनौतियों को समाप्त कर सभी को समान अवसर देगा।

इस पहल से न्यायालयों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डिजिटल माध्यम से संचालित प्रक्रिया रिकार्डिंग, डाक्यूमेंटेशन और निगरानी के लिए बेहतर होगी, जिससे न केवल वादियों को भरोसा मिलेगा, बल्कि न्यायिक अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यह कदम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने में भी प्रभावी सिद्ध हो सकता है। केरल के अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की योजना है। देश के सभी हिस्सों में ऐसी आनलाइन अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

संभल में बेवजह का हिंसक उपद्रव

'संभल सरोखे विवाद पर होश संभालें' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने संभल में होने वाले हिंसक उपद्रव का सटीक विश्लेषण करते हुए यह ठीक ही कहा है कि 'यह सामान्य समझ सबको होनी ही चाहिए कि सर्वे मात्र से कोई मस्जिद मंदिर में तब्दील होने वाली नहीं है।' यदि मस्जिद पक्ष के कुछ प्रभावशाली लोग समझदारी दिखाते हुए आक्रोशित लोगों को यह समझाने की कोशिश करते कि इस सर्वे से मस्जिद के स्वरूप और वजूद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो शायद ऐसा हिंसक उपद्रव न होता जिसमें कई लोग बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात अनेक पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपद्रवियों द्वारा की जा रही पत्थरबाजी से बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन जब उपद्रव कर अशांति पैदा करने की मंशा पूर्वनियोजित हो तो इस तरह की सामाजिक समझदारी भी काम नहीं आती। आखिर इस तरह का हिंसक उत्पात मचाने वाले ये उपद्रवी सभ्य समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले ये लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वे इस आपराधिक कृत्य के बाद कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। देर-सबेर कानून उनके किए की सजा जरूर देगा। सभ्य समाज के बीच हिंसक उपद्रव किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का भी संवैधानिक तरीका है। बावजूद इसके धार्मिक आयोजनों और तीज-त्योहारों पर उपद्रवी तत्वों द्वारा पत्थरबाजी कर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। समाज में नफरत का बीज बोने वाले ऐसे उपद्रवी तत्वों को चिह्नित कर कठोर सजा देने की जरूरत है।

डा. बीपी पांडेय, अलीगढ़

जनादेश का हो सम्मान

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गठबंधन सरकारें अक्सर विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं और लक्ष्यों के संयोजन का परिणाम होती हैं। यह प्रक्रिया जनादेश का सम्मान करते हुए विभिन्न दलों को एक साथ लाने में सहायक होती है। हालांकि मुख्यमंत्री का चयन करना अक्सर एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। गठबंधन के सदस्यों के बीच विचारधारात्मक विभिन्नता और सत्ता संतुलन की राजनीति सामान्य सहमति तक पहुंचने में कठिनाई उत्पन्न करती है। यह स्थिति जनता में असमंजस पैदा कर सकती है और सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाने का कारण बन सकती है।

इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि सभी पार्टियां संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से एक सक्षम और सर्वमान्य नेता का चयन करें। गठबंधन दल जनता के विश्वास और जनहित को प्राथमिकता दें तो यह प्रक्रिया अधिक सुगम हो सकती है। इस दिशा में सुधार लाने के लिए राजनीतिक दलों को अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

अनुजा जैन, नई दिल्ली

ईवीएम पर दोषारोपण गलत

ईवीएम पर अंगुली उठाने वालों की सुप्रीम कोर्ट ने बोलती बंद कर दी है। बार-बार चुनाव के बाद अपने पक्ष में रिजल्ट नहीं आने के पश्चात ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले राजनीतिक दलों को कोर्ट से अच्छा जवाब मिल गया है। उसने कहा है कि चुनाव जीते तो सब ठीक और हारे तो ईवीएम की आलोचना। इससे पहले कई बार चुनाव आयोग बता चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ईवीएम की विश्वसनीयता कई मुकदमों का विषय रही है। इसके कारण वीवीपैट प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन इसने पार्टियों और उम्मीदवारों को बार-बार संदेह जताने से नहीं रोका। पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे हर चीज को लेकर 'अति-संदेहास्पद' न हों। राजनीतिक दल आधारहीन दावे करके और लोगों के मन में संदेह पैदा करके माहौल को खराब न करें।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210, 211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उनकी के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) पीयूष प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, नोएडा फाक्स : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

7,097 करोड़ रुपये हुई थी गूगल की कुल आमदनी मार्च 2024 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में। वहीं, मेटा का भी भारत में लाभ काफी बढ़ा है। वर्ष 2024 में मेटा इंडिया के विज्ञापन राजस्व में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

आजकल

मेटा पर मोटा जुर्माना लगाने के निहितार्थ

इंटरनेट मीडिया पर आज लोगों की निर्भरता इस तरह हो गई है कि ऐसा महसूस होता है कि शायद इनके बिना हमारा कामकाज नहीं चलने वाला। जबकि इससे कई प्रकार के खतरे भी जुड़ गए हैं। वस्तुतः डाटा गोपनीयता नीति के पैमाने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म वाट्सअप को खरा नहीं पाया गया है। लिहाजा उसकी कंपनी मेटा पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने 213 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कुछ कंटेंट साझेदारी पर पांच साल की पाबंदी भी लगाई है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया कंटेंट से होने वाली कमाई में सेंधमारी चिंता का विषय है

प्रतीकात्मक

शंभु सुमन
तकनीकी मामलों के जानकार

कापी-पेस्ट से लेकर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, आडियो, जिफ आदि को साझा करने की सुविधा देने में वाट्सअप भारत में पहले नंबर पर है। उसके माध्यम से यदि हर तरह के फार्मेट वाले छोटे-बड़े मैसेज का पलक झपकते आदान-प्रदान करना आसान हो गया है, तो इनसे देश-दुनिया की खबरें जानने, विभिन्न उत्पादों की जानकारी हासिल करने और लोगों से संपर्क बनाने-बढ़ाने की सहूलियत मिल गई है। यूपीआइ के जरिए हमारे बैंक खाते तक पहुंच बनाकर यह आनलाइन खरीदारी का साथी भी यह बन गया है।

इन सुविधाओं के बावजूद इसका व्यापक उपयोग निरापद नहीं है। इसके साथ कई नकारात्मक पहलू भी जुड़े हुए हैं, जिसकी जद में आकर हमने अपना निजी डाटा विदेशी तकनीकी कंपनियों के हवाले कर दिया है। इसने हमारी रचनात्मकता और सक्रियता को कुंठित कर दिया है, तो हमारे मीडिया के कंटेंट की साझेदारी कर विज्ञापनदाताओं से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। डाटा की गोपनीयता के मामले में वाट्सअप खरा नहीं उतर पाया है। कई वर्षों से इस पर डाटा सुरक्षा की गोपनीयता नीति के विरुद्ध काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अब उसके विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही उसे 2021 की पालिसी अपडेट के तहत 'यूजर डाटा' साझा करने पर पांच साल के लिए रोक लगा दी है। वहीं आयोग ने मेटा और वाट्सअप को यह निर्देश भी दिया है कि वे एक तय समय में सुधार के कुछ कदम उठाएं। आयोग के आदेश के अनुसार, वाट्सअप को यूजर्स को डाटा शेयरिंग के बारे में अपनी पसंद बदलने का विकल्प भी देना होगा। इसके लिए वाट्सअप सेटिंग में एक टैब उपलब्ध कराना होगा। भविष्य में होने वाले सभी पालिसी अपडेट्स में भी इन नियमों का पालन करना होगा।

विज्ञापन बाजार तक आसान पहुंच : सीसीआइ द्वारा फेसबुक और वाट्सअप की पैरेंट कंपनी मेटा पर अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग पर लगे जुर्माने को भारतीय आइटी कंपनियों और मीडिया जगत में बड़ी पहल के नजरिए से देखा जा रहा है। इसका यूजर पर कितना और क्या असर होगा इसके आकलन से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह नौबत क्यों आई? दरअसल, वाट्सअप अपने 'यूजर डाटा' को मेटा की दूसरी कंपनियों फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ उसे साझा कर देता है। इसके जरिए वह विज्ञापन बाजार के लिए बहुपयोगी बना हुआ है। उसने 'क्लिक टू वाट्सअप विज्ञापन' के जरिए विज्ञापन क्रिएट करने और उसे लाखों यूजर तक पहुंचाने का सरल तरीका भी विकसित कर रखा है। इसके लिए मेटा विज्ञापनदाताओं से अच्छा-खासा शुल्क वसूलती है। बदले में वाट्सअप पर बिलक करने वाले विज्ञापनों को फेसबुक और इंस्टाग्राम के न्यूज फीड, स्टोरीज और मार्केटप्लेस पर रखा जाता है। इससे उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग में व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। रील्स, लाइव, स्टेटस, चैनल पर छोटे-छोटे कंटेंट के बिजिटर्स और यूजर इसे प्रवाह देते हैं।

यूजर्स को दिया गया विकल्प : इसमें यूजर डाटा की सुरक्षा और उसके अन्य जगहों पर इस्तेमाल का सवाल भी जुड़ा हुआ है, जिसके दुरुपयोग की शिकायतें मेटा के अस्तित्व में आने से पहले ही साल 2016 से मिलने लगी थीं। अगस्त, 2016 में पिछली गोपनीयता नीति के तहत वाट्सअप यूजर्स को यह तय करने का विकल्प दिया गया था कि वे अपना डाटा फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं। अधिकांश ने डाटा शेयर पर सहमति जताई थी। जनवरी 2021 में नई प्राइवेसी पालिसी आने के बाद वाट्सअप ने यूजर्स की इस अपडेट के बारे में जानकारी देना शुरू किया था। उसके इन-एप नोटिफिकेशन में बताया गया कि आठ फरवरी 2021 से लागू शर्तों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। इस पालिसी को आलोचना हुई और कई यूजर सिग्नल और टेलीग्राम जैसे अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर चले गए। तभी वाट्सअप ने इस बारे में एक ब्लाग पोस्ट के जरिए स्पष्टीकरण दिया कि उसकी नीति किसी भी तरह से दोस्तों या परिवार के साथ यूजर के संदेशों की गोपनीयता को प्रभावित नहीं करता है। इस अपडेट में डाटा कलेक्शन का दायरा बढ़ाते हुए मेटा की कंपनियों के साथ डाटा शेयरिंग को अनिवार्य किया गया था।

बाद में हटाया विकल्प : उसके बाद से 2021 में वाट्सअप ने सभी यूजर के लिए मेटा के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य करते हुए 'आप्ट-आउट' यानी बाहर निकलने का पिछला विकल्प हटा दिया था। नतीजन यूजर को प्लेटफार्म का उपयोग जारी रखने के लिए नई शर्तों को स्वीकार करना पड़ा, जिसमें मेटा के साथ डेटा साझा करना शामिल था। इसकी जांच के सिलसिले में आयोग ने पाया कि नेटवर्क प्रभावों और प्रभावी विकल्पों की कमी को देखते हुए 2021 का अपडेट यूजर को अनुपालन करने के लिए मजबूर करता है। यह उनकी स्वायत्तता को कम करता है और मेटा की प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करता है। इस आधार पर आयोग ने पाया कि मेटा (वाट्सअप के माध्यम से) ने अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(आई) का उल्लंघन किया है।

इसके अलावा वाट्सअप सेवा प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मेटा कंपनियों के बीच वाट्सअप यूजर्स के डाटा को साझा करन मेटा के प्रतिद्वंद्वियों के लिए प्रवेश बाध पैदा करता है। इस प्रकार से दूसरों को विज्ञापन बाजार में पहुंच से वंचित करता है। बरहराल, मेटा और सीसीआइ के आमने-सामने आने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर डाटा स्टोरेज को लेकर फिर से नई उलझनें खड़ी हो गई हैं।

मेटा और गूगल की हो रही मोटी कमाई

भारत में गूगल और मेटा की दखलंदाजी किसी दादागिरी से कम नहीं कही जा सकती। वे यहां की मीडिया के कंटेंट के बूते करोड़ो डालर की कमाई कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या वाट्सअप, या फिर सर्च इंजन गूगल (अब एआइ जैमिनी तकनीक के साथ) ने न्यूज-फीचर कंटेंट तैयार करने वाले पारंपरिक मीडिया संस्थानों की कमाई में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। पारंपरिक मीडिया संस्थानों के विज्ञापन कम होते जा रहे हैं, जबकि इन तकनीकी कंपनियों के पास मोटे मुनफे वाले विज्ञापनों का अंबार लगा हुआ है। उनके पास देसी-विदेशी उत्पादों, ई-कामर्स, बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनियों, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और आइटी क्षेत्र के उत्पादों के विज्ञापनों की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है। इसका अंदाजा किसी भी लाखों ब्यूअर्स और यूजर्स वाले वेबपोर्टल को देखकर पता चल जाता है। कइयों के होम पेज और कंटेंट विज्ञापनों से ढके होते हैं। यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर जाइये, महज कुछ सेकेंड के बाद कम से कम 10 सेकेंड का विज्ञापन आता ही है।

इन कंपनियों के दबदबे के आगे पारंपरिक मीडिया कंपनियों के लिए भी अपनी खबरों को अधिक से अधिक डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने की मजबूरी हो गई है। प्रकाशक इनके प्लेटफार्म से ही पाठकों को वेबसाइट तक लेकर आते हैं। गूगल और फेसबुक पर आधे से ज्यादा लोग समाचार तलाशते हुए न्यूज वेबसाइटों तक पहुंचते हैं। गूगल और फेसबुक अपने प्लेटफार्म पर आ रहे यूजर, जिसमें न्यूज पाठक भी होते हैं, उसे अच्छी तरह भुनाते हैं। वे इसे मानीटाइज करते हैं। इसके साथ ही उनका डाटा जुटाकर उससे संबंधित विज्ञापन का लक्ष्य साधते हुए उपयोग करते हैं। विज्ञापनदाताओं को उनके उत्पादों की बृहद पहुंच का दावा कर मोटी राशि बसूलते हैं। इस तरह उनकी कमाई अरबों में होने लगी है। भारत में गूगल की आमदनी लगातर बढ़ रही है। मार्च 2024 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में गूगल के शुद्ध मुनफे में 6.1 की बढ़ोतरी हुई थी और यह बढ़कर 1,424.9 करोड़ हो गया था। इस तरह से गूगल की कुल आमदनी लगातर बढ़ रही है। मार्च 2024 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में गूगल के शुद्ध मुनफे में 6.1 की बढ़ोतरी हुई थी और यह बढ़कर 1,424.9 करोड़ हो गया था। इस तरह से गूगल की कुल आमदनी 7,097 करोड़ रुपये हो गई थी। यही नहीं, मेटा का भी भारत में जबरदस्त मुनफा बढ़ा है। वर्ष 2024 में मेटा इंडिया के विज्ञापन राजस्व में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह बढ़कर 22,730 करोड़ हो गया। यानी ये कंपनियां बगैर किसी भी तरह के प्रकाशन संबंधी संसाधन जुटाए केबल इंटरनेट और सर्वर तकनीक की ताकत के बूते ही कमाई कर रही हैं।

वहीं दूसरी ओर भारत में पारंपरिक मीडिया संस्थानों की शिकायत रही है कि समाचारों को संकलित करने, उसे संपादित और प्रकाशित करने में काफी श्रम और पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें विज्ञापनों से होने वाली आमदनी उन दोनों कंपनियों के हवाले से ही होती है, जिसकी बड़ी राशि उन्हीं के पास चली जाती है। इस तरह से वे कंपनियां मिलने वाले विज्ञापन की आमदनी में हक मार रही हैं। इस बदलाव का असर स्वतंत्र कंटेंट के क्षेत्र में क्रिएटिव काम करने वाले लोगों पर भी हुआ है। वहीं, मेटा कंटेंट से कमाई करने के नए-नए तरीके अपना रहा है। रील्स, लाइव, ग्रुप, एक क्रिएट करने जैसी काम लोगों को जुबान पर चढ़ चुके हैं। गोब-कस्बे तक लोगों में बायरल का बुखार चढ़ चुका है। फेसबुक इंडिया आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भारत में ग्राहकों को विज्ञापन बेचने और मेटा प्लेटफार्म्स इंक को आइटी-सक्षम सहायता सेवाएं और डिजाइन सहायता सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में भी सक्रिय है। इसके लाभ में उसे पिछले बित्त वर्ष (2023-24) में 43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 504.9 करोड़ रुपये की हुई थी।

उल्लेखनीय है कि भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है। यहां उसके एक अरब से अधिक यूजर्स हैं। इसकी आमदनी 'क्लिक टू वाट्सअप' विज्ञापनों के कारण पिछले एक साल में दुगुनी हो गई है। ऐसे में भारत सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए, ताकि कंटेंट के मूल रचनाकार को भी लाभ में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके।

(शंभु सुमन)

खरी-खरी

ईमानदारी...

अतुल वर्तुकैंडे

ईमानदारी किसी समय उच्चतर वैयक्तिक गुण होता था, लेकिन आजकल इसे दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है। जो ईमानदार है, वह न घर का रहता है, न घाट का। न घर वाले उसकी इज्जत करते हैं, न ही कार्यालय के सहकर्मी। ईमानदार आदमी के साथ यह भी संकट है कि युग के इस भौतिकवादी चक्रव्यूह में वह अकेला अभिमन्यु सा खड़ा है और नियति उसका वध है। पुराने जमाने में ईमानदार आदमी को बहुत इज्जत हुआ करती थी। कोई उसके मकान या उसके कपड़ों से मूल्यांकन नहीं करता था, बल्कि उसकी सख्त होती थी समाज में। परंतु इन दिनों ऐसा नहीं है।

ईमानदारी का दूसरा बड़ा संकट यह है कि ईमानदार को यह विश्वास होता है कि केवल वही दुनिया में इकलौता ईमानदार है और बाकी सब बेईमान हैं। वह पूरी दुनिया को शक के चश्मे से देखने लगता है। यहीं उसकी केमिस्ट्री और ब्योरो गड़बड़ा जाती है। ईमानदारी एक जुनून और सनक बन जाती है। ईमानदार आदमी अलग थलग कर दिया जाता है आफिस या समाज में। वह एक ऐसा बायरस है जिसकी वजह से कार्यालय का समूह कल्चर बिगड़ रहा है, कर्मचारियों को चाय समोसे तक जेब से मंगाने पड़ रहे हैं। मिठाई और कुछ पीने पिलाने का दौर तो कहानी हो गई। ऐसा नकारा अफसर किस काम का जो तनिक भी प्रैक्टिकल न हो। समय की नजाकत को न समझता हो।

ईमानदार भी कई किस्म के होते हैं। वे आते तो हैं ईमानदारी का ढोल पिटते हुए, परंतु यह ढोल दूसरों को दिखाने, चमकाने के लिए ही होता है। स्वयं इसका पालन अनिवार्य नहीं होता। उन्हें दूसरे दल या संस्थान के लोग ही बेईमान दिखते हैं, अपने दल के सब ईमानदार। देखा गया है कि सत्ता की आंख में ऐसी ही रतौंधी होती है हमेशा। कोई यदि घोर भ्रष्टाचारी होता भी है तो उनके दल रूपी वाशिंग मशीन में आकर रातोंरात ईमानदार हो जाता है। आखिर सर्वेगुणा सनाम आखिर। सत्ता जिसे चाहे बेईमान साबित कर सकती है और किसी महाबेईमान, महान पातकी के सब दोष धो सकती है। शक्ति और सत्ता एक तरह का पारस पत्थर है जिसे छूते ही हर दोष गुणों में तब्दील हो जाता है।

पोस्ट

केवल तुकाराम ओंबले की वजह से ही दुनिया यह जान सकी कि 16 वर्ष पहले 26/11 को मुंबई में धावा बोलने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। वह न होते तो एक इकोसिस्टम को भिन्न-भिन्न नैरेटिव पेश करने के लिए खुली छूट मिल गई होती। शिव अरूर@ShivAroor

पृथ्वी शा को आइपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी कहानी बहुत निराशा करने वाली है। उन्होंने एक समय तेंदुलकर, सहवाग और लारा जैसी प्रतिभा दिखाई और शुभमन गिल से पहले भारतीय टीम में जगह बनाई। उसके बाद उनकी गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर गई। सुजीत सुमन@sujeetsuman1991

बांग्लादेश में हिंदुओं के हितों की आवाज बने थे चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी निंदनीय है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा जारी है, पर नई सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। एक समय पीएम इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाकर वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उसी तरह भारत सरकार को हस्तक्षेप कर वहां रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अशोक गहलोत@ashokgehlot51

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के वेगुंत में नजर आ रही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या अदानी मामले में जेपीसी गठन की विपक्ष की मांग सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सेक्युलर को दिखता नहीं जलता बंगलादेश,
बस रंभाते पर झड़ते दिनोरात उपदेश।
दिनोरात उपदेश स्वयंही आगे लगाएं,
जब वे पीटें लाय वेजड़ शोर मचाएं।
करे शांति की बात हाथ में लेकर पत्थर,
पर ऐसों को देख रहे चुप हरदम सेक्युलर!

मध्य प्रदेश डायरी

संजय मिश्र
स्थानीय संपादक,
नवदुनिया

दो सीटों के उपचुनाव परिणाम में छिपे कई संदेश

मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को आए बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम ने भाजपा के सामने नई चुनौती पेश की है। भले ही भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला एक-एक से बराबरी का रहा, लेकिन परिणाम का संदेश एक तरह से भाजपा के खिलाफ है। कांग्रेस विजयपुर सीट पर मिली जीत से गदगद है तो बुधनी में हार-जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले 87 प्रतिशत कम करने को भी अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि विजयपुर की प्रतिष्ठापरक सीट पर डा. मोहन यादव सरकार के कम मंत्री रामनिवास रावत की हार हो गई। वह भी तब, जब भाजपा संगठन और सरकार ने उनकी जीत के लिए पूरा जोर लगा रखा था। रावत के पक्ष में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिष्णुदत्त शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर सहित अनेक नेताओं ने मोर्चा संभाला लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं रहा। रावत भी कोई नए नवेले नेता नहीं हैं। विधानसभा के आठ चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर छह बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। चंबल की राजनीति में उनकी अलग ही पहचान है। उनके भाजपा में आने के बाद उपचुनाव में मिली हार ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से रावत के खिलाफ लड़ते रहे भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेता भी बेमन से ही साथ दिखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनके प्रचार में आए ही नहीं। माना गया कि वह उनसे नाराज थे, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तब रावत ने साथ नहीं दिया था। यही कारण है कि रावत अंत तक जोर लगाने के बाद भी हार गए।

दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान मुरैना संसदीय सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत को पार्टी में लिया था। निश्चित तौर पर

रामनिवास रावत। फाइल

रमाकांत भार्गव। फाइल

यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल कानून के अंतर्गत कार्रवाई के लिए रावत की सदस्यता समाप्त करने का आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया। इस पर कार्रवाई होती, इसके पहले रावत ने आठ जुलाई 2024 को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। उसके तत्काल बाद मोहन सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर वन विभाग का दायित्व दिय गया। उपचुनाव को लेकर उनकी पसंद के अधिकारी गृह जनसंपर्क श्योपुर में तैनात किए गए। इस बीच कांग्रेस भी रावत को पार्टी छोड़ने की सजा दिलवाने के लिए जनता के बीच तत्परता से जुट गई। क्षेत्र के जातीय समीकरणों को देखते हुए उसने आदिवासी समाज के मुकेश मल्होत्रा पर दांव लगाया। मल्होत्रा 2023 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके थे और तीसरे नंबर पर आए थे। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में रावत की हार से यह साफ हो गया कि भले ही प्रदेश में भाजपा का संगठन मजबूत है, लेकिन कार्यकर्ता बाहरी व्यक्तियों के साथ एकरस नहीं हो पा रहे हैं। विजयपुर के परिणाम से सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का विधानसभा की सदस्यता छोड़ने का मामला भी अधर में अटक सकता है, क्योंकि उनके भी भाजपा में आने से कार्यकर्ता सहज नहीं हैं। अभी से वहां संघर्ष की स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने सप्रे के खिलाफ भी विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई का आवेदन दे रखा है।

दूसरी तरफ बुधनी विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का मात्र 13,901 मतों के अंतर से जीतना भी राजनीतिक विश्लेषकों के साथ भाजपा को भी चौंका रहा है। बुधनी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। वह यहां से छह बार विधायक रहे। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस क्षेत्र में खूब काम किए। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वह एक लाख चार हजार से अधिक मतों के अंतर से जीते। उन्हीं के त्यागपत्र से यहां उपचुनाव कराया गया। भार्गव उनके भरोसेमंद माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की सहमति से ही भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, लेकिन स्थानीय स्तर पर भार्गव की प्रत्याशिता के विरोध के स्वर भी उठे। दो महत्वपूर्ण नेताओं ने तो उनके समर्थन में हुई कार्यकर्ता बैठक में भाग तक नहीं लिया। प्रत्याशी बनने के बाद भार्गव के लिए पहली चुनौती पार्टी के ही पुराने नेताओं को साधने की थी। दूसरा किसर समाज का स्वर पाने की चुनौती भी बड़ी थी। कांग्रेस ने बुधनी से इस बार अपने अनुभवी नेता राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया, जो किसर समाज से आते हैं। राजकुमार पटेल और उनके भाई देवकुमार पटेल दोनों ही यहां से विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव में कांटे के मुकाबले में भार्गव जीत तो गए, लेकिन भाजपा के मतों में भारी गिरावट आ गई। शिवराज की तुलना में उनकी जीत का अंतर 87 प्रतिशत घट गया। स्वयं पार्टी के रणनीतिकार समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इस सीट पर जीत का अंतर इतना घट गया।

हिमाचल प्रदेश डायरी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक,
हिमाचल प्रदेश

संगठन के चुनाव में सरकार का जश्न

'संबंध नहीं, योग्यता से ही मिलेगा पद, एक व्यक्ति-एक पद पर हो रहा विचार, पार्टी में अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण पद देने की तैयारी' ये शब्द उन फलों की तरह होते हैं, जो राजनीतिक दलों के संगठनिक चुनाव के मौसम में अक्सर दिखाई देते हैं। वास्तव में, यह कह कर दल भविष्य के लिए मार्ग तो घोषित करते हैं, किंतु इसी के माध्यम से स्वीकारोक्ति भी होती है कि हां, अब तक हम ऐसा कर नहीं पाए थे। अंततः होता वही है जो किया जाना होता है। जो जिम्मेदार बनाए जाते हैं, कालांतर में वही योग्य करार पा जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा दोनों ही संगठन चुनाव में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हैं। एक प्रयोजन यह है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर बिलासपुर में 11 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाए। दूसरा यह है कि केंद्र से मंदद मांगी जाए। प्रसंगवश, डबल इंजन का अर्थ यहीं समझ आता है कि प्रदेश में हाल ही में केंद्रीय दल जून, जुलाई में हुई आपदा का जायजा लेकर लौटा है। कोई अन्य राज्य होता तो आवश्यकता पहले पूरी होती और मूल्यांकन बाद में होता।

दो वर्ष वाले कार्यक्रम को सरकार जश्न मान कर चल रही है। विभिन्न योजनाओं के पांच लाख लाभार्थी भी कार्यक्रम में बुलाए जाएंगे। भाजपा कह रही है कि ऐसा क्या कर दिया है कि जश्न मनाया जाए। भाजपा सच कह रही है या अन्यथा, बात यह नहीं है, बात यह है कि ऐसा कहना विपक्ष का राजनीतिक कर्तव्य है। वास्तविक सरोकार तो कांग्रेस के भीतर का अधोषित विपक्ष है। पहले, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री

शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सह प्रभारी विदित चौधरी (बाएं से दूसरे) का स्वागत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। फाइल

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें दो वर्ष के समारोह की जानकारी मीडिया से ही मिली है। उसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह विषय जीभभ्रू सिंह के आवास और सीएम के सरकारी आवास के बीच संवादहीनता का है या व्यस्तता का। शायद धुंध के कारण संदेश स्पष्ट नहीं आ-जा रहे हैं। धुंध के कारण कहीं से यह हवा उड़ रही है कि एक व्यक्ति एक पद पर चलेंगे, मंत्रियों को हटाया जाएगा। जब मंत्रियों को हटाए जाने की अपुष्ट चर्चा छिड़ी तो विक्रमादित्य सिंह ने भी फेसबुक फिर जय श्रीराम का स्टेटस पोस्ट कर दिया। कांग्रेस के अंतःपुर में जब-जब टकराहट होती है, जय श्रीराम की पताका विक्रमादित्य सिंह के इंटरनेट मीडिया मंच पर लहराने लगती है। सच यह है कि श्रीराम सबके हैं, इसलिए क्या आपत्ति हो सकती है। कम शब्दों में कहें तो यह शह-मात के संकेत हैं।

आलाकमान के दूत विदित चौधरी और चेतन चौहान शिमला आकर कांग्रेस और उसके समवैचारिक संगठनों के महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर के लोग कुछ बिंदु बता रहे हैं। पहला, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की परंपरा से जुड़ी है। यानी सरकार तो चल ही रही है, संतुलन बनाना है तो दूसरे गुट से प्रदेशध्यक्ष बनाया जाए। इसके पीछे ऐसी विद्युत का प्रबंध करना है जो घर्षण से उत्पन्न होती है। इस प्रयोग में कई बार घर्षण इतना हो जाता है कि ऊर्जा नहीं बनती। दूसरा यह कि प्रतिभा सिंह के कार्यकाल में दो वर्ष में ऐसा क्या हुआ जो उल्लेखनीय हो। यहां तक कि उनका रुतबा बेटे की मंडी में नहीं जितवा सका। एक गुट यह विचार प्रकट कर रहा है कि बोरभ्रू सिंह की राजनीतिक विरासत की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार हो।

जो भी हो, निर्णय पार्टी को ही करना है, लेकिन पर्याप्त संकेत इस बात से भी मिलेंगे कि 11 दिसंबर को सरकार के बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस का प्रथम परिवार आता है या कांग्रेस के सार्वजनिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आते हैं?

'इंटेलिजेंस' गंवाई, एक करोड़ रुपये भी : इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी से कहीं तेज निकली इंटरनेट मीडिया पर उन्हें मिली एक मित्र। आभासी परिचय हुआ और नौ माह में सेवानिवृत्त अधिकारी कंगाल हो गए। आरंभ में प्रेमपूर्वक अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ और अधिकारी को कहा गया कि वह भी बिलासितापूर्ण जीवन शैली का आनंद उठाएं। कैसे? इस प्रश्न पर अधिकारी को उपहार भेजने की बात हुई। फिर सीमाशुल्क का संदर्भ आया। महोदय ने 40 लाख रुपये डाल दिए। अंश्रि खुली तो पैसा वापस दिलाने के नाम पर शातिरों ने ही 60 लाख लूट लिए जो जिम्रों से उधार लेकर दिए थे। लालच में लुटने वाले प्रतिष्ठित लोगों में वही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, बैंक अधिकारी भी हैं। यह अकारण नहीं कि हिमाचल प्रदेश के साइबर थाना मध्य खंड मंडी में 11 माह में 46 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 10 करोड़ की राशि ठगी गई है। यह पुनर्विचार का समय है कि मुट्ठी में उंगिन्ना है या प्रमाद और लालच से भड़कने वाला बारूद।

हिन्दुस्तान
1936

बाल विवाह मुक्ति

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत बहुत सुखद और स्वागतयोग्य है। बाल विवाह रोकने के तमाम कार्यों, योजनाओं और कानूनों के बावजूद अगर कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो जाहिर है, एक विशेष अभियान छेड़कर केंद्र सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। इसमें कोई शक नहीं कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा और इसके लिए किए गए प्रयास बहुत हद तक सफल रहे हैं, पर यह बड़े अफसोस की बात है कि आज भी देश में हर पांच में से एक लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। किसी शहर में अगर एक विवाह सत्र में 1,000 शादियां होती हैं, तो उनमें से 200 शादियों में दुल्हन की उम्र शादी लायक वैध नहीं होती। बाल विवाह की यह बड़ी संख्या है, जिसकी चिंता करके केंद्र सरकार ने जरूरी सामाजिक सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को यह भी बताया कि पिछले एक साल में लगभग दो लाख बाल विवाह रोके गए हैं। मतलब, सामाजिक संस्थाएं और पुलिस काम तो कर रही है, पर मंजिल अभी दूर है।

यह सुखद बात है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए उन्होंने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 2029 तक बाल विवाह की दर को पांच प्रतिशत से नीचे लाने के मकसद से विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह किया है। सनद रहे, बाल विवाह की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश में है। देश में 300 ऐसे जिले हैं, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है, लोग बेटियों का जीवन तो बचा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा भी देने लगे हैं, पर उन्हें अधिक पढ़ाने और आगे बढ़ाने पर उनका ध्यान नहीं है। बेटियों की जब कम उम्र में शादी होती है, तो श्रम बल के रूप में न केवल उनकी उत्पादकता, बल्कि देश की क्षमता पर भी असर पड़ता है। पढ़ी-लिखी लड़की अगर समय से ब्याही जाए, तो वह परिवार और समाज के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। कम उम्र में विवाह से न केवल संतानों की गुणवत्ता, बल्कि परिवार की आर्थिक-सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता पर भी असर पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने उचित ही कहा है कि बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन और कानून के तहत अपराध है। अच्छी बात है, सरकार ने अब एक तरह से मान लिया है कि कानून को जितना काम करना था, उसने किया, इसके आगे अब विशेष अभियान की जरूरत है। बाल विवाह रोकने के लिए अकेले कानून के भरोसे न बैठते हुए ठोस प्रबंध करने पड़ेंगे।

हर पांच में से एक लड़की का बाल विवाह हो रहा है। इसे रोकने के लिए अभियान जरूरी है। यहां महज कानून के भरोसे न बैठते हुए, ठोस प्रबंध करने पड़ेंगे।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाल विवाह दर में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक गिरावट दक्षिण एशियाई देशों में देखी गई है, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए अभियान के तहत बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के जरिये बाल विवाह के विरोध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। बाल विवाह की स्थिति में यहां शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। इससे कार्य प्रगति की निगरानी भी की जाएगी। बेशक, अगर इस पोर्टल को सही ढंग से चलाया गया, गांवों और पंचायतों से जोड़ लिया गया, तो यह बाल विवाह के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। यह निर्विवाद है कि देश को विकसित बनाने के लिए महिलाओं की पूरी शक्ति का उपयोग जरूरी है और महिला शक्ति बढ़ाने के लिए बाल विवाह को रोकना ही होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 नवंबर, 1949

संविधान पर अंतिम मुहर

जिस सप्ताह को भारतीय जनतंत्र के महान विधान को अंतिम रूप से स्वीकृत होते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, उसके प्रारम्भ से जितनी ईर्ष्या की जाये, उतनी ही कम है। नवरात्र के अमर इतिहास में यह सप्ताह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा और उसकी अंतिम तिथि, शनिवार, २६ नवम्बर का जन्म-जन्मांतर तक अपार हर्ष और उल्लास के साथ स्मरण किया जायेगा, क्योंकि इसी दिन प्रातःकाल ११ बजकर १० मिनट पर भारतीय विधान परिषद के सदस्यों ने तुमुल करतल-ध्वनि के मध्य अपने जनतंत्रीय विधान को स्वीकृत कर लिया और दो ही मिनट पश्चात परिषद के अध्यक्ष, माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के उस पर हस्ताक्षर कर दिये। विधान स्वीकृत किये जाने से कुछ ही क्षण पूर्व राजेन्द्र बाबू ने साभिमान खड़े होकर गद्‌गद् स्वर में कहा- ''आइये, आज हम अपने स्वतंत्र जनतंत्र के संचालन का यह नया कार्य विश्वास, सत्य और अहिंसा की भावनाओं के साथ, साहसपूर्वक परमपिता परमात्मा की छत्रछाया में आरम्भ करें।'' कहने की आवश्यकता नहीं कि इन शब्दों में भारत की पुरातन परम्परागत संस्कृति सन्निहित है और उनकी गूंज के समाप्त होने से पूर्व ही विधान का स्वीकृत कर लिया जाना इस बात का द्योतक है कि पूज्य बापू ने देश की सोती हुई जनता को सत्य, अहिंसा और भक्ति के जो पाठ स्मरण कराये थे, वह उनके पार्थिव शरीर न रहने पर भी बदली नहीं है और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने राष्ट्रीय जीवन में इन्हें अंगीकार करने को उद्धत है।

विधान की भूमिका में लिखा है- ''हम भारत के निवासी, जिन्होंने देश को एक सार्वभौम जनतंत्र का रूप देने का तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, विचार, भाषण, विश्वास और अर्चना की स्वतंत्रता प्रदान करने, समान पद व अवसर देने, परस्पर भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित करने तथा व्यक्ति की मर्यादा एवम राष्ट्र की समन्वित शक्ति की रक्षा करने का संकल्प किया है, आज २६ नवम्बर, १९४९ को अपनी विधान परिषद में इस विधान को बनाते और स्वीकार करते हैं।'' इस भूमिका से ही यह बात कांच की तरह साफ हो जाती है कि भावी भारत के शासन की शक्ति उसकी जनता में निहित है और उसी जनता के प्रतिनिधि, जनता की ओर से, जनता के लिए राजकाज का संचालन करेंगे।

पश्चिम एशिया में हो टिकाऊ समझौता

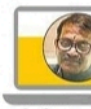

खबर सोच करें

अश्विनी महापात्र | प्रोफेसर, जेएनयू

जब तक इजरायल-हमास के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता, तब तक हिजबुल्लाह की सक्रियता खत्म नहीं हो सकती, इसलिए नया संघर्ष-विराम समझौता बहुत उम्मीद नहीं जगाता।

इजरायल और लेबनानी उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह के बीच बीते करीब 14 महीने से जारी संघर्ष को रोकने पर बनी सहमति का सभी देश भले स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत उम्मीद नहीं जगाती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तो इस समझौते को 'तनाव का स्थायी अंत' बता रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का इतिहास यदि खंगालें, तो यही जान पड़ता है कि वह कूटनीतिक तौर पर कुछ कदम पीछे जरूर हट रहा है, लेकिन अपनी ताकत जुटाकर वह फिर से इजरायल पर हमला बोल सकता है।

वास्तव में, हिजबुल्लाह का अस्तित्व ही इजरायल पर हमले से जुड़ा हुआ है। 1980 के दशक में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान इस गुट का जन्म हुआ है और इसने यहां आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से हाशिये पर पड़ी शिया आबादी को संगठित करने का काम किया। इसकी मांग शिया समुदाय की राजनीति में समान भागीदारी तो रही ही, साथ ही वह इजरायल पर 1985 तक लगातार हमला करता रहा, जब तक कि इजरायल ने अपनी फौज वापस नहीं बुला ली। इस संगठन को ईरान का साथ हासिल है। दक्षिण लेबनान हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है, जहां से उत्तरी इजरायल काफी नजदीक है और बसावट भी वहां काफी ज्यादा है।

साल 1992 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद हिजबुल्लाह ने संसदीय राजनीति में प्रवेश किया और 128 सीटों वाली असेंबली में इसने आठ सीटें जीतीं। इस तरह एक उग्रवादी समूह ने राजनीतिक चोला पहन लिया। इजरायल ने हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पीछे धकेलने के लिए 1992 और 1996 में हमले किए, मगर नतीजा सिफर रहा। हालांकि, जुलाई 2006 में तीन इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद इसने हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई शुरू की, जो 34 दिनों तक चली। इस संघर्ष में इजरायल ने 258 लड़ाकों के मारे जाने की सूचना दी थी। इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कर यह तय किया गया कि लिटानी के दक्षिणी हिस्से में 'नॉन स्टेट एक्टर्स' को जगह नहीं मिलेगी। नतीजतन, हिजबुल्लाह पीछे तो हटा गया, लेकिन ईरान की सहायता से उसने सुरंगों का निर्माण जारी रखा और ढेर सारे हथियार व मिसाइलें जुटा लीं। माना जाता है कि इसके पास करीब 50 हजार लड़ाकों की फौज है, जिनमें से 20 हजार सक्रिय हैं और 30 हजार रिजर्व। चूंकि बाद के वर्षों में लेबनान के अंदर सुन्नी जैसे अन्य तमाम गुट कमजोर पड़ते गए, इसलिए हिजबुल्लाह को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला और वह यहां का एक प्रभावशाली खिलाड़ी बन गया। उसे एहसास है कि जब तक वह इजरायल पर हमले करता रहेगा, उसकी अहमियत बनी रहेगी, इसलिए वह वक्त-वक्त पर अपनी मंशा जाहिर करता रहा है।

इसके जवाब में इजरायल भी अपनी कमर कसता रहा है। सन् 2006 की जंग में तो उसने इसे काफी नुकसान पहुंचाया था। फिर भी, वह इसे हल्के में नहीं लेना चाहता। पिछले दिनों जिस तरह से उसने रणनीतिक तौर पर पेजर विस्फोटों या लक्षित हत्याओं के जरिये हिजबुल्लाह के कमांडरों एवं लड़ाकों को निशाने पर लिया, वह संकेत था कि उसने इसके खिलाफ मोर्चाबंदी कड़ी कर दी है। हिजबुल्लाह फिलहाल इसी मोर्चेबंदी से घबराकर संघर्ष-विराम कर रहा है। यह उसके लिए मजबूरी में उठाया गया कदम हो सकता है। वास्तव में, वह पहली बार इतना कमजोर दिख भी रहा है। राजनीति में उसकी भागीदारी सिमट गई है, उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो गई है, पिछले दिनों ईरान पर हुए हमले के बाद तेहरान ने भी इस पर दबाव बढ़ा दिया है, नतीजतन वह धारणा बनने लगी है कि हिजबुल्लाह अब इजरायल को नहीं 'संभाल' सकता। इसलिए हिजबुल्लाह इस धारणा को तोड़ने की कोशिशें कर सकता है, जिसकी कुछ वजहें भी हैं।

पहली, इजरायल के साथ उसका लड़ना जरूरी है, क्योंकि इसी से उसका अस्तित्व बचा रह सकता है। दूसरी, उसे इसलिए भी लड़ना होगा, क्योंकि उसकी फौज कमजोर हो गई है और 50 हजार लड़ाकों के अपने सैन्य ढांचे को कायम रखने के लिए उसे पैसे चाहिए, जो जंग के बहाने ही उसे मिल सकते हैं। तीसरी, ईरान भी फिलहाल ठहराव की मुद्रा में है, पर वह इसकी ताकत बचाकर रखने का इच्छुक है। चौथी, हिजबुल्लाह की राजनीतिक ताकत इजरायल के साथ जंग पर ही टिकी हुई है और पांचवीं, जो सबसे अहम भी है कि इस संघर्ष-विराम समझौते में हमास की कोई चर्चा नहीं की गई है। समझौते में फलस्तीन का जिक्र न होना हिजबुल्लाह को उत्तेजित कर सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पश्चिम एशिया एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हरेक मुद्दे एक-दूसरे से बुरी तरह नत्थी हैं और सबके मूल में फलस्तीन है। लिहाजा, जब तक इजरायल-हमास के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता, हिजबुल्ला की सक्रियता खत्म सकती है, पर खत्म नहीं हो सकती और इसलिए पश्चिम एशिया में स्थायी शांति भी नहीं आ सकती।

रही बात भारत की, तो इस पूरे मसले में नई दिल्ली की भूमिका बेहद सीमित है। इस संघर्ष-विराम समझौते को अंजाम देने में अमेरिका और फ्रांस पूरी शिद्दत से लगे हुए थे। लिहाजा, भारत ज्यादा से ज्यादा इसमें बतौर शांति-सैनिक अपनी भूमिका निभा सकता है। हालांकि, सच यह भी है कि दोनों पक्ष भले ही हम पर विश्वास करते हों, लेकिन संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की भूमिका बहुत सीमित होती है। फिर, लेबनान एक ऐसा देश है, जहां राजनीतिक अस्थिरता काफी अरसे से है। वहां बीते कई वर्षों से कोई राष्ट्रपति तक नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में है। देखा जाए, तो यह देश वास्तव में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। साल 2012-13 में जब मैं बेरूत गया था, तब यहां की दीवारों पर 'हू इज लेबनीज' यानी 'कौन हैं लेबनानी' जैसे नारे मुझे पढ़ने को मिले थे। इसका सीधा मतलब है कि इस देश और यहां के लोग अब तक अपनी पहचान के लिए भी जूझ रहे हैं।

हालांकि, इस संघर्ष-विराम को बनाए रखने का दबाव भी लेबनान पर खूब होगा, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे इस देश को तभी विश्व बिरादरी की तरफ से आर्थिक मदद मिल सकती है, जब वहां कोई स्थिर सरकार बने। इसका अर्थ है कि हिजबुल्लाह जैसे 'नॉन स्टेट एक्टर्स' को किनारे करना ही होगा। मगर सवाल यही है कि क्या ये 'नॉन स्टेट एक्टर्स' शांत हो सकते हैं? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कृषि उत्पादन और पोषकता को प्रभावित करता प्रदूषण

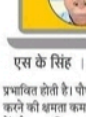

खबर सोच करें

एस के सिंह | कृषि वैज्ञानिक

इन दिनों दिल्ली में एक्यूआई जहां 400 के पार पहुंच जा रहा है, तो पटना में 300 के पार और पूसा, समस्तीपुर जैसी जगहें भी हैं, जहां एक्यूआई 200 के आसपास चल रहा है। एक ही प्रदेश में कुछ जगहों पर ज्यादा प्रदूषण और कुछ जगह कम है। वैसे उत्तर भारत में कम या ज्यादा, लगभग हर जगह प्रदूषण चोट कर रहा है, जिसका असर जाहिर है, फसलों और कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। इस तरह के प्रदूषण का ज्यादा असर सब्जियों या ऐसे फलों पर पड़ता है, जो कम समय में तैयार हो जाते हैं। आम, लीची जैसे जो पैदावार हैं, कुछ दिनों का प्रतिकूल मौसम झेलकर फिर सुधार कर लेते हैं, जबकि खासकर सब्जियों में प्रदूषण या जलवायु संबंधी किसी गड़बड़ी का तत्काल असर दिखने लगता है।

फिलहाल, उत्तर भारत में धुंध का समय चल रहा है, यह भी प्रदूषण की वजह से ज्यादा हो रही है। धुंध की वजह से धरती पर धूप कम समय तक पड़ रही है। इसका प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रकाश जमीन तक कम पहुंच रहा है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है, इससे पौधों के विकास में कमी आती है, क्योंकि पौधे प्रकाश के अभाव में भोजन नहीं बना पाते हैं।

खुले आसमान तले ही खेती को सरल और किफायती रखना होगा, ताकि खाद्य जरूरतें कम खर्च में आसानी से पूरी हों।

प्रदूषण में पत्तियों को नुकसान होता है। वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाई-ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड और ओजोन से पत्तियों की सतह को क्षति पहुंचती है। ये फसलों में क्लोरोफिल की कमी, पत्तियों के मुरझाने और समय से पहले गिरने का कारण बनती हैं। पौधा अपना भोजन ठीक से नहीं बना पाता है।

फल और सब्जियों पर प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी गुणवत्ता पर पड़ता है। प्रदूषण से पोषक तत्वों की कमी, स्वाद में बदलाव और बाजार में मांग में कमी हो जाती है। फल के आकार, प्रकार एवं रंग में भी अंतर आ जाता है। प्रदूषण के कारण नमी और ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ता है, जो फसलों पर फफूंद और बैक्टीरिया जनित रोगों की आशंका बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, आलू, टमाटर में लेट ब्लाइट और गोभी में डाउनी मिल्डयू जैसे रोग अधिक तेजी से फैलते हैं।

पौधे जब उच्च स्तर के प्रदूषक तत्वों जैसे भारी धातु (लेड, कैडमियम) के संपर्क में आते हैं, तो वे जैविक और भौतिक तनाव का सामना करते हैं। यह उनके विकास चक्र को प्रभावित करता है और उपज कम हो जाती है। प्रदूषण से केवल वायुमंडल ही नहीं, बल्कि मिट्टी भी प्रभावित होती है। पौधों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। वायुमंडल और मिट्टी में मौजूद हानिकारक रसायन फलों और सब्जियों में अवशोषित हो जाते हैं। इससे ये मानव उपभोग के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

फसलों को प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए मल्चिंग, जैविक खाद और नेट हाउस जैसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के लिए पहले मिट्टी की कृषि अनुकूल बनाने की चुनौती ज्यादा भी और पिछले वर्षों में आसमान से भी फसलों को बचाने की जरूरत बढ़ी है। आधुनिक कृषि या बागवानी में नेट हाउस या पॉली हाउस का चलन बढ़ा है, पर ऐसी खेती बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती। मिसाल के लिए, कुछ संपन्न किसान पॉली हाउस में टमाटर उगाते हैं। एक ही गुणवत्ता के लाल टमाटर होते हैं, जो डेढ़ी कीमत पर फाइव स्टार होटलों में बिकते हैं। अगर पॉली हाउस बनाकर खेती हो, तो लागत बढ़ जाती है। जाहिर है, कृषि उत्पादों के दाम भी बहुत बढ़ जाते हैं। अतः व्यापक या खुले आसमान तले ही खेती को सरल और किफायती बनाए रखना होगा।

आज किसानों पर जुर्माना लगाया जाता है, पुलिस भी मामला दर्ज कर लेती है, जबकि इससे पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम नहीं हो रही हैं। किसानों को बताने की जरूरत है कि आप पराली जलाकर खुद अपने खेत को बंजर बना रहे हैं। जब किसी खेत में आग लगाई जाती है, तो मिट्टी का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में, मिट्टी में मौजूद जीव या जीवाणु के बचने की संभावना खत्म हो जाती है। पराली से खाद बना लेना या मशरूम की खेती करना या कई अन्य उपयोग भी हैं, जिन्हें आजमाकर किसान प्रदूषण होने के दोष या आरोप से बच सकते हैं। प्रदूषण कम होगा, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को भी हर तरह से लाभ होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शादी के लिए धर्मांतरण

एक युवती ने ईमेल के जरिये पूछा है, 'मैं जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हूं, जहां मुझे एक अहम निर्णय करना है। फिलहाल मैं गैर-धार्मिक हूं (मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था) और पिछले पांच साल से एक मुस्लिम शख्स को डेट कर रही हूं। वह हाल-फिलहाल तक धार्मिक नहीं थे और अब हम शादी करना चाहते हैं, तो मुझे धर्म परिवर्तन करना होगा। मुझे नहीं पता कि यह निर्णय कैसे लूं? जब हमने एक गंभीर रिश्ता बनाने का फैसला किया, तब पहली बात मेरे मुंह से यही निकली थी कि क्या आप मुझसे धर्म-परिवर्तन करने को कहेंगे? उस समय उन्होंने कहा था, हम बस इन पलों को जिएं, अभी उस बिंदु तक हम नहीं पहुंचे हैं।... अब हम दोनों के लिए निर्णय लेने का समय आ गया है। हर बार जब हम धर्म-परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं, तो मेरा दिमाग खाली हो जाता है? आखिर मैं धर्मांतरण के बारे में निर्णय कैसे लूं? मैंने इस्लाम के बारे में काफी कुछ सकारात्मक व नकारात्मक पढ़ा है। इससे अधिक भ्रम पैदा हुआ है। इसलिए लगातार आत्म-संदेह की स्थिति में रहने के बजाय मैं कैसे तय करूं कि मेरी इच्छाएं क्या हैं?'

यदि आप धर्म को ईश्वर से अपने रिश्ते के रूप में देखती हैं, तो मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए, जिसमें आप अपने आंतरिक आदेशों से निर्णय करें। यदि धर्म केवल बाहरी परंपराओं और कर्मकांडों का एक समूह है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी अन्य देश में रहने के लिए आप वहां की परंपराओं को अपनाते हैं। आपकी दुविधा यह जानने को लेकर नहीं है कि आप क्या चाहती हैं, दरअसल यह शादी से पहले अपने आध्यात्मिक मूल्यों व प्राथमिकताओं को परखने के लिए मजबूर किए जाने के बारे में है।

चूंकि आप जिससे प्यार करती हैं, उससे शादी करने के आवश्यक अंग के रूप में धार्मिक सिद्धांतों के एक सेट को स्वीकार करने में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही हैं, जो आप नहीं चाहतीं, इसलिए अपने दिमाग में खालीपन महसूस करती हैं। आपने यह तय करने के लिए अपनी आध्यात्मिक बुनियाद के बारे में पर्याप्त पता नहीं लगाया है कि आप इस समझौते के साथ रह सकती हैं या

जो व्यक्ति धर्मांतरण नहीं चाहता, उस पर कोई धार्मिक मार्ग थोपने से भला कौन सा आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा होता है और क्या यह कृत्य प्रेमपूर्ण या सम्मानजनक भी है?

नहीं? आपको यह तय करना होगा कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है और फिर परिणामों के साथ जीने को तैयार रहें।

आप अपने प्रेमी से पूछें कि उनके लिए यह बात इतना अहम क्यों है कि आप एक ऐसे पंथ में धर्मांतरित हो जाएं, जिसमें वास्तव में आपकी आस्था नहीं? उनसे पूछें कि क्या वह हिंदू धर्म अपनाने या आपकी तरह गैर-धार्मिक बनने को तैयार होंगे? जो व्यक्ति नहीं चाहता, उस पर कोई धार्मिक मार्ग थोपने से कौन सा आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा होता है? क्या यह प्रेमपूर्ण या सम्मानजनक भी है?

दीपक चोपड़ा

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

संविधान न केवल हमारे लोकतंत्र की नींव है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और विविधता को संरक्षित करने वाला अमूल्य दस्तावेज भी है। यह हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है।

दंगों के पीछे सियासत का खेल

कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा व दंगे की आग अभी शांत ही हुई थी कि संभल उबल पड़ा। ये दंगे-फसाद बेहद चिंताजनक हैं। मगर चिंता जिन्हें ज्यादा करनी चाहिए, वे सफेदपोश सियासत करने में जुटे दिखते हैं। देखा जाए, तो अब दंगे-फसाद राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमारे देश में जितने भी मंदिर-मस्जिद के विवाद हैं, वे मुगलों की देन हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो बहुत पहले यह कहा भी, जो बहुत प्रासंगिक भी है कि इतिहास वह चीज है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। मगर सुई आज भी वहीं पर अटकी हुई है। यह जानते हुए भी कि सांप्रदायिक दंगों से देश कमजोर होता है, इसकी छवि खराब होती है, हमारे राजनेता आग में घी डालने में जुटे रहते हैं, जबकि जिस इमारत की अभी जैसी स्थिति है, वैसी ही बने रहने देने में समझदारी मानी जाती है। यह बात नेताओं को समझ लेनी चाहिए। उनको आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठना चाहिए और अब राजनीतिक रोटियां सेंकनी बंद करनी चाहिए। दंगे-फसाद हमारे देश की नियति नहीं बन सकते।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

सियासी गुणा-भाग

देश संविधान द्वारा स्थापित कानून-व्यवस्था के तहत चल रहा है। यह बात सभी को समझनी होगी। अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसे न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए, न कि बवाल करना चाहिए। पत्थरबाजी करना और पुलिस से दो-दो हाथ करना गलत है। जिन परिवारों के बच्चे धार्मिक भावनाएं भड़काए जाने के कारण अपना जीवन खो बैठे हैं, उनकी स्थिति शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कानून को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति को रोकने का काम समाज व सरकार, दोनों को मिलकर करना चाहिए। 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे देने वाली सरकारें अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने का काम करें। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक रही कि उसने संभल में एक संवेदनशील कार्रवाई से पहले पर्याप्त एहतियाती इंतजाम नहीं किए। यदि समय रहते इंतजाम कर लिए जाते, तो टकराव की स्थिति ही नहीं बनती। सरकाल उठता है कि क्या प्रशासन को सर्वे से पहले मस्जिद कमेटी को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? कुछ राजनीतिक दल इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेंकने के इच्छुक दिखते हैं। उनको रोकने में हमारा तंत्र नाकाम क्यों साबित हो रहा है?

मनोज कुमार अग्रवाल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

संभल विवाद

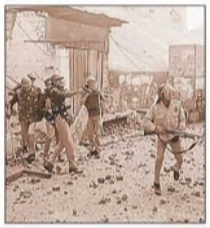

लोगों में यह उत्तेजना स्वाभाविक

हाल ही में कहीं यह टिप्पणी पढ़ी थी कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजने का सिलसिला हाल के वर्षों की देन है। संभल में पांच सौ साल पुरानी मस्जिद के नीचे अचानक मंदिर होने का दावा यूं ही नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश काम कर रही है। सर्वे के नाम पर जिस तरह 24 जून को धार्मिक नारेबाजी करती भीड़ सर्वे करने वालों के साथ जामा मस्जिद की ओर कूच कर रही थी (जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं), उसके खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़कना स्वाभाविक था। हैरानी की बात है कि एक बार 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हो चुका था, तब कोई हिंसा नहीं हुई थी। दुखद है कि यह सब तब हो रहा है, जब उपासना स्थल अधिनियम में स्पष्ट है कि धार्मिक स्थलों की स्थिति अब वैसी ही रखी जाएगी, जैसी वह 15 अगस्त, 1947 को थी। जब इस कानून के तहत सन् 1991 में ही सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति सुनिश्चित हो गई थी, तो अब इन पर विवाद क्यों किया जा रहा है? स्पष्ट है, यह एक समुदाय विशेष को निशाने पर लेने की सुनियोजित साजिश है, जिसका प्रतिकार स्वाभाविक रूप से उस समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसमें उनकी जान भी जा रही है।

इन दिनों अल्पसंख्यक समुदाय के धैर्य को तोड़ने और उसको उकसाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। प्रयास हो रहा है कि मीडिया के जरिये उस समाज की प्रतिष्ठा नीलाम की जाए, ताकि मनोनुकूल नैरेटिव तैयार किए जा सकें और उसके प्रति बहुसंख्यकों में घृणा का माहौल बनाया जा सके। अगर यह सब यूं ही चलता रहा, तो शहर-दर-शहर बवाल होगा और सामाजिक ताना-बाना बिखर जाएगा। कहा भी जाता है कि जो समाज वैविध्यपूर्ण होता है, यानी जिसमें तमाम धर्मों और पंथों के लोग रहते हैं, उस समाज में दंगे बमुश्किल होते हैं, जबकि जिस समाज में किसी वर्ग को उसके मत, पंथ या मजहब के आधार पर किनारे करने की कोशिश की जाती है, वहां दंगे शुरू हो जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों की भी यही कहानी है। लोग भड़काऊ कार्यों के प्रतिक्रियावश उत्तेजित हो रहे हैं। मगर उनको अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि लोग नहीं चेते, तो यह खूनी खेल देश को बहुत भारी पड़ेगा। उनको यह प्रतिक्रिया बेशक स्वाभाविक हो, लेकिन इसका नुकसान खुद उन्हीं को और देश को अधिक होगा। हमें संभल जाना चाहिए और राजनीतिक तिकड़मों का हिस्सा बने बिना अपने हित के लिए कदम उठाने चाहिए। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकेगा।

नरसिंह नाथ, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • बृहस्पतिवार • 28 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अब गाजा की बारी

इस्राइल और लेबनान के हिज्बुल्लाह के बीच साठ दिनों के युद्ध विराम समझौते की घोषणा हो गई है। समझौते से पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता की संभावना प्रबल हो गई है। करीब दो महीनों से हिज्बुल्लाह के खिलाफ इस्राइल के हमले तेज हो गए थे। हमलों में लेबनान में करीब 8700 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस्राइली सैनिकों ने हिज्बुल्लाह के समूचे नेतृत्व को समाप्त कर दिया जिसमें उसका सर्वोच्च नेता हसन नसरुल्लाह भी शामिल था। लेकिन ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह ने पिछले दो महीनों से इस्राइल के उत्तरी हिस्से में रॉकेट दागने शुरू किए थे जिसमें वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। हजारों यहूदियों को विस्थापित होना पड़ा। स्थानीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए।

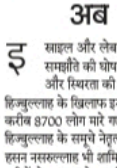

इसलिए युद्धरत दोनों पक्ष संघर्ष से बाहर निकलने और राहत की तलाश में थे। इस्राइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा था। गाजा में उसका सैनिक अभियान चल रहा है। ईरान के साथ युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। इस्राइल के सैनिक लगातार संघर्ष के बाद मानसिक थकान महसूस करने लगे हैं। मोर्चों पर संघर्ष जारी रखने के लिए इस्राइल को अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है, जो नहीं मिल पा रहे। हालांकि इस्राइल ने हिज्बुल्लाह और हमास की कमर तोड़ दी है। कहा जा सकता है कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। युद्ध विराम समझौते के बाद अब गाजा में युद्ध विराम समझौते और बंधकों की रिहाई में मदद मिल सकती है जो समस्या की जड़ है। वास्तविकता है कि इस्राइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल है कि हमास जैसे आतंकी संगठन की अमानवीय कार्रवाई के लिए क्या गाजा की समूची आबादी को दंडित करना उचित है। इस सवाल पर इस्राइल के नेतृत्व को गंभीरता से विचार करना चाहिए नहीं तो युद्ध अनवरत चलता रहेगा और न इस्राइल सुरक्षित रह पाएगा और न ही फिलिस्तीन खत्म होगा। इसलिए इस्राइल को गाजा में शांति स्थापित करने के लिए आगे आने की जरूरत है। भारत ने इस्राइल-हिज्बुल्लाह के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत हमेशा से संयम बरतने और संकट के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध विराम समझौते से गाजा को शामिल किए बगैर कहना मुश्किल है कि यह समझौता कितना टिकाऊ होगा।

वाकई चिंता का सबब

उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसदीय चर्चाओं में शिष्टाचार और अनुशासन के मानकों में गिरावट चिंता का विषय है। भारतीय संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने संविधान सभा की शानदार कार्यप्रणाली की चर्चा की। सदन में रणनीति के तहत होने वाले शोरगुल को लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उन्होंने खतरा बताया। कहा, दल धर्म को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद हमारे लिए खो ही जाए। हम भारत के लोग-संविधान के शुरुआती शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसद जनता की आवाज के रूप में काम करती है। आपातकाल की चर्चा करते हुए उन्होंने उसे सबसे काला दौर बताया। पिछले कुछ सालों से भाजपा लगातार अपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना बनाने का काम कर रही है।

उपराष्ट्रपति द्वारा अपनी पार्टी की वही रीति दोहराई जाती लगी। हालांकि पंथ को लेकर किया गया उनका तंज परोक्ष रूप से भाजपा पर किया गया निशाना लग रहा है। धर्म की राजनीति करने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त सत्तानशीं है और धर्मनिरपेक्षता का माखौल उड़ाने से बाज नजर नहीं आती। यूं भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का किसी दल का प्रत्यक्ष पक्षपात करते शोभा नहीं देता। शायद इसीलिए धड़ाधड़ ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में कोई कोताही नहीं करती। जैसा कि उन्होंने इंगित किया कि कमजोर होते विपक्ष की रणनीति संसदीय कार्यप्रणाली को शांतिपूर्ण तरीके से चलने में व्यवधान उत्पन्न करने और जानबूझ कर अनुशासनहीनता करने वाली होती जा रही है। वे न सिर्फ संसद के भीतर उपद्रव करते हैं, बल्कि सदन की गरिमा से भी बेपरवाह रहते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, इसलिए प्रत्येक सांसद का दायित्व है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए गरिमापूर्ण बर्ताव करे। अब संसदीय कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी होता है जिसे आम जनता समेत दुनिया के तमाम देश देखते हैं। सरकार या सरकारी कामकाज के प्रति विरोध दर्ज कराने के भद्र तरीके भी हमारी प्रणाली का हिस्सा हैं, जिनके प्रति सदन के हर सम्मानित सदस्य को जिम्मेदार नजर आना चाहिए।

कटाक्ष/ सहीराम

बवाल कट गया

लो जी, फिर बवाल कट गया। नहीं जी नहीं, यह किसी संभल-वंभल में नहीं कटा। नहीं-नहीं, बंटेंगे-कटेंगे वाला बवाल भी नहीं कटा। हालांकि उसकी भी आजकल बड़ी धूम है। फिर भी कोई बवाल नहीं कट रहा। आजकल बवाल होता नहीं है, कटता ही ही जी।

टीवी ने यही सिखाया है। तो बवाल फिर कट गया। पर इस बार बवाल उदयपुर में कटा। बड़ा ही खूबसूरत शहर है जी। खैर, ऐसे खूबसूरत शहरों में कटना-वटना होना नहीं चाहिए। फिर भी बवाल कट जाते हैं। जैसे अब उदयपुर में कट गया। वैसे वहां एक कन्हैयालाल का गला भी कटा था, जिसने पिछले साल राजस्थान में भाजपा को चुनाव जितवा दिया था। इससे पता चलता है कि भाजपा के चुनाव जीतने में कटने का बड़ा महत्व है। फिर चाहे गला हो, बवाल हो या बंटेंगे-कटेंगे वाला कटना हो। लेकिन इस बार उदयपुर में किसी का गला नहीं कटा है। वहां चुनाव भी तो नहीं है न। फिर भी बवाल कट गया। उदयपुर जैसी उस खूबसूरत नगरी में यह बवाल कट गया, जहां लोग पर्यटन के लिए तो जाते ही हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी अपनी शादियां करने भी आते हैं। फिर भी यहां बवाल कट गया। नहीं जी नहीं, यह बवाल दो समुदायों के बीच नहीं कटा, बल्कि एक ही परिवार में कट गया। जम कर गाली-गलौच भी हुआ। नहीं किन्हीं दो समुदायों के बीच नहीं हुआ। जैसा कि अक्सर बवाल कटने पर होता है या फिर जिसके चलते बवाल कटता है। बल्कि एक ही परिवार के लोगों के बीच हुआ। पत्थरबाजी भी हुई जी। कभी पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी। खैर, कश्मीर की पत्थरबाजी रुकी तो संभली-वंभली में पत्थरबाजी होने की बात कही जा रही है। बल्कि अब तो घरों में पत्थर होने पर मुकदमा भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। बुलडोजर रुकने के बाद कुछ तो होना चाहिए न। खैर जी, यह बवाल एक ही परिवार में कटा। और यह परिवार भी किसी और का नहीं। बल्कि महाराणा प्रताप के वंशजों का परिवार है। उन्हीं महाराणा प्रताप के वंशजों का परिवार, मुगलों के खिलाफ जिनकी बहादुरी के किस्से हिन्दुओं की बाजुएं फड़काने के काम आते हैं। उनके वंशज गाली-गलौच और पत्थरबाजी कर रहे हैं और वह भी तब जब हिन्दू खतरे में हैं। फिर भी वे बंट रहे हैं, और उनमें बवाल भी कट रहा है।

अनमोल वचन

कभी-कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि मैं दबाव नहीं डाल सकता। मुझे उसके अनुसार ढलना होता है। कभी-कभी ऐसा समय होता कि सबसे बड़ा परिवर्तन स्वयं में करना होता है।

-हेनिस डिड्रेरोट

संपादकीय

editpagesahara@gmail.com

'भीष्म प्रतिज्ञा' की जरूरत

कार्बन न्यूट्रीलिटी

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

कॉप-29 पिछले दिनों समाप्त हो गया जिसकी आर्थिकी बहुत कुछ पेट्रोल के उत्पादन पर निर्भर है। इसने कॉप-29 में सारी आलोचनाओं के बीच भी तेल-गैस क्षेत्र का बचाव जारी रखा हुआ है। कॉप-28 भी ऐसे देश में ही हुआ था। दूसरी तरफ, भारत और चीन तथा अमेरिका कोयले को अपने आर्थिक विकास का इंजन बनाए हुए हैं। इसको वो निकट भविष्य में छोड़ने वाले भी नहीं हैं किंतु जलवायु संकट के बीच अधिकांश देशों की ही तरह यह यथार्थ उन्हें स्वीकारना होगा कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कारोबारी बिरादरी से अलग-थलग होने से बचने के लिए देर-सबेर उन्हें कार्बन न्यूट्रल होना ही पड़ेगा।

यूरोपियन संघ, जापान, कोरिया गणतंत्र सहित 110 से ज्यादा देशों ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रीलिटी पाने की वचनबद्धता व्यक्त की हुई है। चीन 2060 तक ऐसा कर लेगा। भारत 2070 तक ही ऐसा कर पाएगा। यूरोपियन यूनियन तो उन आयातों पर भी कार्बन टैक्स लगाने का सोच रहा है, जिनके निर्माण में थ्रेशहोल्ड वैल्यू से ज्यादा उत्सर्जन होता है। ऐसे में मजबूरन ही सही विभिन्न देश अपने-अपने यहां जीवाश्म ईंधन के उपभोग, उपयोग, उत्पादन पर कड़े से कड़े नियम लाएं गे।

डिकार्बोनाइजेशन या कार्बनरहित होना इसलिए भी आवश्यक है कि वैश्विक तापक्रम बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेलसियस पर ही थामने की महती जरूरत के बाद भी कोयला समेत फोसिल ईंधनों के लगभग निर्बाध उपयोग की छूट सभी चाहते हैं। हालांकि आईपीसीसी का मानना है कि पृथ्वी का गरम होना कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आनुपातिक होता है। वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता बढ़ती जा रही है। अमेरिका की संस्था एनओएए के अनुसार मई, 2023 में वायुमंडल में मासिक कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता रिकार्ड ऊंचाई पर पूर्व औद्योगिककाल की सघनता से पचास प्रतिशत ज्यादा थी। विश्व में 85 प्रतिशत ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों कोयला, पेट्रोलियम और गैस से प्राप्त की जाती है। पेट्रोलियम और गैस से जुड़े उद्योग तो हैं किंतु लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, बिजली, हाइड्रोजन, उर्वरक, रसायन के उद्योग भी कार्बन

> कार्बन कैप्चर टैक्नोलॉजी के आलोचक मानते हैं कि इसे जलवायु संकट को कम करने के विश्वस्त औजार के रूप में नहीं उपयोग किया जा सकता। यह कार्बन फेजआउट का विकल्प नहीं हो सकती। दुनिया को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की अपरिहार्यता को वक्त-वक्त पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने दोहराते हुए चेताया है कि गरम होती गैसों का उत्सर्जन कम करने की दौड़ में हम फिनिशिंग लाइन के कहीं भी नजदीक नहीं हैं

वायोमास बढ़ाने में करते हैं, इसलिए वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में प्रभावी रहते हैं। इनसे जमीन के भीतर कार्बन भंडारण भी होता है। बहुत ज्यादा वायोमास बढ़ाना पड़ेगा। जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं भी होती हैं। हालांकि बड़ी-बड़ी कंपनियां, एयरलाइंस आदि भी जंगलों से कार्बन कैप्चर का ही सहारा ले रही हैं। अपनी ग्रीनहाउस गैसों के एमिशन को न्यूट्रलाइज करने यानी नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य पाने के लिए इसी का सहारा ले रही हैं।

2023 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए घोषित कॉप-28 के मनोनीत अध्यक्ष यूएई के उद्योग एवं एडवांस टैक्नोलॉजी मंत्री डॉ. सुल्तान-अल-जबेर का बिना लाग लपेट यह कहना रहा कि जलवायु गणित जोड़जाड़ से कुछ खास नहीं होता, यदि उसमें कार्बन कैप्चर की प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के सौर या पवन ऊर्जा के उपयोग भी गर्मी कम करने में कारगर नहीं हो सकते। 11 मई, 2023 को 1500 से ज्यादा वैश्विक पॉलिसी निर्माताओं, इंडस्ट्रियल लीडर्स, इनोवेटर्स को यूएई एक समिति बनाने से लेकर संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने तक के सख्त निर्देश हैं, लेकिन रैगिंग के लगातार सामने आते मामलों को देख कर हैरानी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद पसायत, जस्टिस डी. के. जैन तथा जस्टिस मुकुंदकम शर्मा की खंडपीठ ने रैगिंग रोकने के लिए 11 फरवरी, 2009 की पहली बार बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि रैगिंग में मानवाधिकार हनन जैसी गंध आती है। खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए राघवन कमेटी की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा था कि रैगिंग रोकने में विफल शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द करें। 2001 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पर रैगिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि शिक्षा परिसरों में रैगिंग रोकना शिक्षा संस्थानों का नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है, जिसे न रोक पाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा और ऐसे संस्थानों की संबद्धता तथा उन्हें प्रदत्त सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त की जा सकती है।

कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि रैगिंग के नाम पर दुर्व्यवहार रोकना कॉलेज प्रबंधन, प्राचार्य, अधिकारियों तथा छात्रावास अधीक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। एक विद्यार्थी कितने सपने संजो कर कॉलेज की दहलीज पर पहला कदम रखता है, और उससे भी अधिक उसके माता-पिता या अभिभावकों की आशाएं और अरमान उससे जुड़े होते हैं किंतु रैगिंग रूपी दानव एक ही झटके में उन सपनों, आशाओं और अरमानों पर भारी पड़ जाता है। रैगिंग जिस प्रकार छात्रों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करने की बजाय आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, ऐसे में राज्य सरकारों और कॉलेज प्रशासन को समय रहते जागना होगा। जरूरत इस बात की है कि रैगिंग में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।

कुशलता डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

संस्कृत में कहा गया है, 'बिना प्रयोजनेन मन्दोऽपि न प्रवर्तते'। बिना उद्देश्य के तो मंदबुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। स्पष्ट है कि हमारे शास्त्रों में निष्क्रियता का कोई अस्तित्व नहीं है। इस कर्म को कुशलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का ही गीता का मुख्य उपदेश है। कुशलता का क्या अर्थ है? जब पूर्व में छात्र गुरुकुल में पहुंते थे तो गुरुजी उन्हें कुश लेने भेजते थे। चूंकि यह घास अति तीक्ष्ण होती है, इसलिए तोड़ने वाले ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो यह हाथों को लहू-लोहान कर सकती है। लेकिन जो विद्यार्थी घास को दक्षतापूर्वक बिना घायल हुए लाता था, वह कुशल माना जाता था। भगवान श्रीकृष्ण का गीता में उपदेश है- 'योगः कर्मसु कौशलम' (कर्म में कुशलता ही योग है)। गीता का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है। लेकिन उसकी सर्वोत्तम ऊंचाई है साधक द्वारा निरंतर भगवान की स्मृति के साथ कर्मरत रहना। जैसे दान देना कर्म है लेकिन इसे कुशलता की सीमा में कैसे पहुंचा सकते हैं? महंत स्वामी महाराज एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक बार एक सेठ उतरा हुआ चेहरा लेकर सबको दान दे रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, जब आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपना सिर झुकाए क्यों रहते हैं? सेठ ने कहा, 'मैं जो दे रहा हूं उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। फिर भी लोग मुझे दानेश्वरी मानते हैं, और मेरी जय-जयकार करते हैं। यह देख कर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। जैसे कोई मुनीम सेठ की ओर से दान दे रहा हो और यदि कोई मुनीम को सर्वशोष्ठ मान कर उसका आदर करे तो मुनीम तो सिकुड़ जाता है, वैसे मेरा सिर भी झुक जाता है।' प्रत्येक क्रिया में भगवान की निरंतर खोज करने की कुशलता को योग कहा जाता है। जो हां, भगवान हर चीज के स्वामी हैं। यदि इस संसार में हमारे पास कोई भी चीज है तो वह सदा हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं आता। 'हम खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ जाएंगे'। इस प्रकार, भगवान ने जो दिया है, वह उन्हें देना है। ऐसी भावना से किए गए दानकर्म का परिणाम उत्कृष्ट होता है। यही कर्म में कुशलता है। यही मानवता का विकास है।

रीडर्स मेल

ऑनलाइन कोर्ट अच्छी पहलकदमी

बीते दिनों न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला जिससे सुलभ और पारदर्शी न्याय की आस जगना स्वाभाविक है। न्यायिक प्रणाली का व्यवस्थित और सुचारू रूप से क्रियान्वित होना सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, और उसे आधुनिक बनाना समय की जरूरत है। वर्तमान समय में देश के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के तले सभी को समान न्याय मुहैया कराने की तो बात की जाती है, लेकिन जब समय पर न्याय उपलब्ध कराने की बात आती है, तो उस मामले में हमारी व्यवस्था काफी पिछड़ी दिखाई पड़ती है। समय से न्याय न मिलना, अपने-आप में किसी अन्याय से कम नहीं। इन सबके बावजूद न्याय का मंदिर सिर्फ वादी-प्रतिवादी की फाइलों के ढेर से भरा पड़ा है, और न्याय के लिए लोग सिर्फ तारीखों के इंतजार में अपना समय, धन और क्या कुछ नहीं गंवा देते। केरल के कोल्लम में देश की पहली 24 गुना 7 ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार का नवाचारी कदम कहीं न कहीं न्यायिक प्रणाली को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में नई क्रांति की शुरुआत है। यह कदम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने में भी प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इस पहल के तहत कोल्लम जिले की चार अदालतों में कार्यवाही शुरू की गई है, और अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की योजना है। इसका उद्देश्य राज्य और देश के सभी हिस्सों में ऐसी ऑनलाइन अदालतों की स्थापना कर समग्र डिजिटल न्यायिक प्रणाली विकसित करना है। यह पहल न्यायिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में देश कदम है, जो भारत की न्यायिक प्रणाली को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाएगी।

सोनम लववंशी, ई मेल से

कांग्रेस को बनना पड़ा पिछलग्गू

केंद्र में सत्तेकित रूप से भाजपा के खिलाफ खड़ी हो सकने की क्षमता इंडी गठबंधन की कांग्रेस ही कर सकती है क्योंकि उसका हर राज्य में संगठन है। महाराष्ट्र व झारखंड की सीट संख्या व जीडीपी में योगदान को छोड़ भी दें तो भाजपा महाराष्ट्र में महायुति को लीड कर रही है जबकि कांग्रेस जेएमएम की पिछलग्गू है। झारखंड का परिणाम कांग्रेस का वैसा मनोबल नहीं बढ़ाने वाला, जैसा महाराष्ट्र में भाजपा का बढ़ाने वाला है।

मनोज श्रीवास्तव, अमेठी

ऋग्वेद को बनाएं राष्ट्रीय ग्रंथ

संसार के इतिहासकारों ने स्वीकार कर लिया है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे विश्व धरोहर के रूप में स्वीकारा है। भारत के बहुसंख्यक समाज की दृष्टि में वेद सार्वकालिक एवं सार्वदैशिक ईश्वरीय वाणी है। वेद को पढ़ने वाले यह भी जानते होंगे कि वेद का ज्ञान किसी व्यक्ति, देश या फिर किसी काल विशेष के लिए न होकर मानव मात्र के लिए है। सभी देश और काल के लिए प्रासंगिक है। वेद भारत की करोड़ों वर्ष की प्राचीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि गीता अति अल्पावधि की प्राचीनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत की सनातन संस्कृति का संवाहक वेद ही हैं। इन तथ्यों के आलोक में सर्वथा उचित होगा कि वेद या फिर ऋग्वेद को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए।

संदीप कुमार, मथुरा, झारखंड

letter.editorsahara@gmail.com

युवाओं में **मिक्सड मार्शल आर्ट** का बढ़ता क्रेज

- एमएमए (मिक्सड मार्शल आर्ट) एक नया खेल है, जिसमें नई उम्र के लड़के-लड़कियां हिस्सा लेते हैं। युवाओं में एमएमए के प्रति हाल के समय में तेजी से क्रेज बढ़ा है
- अपने देश में काफी संख्या में बच्चे एमएमए कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें खेल में पारंगत होने में सफलता नहीं मिली है
- एमएमए रिस्की खेल है क्योंकि इसमें चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इसकी ट्रेनिंग भी काफी मुश्किल होती है। खेल के लिए अच्छी डायट के साथ ही मजबूत मनोस्थिति की दरकार होती है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। जब कृष्णदास के नेतृत्व में हिन्दुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई तो गिरफ्तारी क्यों? सरकार जिहादियों, सेना और पुलिस के हाथों हिन्दुओं का उत्पीड़न नहीं रोक पा रही।

तसलीमा नसरीन, लेखिका
@taslimanasreen

सख्त कानून के बावजूद नाउम्मीदी

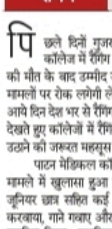

रैगिंग योगेश कुमार गोयल

पिछले दिनों गुजरात के पाटन में एक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण 18 साल के एक छात्र की मौत के बाद उम्मीद जगी थी कि कॉलेजों में रैगिंग के मामलों पर रोक लगेगी लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार आये दिन देश भर से रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए कॉलेजों में रैगिंग को लेकर तत्काल कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस होने लगी है।

पाटन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से छात्र की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि 15 सीनियर छात्रों ने उस जूनियर छात्र सहित कई छात्रों से लगातार तीन घंटे डांस करवाया, गाने गवाए और उन्हें शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मानसिक-शारीरिक यातना दिए जाने के कारण अनिल मेघानिया आधी रात को बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के द्वितीय वर्ष के 15 छात्रों को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रैगिंग पर लगाम कसने को लेकर देश भर के तमाम शिक्षण संस्थानों में सख्ती बेहद जरूरी है क्योंकि हर साल ऐसे अनेक मामले सामने आते हैं, जिनमें रैगिंग के शिकार छात्र अवसाद के शिकार हो जाते हैं, कुछ रैगिंग से डर कर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो कुछ मौत को गले लगा लेते हैं। रैगिंग रोकने के लिए सख्त अदालती दिशा-निर्देश हैं, लेकिन जिस प्रकार रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।

हिमाचल के एक मेडिकल कॉलेज में 2009 में रैगिंग से एक छात्र की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग विरोधी कानून सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत दोषी पाए जाने वाले छात्र को तीन साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान था। दोषी छात्र को कॉलेज तथा हॉस्टल से निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। उसकी छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं पर रोक, परीक्षा देने या परीक्षा परिणाम घोषित करने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अन्यत्र उसके दाखिले पर भी रोक लगाई जा सकती है। रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने अथवा मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कॉलेज पर आर्थिक दंड लगाने के अलावा कॉलेज की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।

अदालत के दिशा-निर्देशों के तहत किसी छात्र के रंग-रूप या उसके पहनावे पर टिप्पणी करके उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर उसका अपमान करना, उसकी नस्ल या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अभद्र टिप्पणी करना या उससे जबरन किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य कराया जाना रैगिंग के दायरे में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग के खिलाफ एक समिति बनाने से लेकर संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने तक के सख्त निर्देश हैं, लेकिन रैगिंग के लगातार सामने आते मामलों को देख कर हैरानी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरिजीत पसायत, जस्टिस डी. के. जैन तथा जस्टिस मुकुंदकम शर्मा की खंडपीठ ने रैगिंग रोकने के लिए 11 फरवरी, 2009 की पहली बार बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि रैगिंग में मानवाधिकार हनन जैसी गंध आती है। खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए राघवन कमेटी की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा था कि रैगिंग रोकने में विफल शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द करें। 2001 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पर रैगिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि शिक्षा परिसरों में रैगिंग रोकना शिक्षा संस्थानों का नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है, जिसे न रोक पाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा और ऐसे संस्थानों की संबद्धता तथा उन्हें प्रदत्त सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त की जा सकती है।

कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि रैगिंग के नाम पर दुर्व्यवहार रोकना कॉलेज प्रबंधन, प्राचार्य, अधिकारियों तथा छात्रावास अधीक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। एक विद्यार्थी कितने सपने संजो कर कॉलेज की दहलीज पर पहला कदम रखता है, और उससे भी अधिक उसके माता-पिता या अभिभावकों की आशाएं और अरमान उससे जुड़े होते हैं किंतु रैगिंग रूपी दानव एक ही झटके में उन सपनों, आशाओं और अरमानों पर भारी पड़ जाता है। रैगिंग जिस प्रकार छात्रों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करने की बजाय आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, ऐसे में राज्य सरकारों और कॉलेज प्रशासन को समय रहते जागना होगा। जरूरत इस बात की है कि रैगिंग में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया आबदी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, गौना-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-अशपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चक्रपाणि तल, सहारा इण्डिया बिहार, मोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
: समूह संपादक - डॉ. विजय राय: स्वतंत्र संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

भारत का साहसिक चयन कंगारुओं के लिए सबक

जनसत्ता खेल

क्रिकेट

भारतीयों ने पर्थ में पहले टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया को लगभग हर पहलू में सबक सिखाया, जिसकी शुरुआत चयन के मामले में उनके साहसिक निर्णयों से हुई। हाल के दिनों में जब कठिन निर्णय लेने की बात आती है तो आस्ट्रेलियाई टीम में साहस की कमी देखी गई है और उछादराज टीम को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं भारत चाहता तो कप्तान रोहित शर्मा, शानदार बल्लेबाज शुभमन गिल और दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बिना विश्व चैंपियन के खिलाफ शृंखला में उतरते हुए, सुरक्षित विकल्प के तौर पर आलराउंडर रवींद्र जडेजा और दिग्गज आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को खिला सकता था। लेकिन उसने साहसिक निर्णय लेते हुए कई खिलाड़ियों को टेस्ट आगाज का मौका दिया।

एक आस्ट्रेलियाई वेबसाइट के मुताबिक शीर्ष क्रम में विकेटकीपर ऋषभ पंत की क्षमता भारत को परिस्थितियों के आधार पर पांच गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने की सुविधा देती है और पर्थ की परिस्थितियां तेज गेंदबाजी के अनुकूल थी, इसलिए अनुभवी स्पिन जोड़ी को बाहर कर दिया गया और युवा आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर तथा मध्यम तेज गेंदबाज हरफनमौला नीतीश कुमार रेड्डी को उनके स्थान पर मौका दिया।

भारतीय टीम प्रबंधन यहीं नहीं रुका। उसने हर्षित राणा को पदार्पण का मौका दिया। इस पर कई लोगों की भौहें तन गईं, लेकिन साहसिक चयन ने पूरी तरह से काम किया। राणा ने मैच में चार विकेट लिए, जबकि हरफनमौलाओं ने बल्ले और गेंद से अपनी भूमिका निभाई।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मौजूदा आस्ट्रेलियाई चयन समिति इस तरह का अप्रत्याशित कदम उठाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक कि वे उपमहाद्वीप में पूरी तरह से खराब प्रदर्शन नहीं कर रहे हों, आस्ट्रेलियाई टीम छह बल्लेबाजों, एक विकेटकीपर, एक स्पिनर और तीन तेज गेंदबाजों की एक टीम उतारेगी, जिसमें मिशेल स्टार्क को बाएं हाथ का गेंदबाज बनाया जाएगा, जो विविधता प्रदान करेगा।

दो साल पहले जब सही समय था, या फिर इस साल की शुरुआत में जब स्टीव स्मिथ को विफल तरीके से इस भूमिका में लाया गया था, तब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बावजूद आस्ट्रेलियाई खेमे ने नया सलामी बल्लेबाज चुनने में अनिच्छा दिखाई, जो चयन के मामले में उनकी रूढ़िवादिता का प्रतीक है। मार्नस लाबुशेन, उस्मान ख्वाजा और स्मिथ लंबे समय से खराब फार्म में हैं, जबकि नाथन मैकस्वीनी भी खराब फार्म में हैं और उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है। उन्होंने इस भूमिका में केवल दो प्रथम श्रेणी पारियां खेली हैं और उन्हें आगे भी लाल कूकाबुरा गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह का सामना करना है।

पिछले साल भारत में भी ऐसी ही स्थिति थी, जब चेतेश्वर पुजारा का शानदार करिअर खत्म होने लगा था। बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाने के बाद, वे छह मैचों में शतक नहीं बना सके, जबकि आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की परेशू शृंखला और इंग्लैंड में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद उन्होंने 23.44 की औसत से सिर्फ 211 रन बनाए। 13 साल की अवधि में 103 टेस्ट खेलने के बाद, 35 साल की उम्र में उनका करिअर समाप्त हो गया, जिसमें गिल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल को अपना नाम बनाने का मौका मिला। अगर पुजारा आस्ट्रेलियाई होते तो वे अभी भी टीम में होते और चयनकर्ता उनके लिए बहाने बनाते।

हाल के दिनों में आस्ट्रेलियाई टीम का तरीका यह रहा है कि वह अपने दिग्गजों का लगातार समर्थन करती रही है, चाहे कुछ भी हो - चयनकर्ताओं ने टेस्ट क्रिकेट में डेविड वार्नर और सीमित ओवरों की टीम में आरोन फिंच को शामिल करके ऐसा किया।

लांस मोरिस ने टेस्ट टीम में रहते हुए पूरा ग्रीष्मकाल एक भी रन बनाए बिना बिताया, क्योंकि कमिंस, स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे बड़े तीन खिलाड़ी हर मैच खेलना चाहते हैं और चयनकर्ता बड़ी तस्वीर को देखने के बजाय उन्हें टीम में बनाए रखना पसंद करते हैं। और अब चूंकि हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले एकमात्र युवा खिलाड़ी कैमरून ग्रीन चोटिल हो गए हैं, इसलिए अब कुछ साहसिक करने का समय आ गया है।

उम्मीद है कि मैकस्वीनी टेस्ट स्तर पर पारी की शुरुआत करने की जटिलता को समझ सकेंगे, लेकिन अब यह आश्चर्य की बात होगी कि अगर वे एडिलेड में अगले सप्ताह गुलाबी गेंद से होने वाले मैच के साथ शृंखला में बने रहते हैं। यह देखना अभी बाकी है कि क्या आस्ट्रेलियाई टीम सैम कोंस्टास की तरह किसी अन्य उभरते हुए सितारे को चुनती है? यदि वे वास्तव में इस शृंखला में बदलाव करते हैं या कैमरून बैनक्राफ्ट, मार्कस हैरिस या मैट रेनशा जैसे पिछले कुछ वर्षों से उपेक्षित हुए सलामी बल्लेबाजों में से किसी एक को पुनः शामिल करते हैं।

जोश इंग्लिस और ब्यू वेबस्टर शील्ड स्तर पर फआर्म में हैं और हालांकि दोनों ने अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है, लेकिन अगर उन्हें टीम में शामिल किया जाता है तो कम से कम उनके पास अनुभव है, लेकिन मध्यक्रम के विकल्प के रूप में इसका मतलब होगा कि स्मिथ को पहले बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजा जाएगा, जबकि वे नंबर 4 पर अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष कर रहे हैं। यह एक गड़बड़ है और आस्ट्रेलिया के चयनकर्ता खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर वे देखें कि उनके विरोधी क्या कर रहे हैं, तो उन्हें आगे का रास्ता बेहतर दिखाई दे सकता है।

भारत बना महिलाओं में सरताज

आत्माराम भाटी

एशियाई हाकी

बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पिछले सप्ताह हुई आठवीं महिला एशियाई हाकी चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पहले मैच से खिताबी मुकाबले तक मैदान में चैंपियन की तरह शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी और कुल तीसरी बार ट्राफी पर भारत का नाम अंकित कर परचम फहरा दिया।

सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने खिताबी मुकाबले में पेरिस ओलंपिक की रजत विजेता चीन को 1-0 से हराकर उसके पहले खिताब जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। खिताबी मुकाबले में इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाली और प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हिसार की रहने वाली गोल्डन गर्ल दीपिका सहरावत द्वारा 31वें मिनट में किए गए एकमात्र गोल की बदौलत भारत ने ट्राफी अपने नाम कर ली।

भारत ने राजगीर में अपने खिताब की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा तीन बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली दक्षिण कोरिया की बराबरी करते हुए नया अध्याय लिख दिया। इससे पहले भारत ने 2016 में थाईलैंड व 2023 रांची में खिताब अपने नाम किया था। भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पांचवां फाइनल था जिसमें से तीन में वह विजेता रहा।

इस प्रतियोगिता में भारत ने अपने सभी सात मैचों में विजयी पताका फहराते हुए सर्वाधिक 29 गोल किए और दो गोल खाए। जबकि 2011 व 2016 के बाद तीसरी बार फाइनल खेलने वाली चीनी टीम ने सात मैचों में पांच जीते व दो मैच भारत से हारते हुए कुल 27 गोल किए व दो खाए। चीन ने इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी जीत थाईलैंड को लीग मैच में 15-0 से हरा प्राप्त की। भारत ने भी थाईलैंड को 13-0 से हराया। इस प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 2013 व 2016 के बाद तीसरी बार मात दी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में नौवीं वरीयता प्राप्त भारत व छठी वरीयता प्राप्त चीन के बीच आलओवर प्रदर्शन की बात करें तो भारत का दबदबा रहा है। अब तक दोनों के बीच 25 मुकाबले हुए हैं जिसमें भारत ने 13 जीत दर्ज की है, जबकि चीन ने 10 जीते है। दो मैच ड्रा रहे। दो बार 2013 व 2021 की विजेता व दुनिया में 11वीं वरीयता प्राप्त जापान ने मलेशिया को 4-1 से हरा तीसरा स्थान व मलेशिया चौथे स्थान पर रहा। दो बार 2010 व 2023 में उपविजेता रह चुकी जापान ने तीसरे स्थान के मुकाबले के पहले हाफ में ही चार गोल कर अपना दबदबा बना लिया था जो मैच की समाप्ति तक बरकरार रहा।

प्रतियोगिता में बड़ा उलटफेर दक्षिण टीम के साथ हुआ। तीन बार 2010, 2011 व 2018 में इस खिताब को जीतने वाली दक्षिण कोरिया इस बार अपने खेल का जादू नहीं दिखा पाई और पांचवें स्थान पर रही। वहीं थाईलैंड छठे स्थान पर रहा।

एशिया की छह टीमों भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान व थाईलैंड के मध्य राउंड रोबिन लीग कम नाकआउट आधार पर खेली गई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 11 नवंबर को 750 करोड़ की लागत से बने राजगीर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, बिहार में हुआ था।

प्रत्येक टीम ने लीग मुकाबलों में एक दूसरे के खिलाफ पांच-पांच मुकाबले खेले। भारत सभी मुकाबले जीतते हुए शीर्ष पर रहा। लीग मैचों में भारत ने मलेशिया को 4-0 से, कोरिया को 3-2 से, थाईलैंड को 13-0 से, चीन को 3-0 से व अंतिम लीग मैच में जापान को 3-0 से हराते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जबकि चीन चार मैच जीतकर दूसरे, मलेशिया तीसरे व जापान ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

आशानुरूप भारत व चीन को सेमी फाइनल में जीत के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। भारतीय टीम ने जापान को 2-0 से हरा फाइनल में प्रवेश किया, वहीं चीन ने सेमी फाइनल में मलेशिया को 3-1से हरा फाइनल का टिकट कटवाया।

प्रतियोगिता में चर्चा में जो नाम रहा वो था भारत के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाली युवा स्ट्राइकर दीपिका सहरावत का। जिन्होंने इस प्रतियोगिता में छह पेनाल्टी कार्नर, चार मैदानी व एक पेनाल्टी स्ट्रोक के साथ सर्वाधिक 11 गोल कर सबका ध्यान अपनी और खींचा। पहलवानों के परिवार से आने वाली दीपिका ने खेल जीवन की शुरुआत कुश्ती से की, लेकिन उन्हें पहलवानी रास नहीं आई और स्टिक को हाथ में लेकर मैदान में उतरने का फैसला लिया। इस निर्णय ने आज दीपिका को भारतीय हाकी की गोल्डन गर्ल बना दिया।

लेवांडोव्स्की : गोलों का शतक, बने तीसरे खिलाड़ी

जनसत्ता खेल

फुटबाल

पोलैंड के दिग्गज स्ट्राइकर राबर्ट लेवांडोव्स्की चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट में 'सौ' गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह कीर्तिमान पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (140 गोल) और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (129 गोल) के नाम दर्ज है।

ब्रेस्ट के खिलाफ लेवांडोव्स्की ने एफसी बार्सिलोना की ओर से अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शुरू में ही पेनल्टी को गोल में बदलकर चैंपियंस लीग में अपना 100वां गोल किया। पोलैंड के दिग्गज स्ट्राइकर ने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में प्रतियोगिता में अपना 101वां गोल किया।

चैंपियंस लीग में सर्वाधिक 140 गोल रोनाल्डो ने किए हैं। उनके बाद मेसी का नंबर आता है, जिनके नाम पर 129 गोल दर्ज हैं। लेवांडोव्स्की ने मैच के बाद कहा कि यह अच्छी संख्या है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चैंपियंस लीग में 100 गोल तक पहुंच पाऊंगा। मैं क्रिस्टियानो और मेसी के क्लब में शामिल होकर बेहद खुश हूं। 36 वर्षीय लेवांडोव्स्की चैंपियंस लीग में अपने 125वें मैच में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। यह उपलब्धि मेसी ने 123 मैच और रोनाल्डो ने 137 मैच में हासिल की थी।

बार्सिलोना की तरफ से दूसरे हाफ में दानी ओल्मो ने भी गोल किया। बार्सिलोना ने इस तरह से ब्रेस्ट के अजेय अभियान पर रोक लगाई, जिससे वह अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस बीच इंटर मिलान ने लीपजिग को आत्मघाती गोल से 1-0 से हराया। इससे वह 13 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया, जो बार्सिलोना और लिवरपूल से एक अधिक है।

सीरी ए चैंपियन इंटर मिलान एकमात्र ऐसा क्लब है, जिसने इस प्रतियोगिता में अभी तक कोई गोल नहीं खाया है। एक अन्य मैच में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट-जर्मेन को 1-0 से हराया। अन्य मैचों में अटलांटा ने यंग बायज को 6-1, जबकि आर्सेनल ने स्पोर्टिंग लिस्बन को 5-1 से पराजित किया।

दूसरी ओर, अर्लिंग हालैंड ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और चैंपियंस लीग में 100 गोल करने वाले खिलाड़ियों के विशिष्ट क्लब में शामिल होने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने मैनचेस्टर सिटी की तरफ से फेयेनोर्ड के खिलाफ दो गोल किए, जिससे उनके प्रतियोगिता में कुल गोल की संख्या 46 पर पहुंच गई है।

महा नीलामी, रोचक, रोमांचक; अलहदा

चरनपाल सिंह सोबती

आइपीएल

जेद्दा, सऊदी अरब से आइपीएल के खिलाड़ियों के महा नीलामी को पूरी क्रिकेट की दुनिया ने देखा। दो दिन में 182 खिलाड़ियों पर कुल 639.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए और सब हैरान हैं। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर न सिर्फ इस नीलाम के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, पिछले महंगे खिलाड़ी के रिकार्ड को भी तोड़ दिया। एक लीग के एक सीजन में खेलने के अगर 27 करोड़ रुपए मिलें तो किसे हैरानी नहीं होगी?

सब जानते हैं कि आइपीएल की संरचना बनाते हुए ललित मोदी ने और दूसरे खेलों, ख़ास तौर पर फुटबाल लीग की संरचना और काम के तरीके को खूब अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। इन लीग से प्रेरणा ले, आइपीएल का फार्मूला तैयार किया और आज हैरानी इस बात की है कि यह फार्मूला इतना कारगर और हिट साबित हुआ है कि जिन लीग से प्रेरणा ली, वे भी आइपीएल के बढ़ते कद को देख हैरान हैं।

आज तो कहते हैं कि दुनिया की हर फुटबाल लीग से बड़ा है आइपीएल! तब भी एक अजीब बात यह कि फुटबाल को जबकि पांच अरब लोग देखते हैं तो क्रिकेट को सिर्फ दो अरब लोग ही क्यों देखते हैं? उस पर आइपीएल में खिलाड़ियों की अनूठी नीलामी और यह इसे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी खेल लीग में से एक बनाती है।

असल में ललित मोदी ने फुटबाल लीग से प्रेरणा तो ली पर जो फार्मूला अपनाया उसे बड़े अच्छे से सोच कर तैयार किया था। वे आईपीएल में, फुटबाल लीग द्वारा की जा रही गलतियों से खुद को बचा गए। फुटबाल लीग में सिद्धांत यह है कि जितना ज्यादा पैसा, आप उतनी ही बेहतर टीम खरीद या बना सकते हैं। इसीलिए कई मशहूर फुटबाल खिलाड़ियों को मिल रही ट्रांसफर फीस किसी को भी हैरान कर देगी।

ललित मोदी ने खिलाड़ियों की खरीद का एक प्लेटफार्म बनाया और यही है आइपीएल में नीलामी। इसमें फुटबाल की तरह से न मनचाहा पैसा और न जिसे चाहो बड़ी कीमत पर खरीद लो। सभी टीमों को कुछ नियम में बांधा। नीलामी में खिलाड़ी का नाम पुकारने के बाद, सभी टीमों के पास बोली लगाने का बराबर मौका। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई- खिलाड़ी उसका।

इसमें एक मोड़ है- हर टीम के पास खर्च के लिए बराबर पैसा। यह नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा, वह पैसे की ताकत पर चाहे जिसे खरीद ले। यही सबसे खास है जो आइपीएल को फुटबाल जैसी स्थिति से बचा रहा है। वहां अमीर मालिकों की टीम सबसे बेहतर खिलाड़ियों को इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे छोटी टीमों के पास, बेहतर मुकाबले के लिए टीम बनाने के मौके कम रह जाते हैं।

ऐसे में ईपीएल जैसी लीग में गरीब टीमों के लिए, अमीर टीमों को हराना मुश्किल हो जाता है। आपीएल में, एक बड़ा फायदा यह है कि पर्स कैप, टीमों को कम रेटिंग वाली प्रतिभा की तलाश पर भी मजबूर करता है और इससे ऐसे खिलाड़ी, जो महंगे नहीं हैं लेकिन फिर भी असर डाल सकते हैं, वे मिल जाते हैं। युवा खिलाड़ियों को इससे हौसला भी मिलता है और इन्हें देखकर अन्य युवा भी प्रेरणा लेते हैं। इस तरह आइपीएल की बदौलत, क्रिकेट प्रणाली में नई प्रतिभा आती रहती है।

विश्वास कीजिए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और इन जैसे कई अन्य, इसी पर्स कैप का नतीजा हैं। टीमें सिर्फ बड़े नाम वाले खिलाड़ी हासिल करने के बजाय, प्रतिभा को चमकाने और उन्हें विकसित करने पर भी ध्यान देती हैं। इसीलिए कुछ आइपीएल टीम अपनी क्रिकेट एकेडमी भी चला रही हैं और भविष्य के लिए बेहतर खिलाड़ी यहीं तैयार हो रहे हैं। अब पिछले दिनों के आईपीएल महा नीलामी को ही लीजिए। ये नीलामी, हर तीन साल में होती है। इस साल पर्स कैप 120 करोड़ रुपए था। हर टीम सिर्फ छह खिलाड़ियों को रिटेन कर सकी और बाकी को छोड़ना पड़ा। रिटेन किए खिलाड़ियों का पैसा इसी में से गया।

संघर्ष

अमेरिका : कासिया सेंटर में बास्केटबाल के तीसरे क्वार्टर के दौरान मिलवाकी बक्स के डेमियन लिलार्ड (बीच में) मियामी हीट सेंटर के खिलाड़ियों के खिलाफ गेंद को पकड़ने के लिए संघर्ष करते हुए।

कल्पमेधा

दरअसल, अच्छा समाज वह नहीं है, जिसके अधिकतर सदस्य अच्छे हैं। बल्कि वह है जो अपने बुरे सदस्यों को प्रेम के साथ अच्छा बनाने में सतत् प्रयत्नशील है।

– डब्लूएच आडेन

मतदान पर मंथन

मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग को जिन तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, वे गौर करने लायक हैं। ईवीएम को खारिज कर पुरानी प्रणाली की ओर लौटने की मांग उठी है और महाराष्ट्र चुनाव में कुछ घटनाओं का जिक्र कर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन झारखंड के नतीजों का तर्क सामने आते ही वे बेमानी हो गए। दरअसल, अब तक ऐसा अकाट्य प्रमाण सामने नहीं लाया जा सका है, जिससे कहा जा सके कि वर्तमान प्रणाली किसी अपूरणीय कमी से ग्रस्त है और बड़े बदलाव की जरूरत है। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने ईवीएम (इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से डाले गए मतों के सौ फीसद सत्यापन की मांग को ठुकरा दिया था। अदालत ने तब ही स्पष्ट कर दिया था कि मतपत्रों की ओर लौटना वास्तव में प्रतिगामी होगा और चुनाव प्रक्रिया में मतपत्रों से जुड़ी जो गड़बड़ियां खत्म की जा चुकी हैं, वे दोबारा सामने आ जाएंगी।

भारतीय लोकतंत्र इस बात का साक्षी रहा है कि हमेशा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ और विवेक के साथ किया है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में बार-बार देखा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए लोग अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए मतदान करते हैं, भले ही चुनाव एक साथ ही क्यों न हों। ऐसे में सवाल क्यों उठ रहे हैं। यहीं सरकारी संस्थानों की शुचिता की बात आ जाती है। अक्सर चुनाव आयोग पर सवाल उठे। विपक्ष की शिकायतों पर सुनवाई करने के नाम पर साफ दिखा कि प्रक्रिया का पालन तो किया गया, लेकिन मुद्दों को लेकर गंभीरता कम रही। विपक्ष को मौका मिला आयोग पर सवाल उठाने का, जिससे शक बढ़ा। मतदान के आंकड़ों में बार-बार बदलाव, मतदान के दिन कई शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने की खबरों से संदेह तो बढ़ा ही। इस बार महाराष्ट्र में ईवीएम के 90 फीसद चार्ज रहने का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह गया। दरअसल, चुनाव आयोग हर बार तकनीकी पक्ष को लेकर बयान दे देता है। आयोग का कहना है कि ईवीएम को विश्वसनीय बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं।

दावों-प्रतिदावों को छोड़ उचित यह होगा कि विपक्ष ईवीएम में हेरफेर के बारे में अपनी पुरानी बयानबाजी छोड़ दे और उन संभावित राजनीतिक कारणों पर विचार करे जो उसकी चुनावी हार का कारण बन रहे हैं। चुनाव सुधारों पर बात होनी चाहिए, जो सतत प्रक्रिया है। इसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को अपने मुद्दे तय करने, उनको लेकर जनता में जाने की जरूरत होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के बीच जाना मुख्य शर्त है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग मतपत्रों से चुनाव की बात मौजूदा वक्त में स्वीकार नहीं करेगा, यह जाहिर है। हालांकि दुनिया के कई देशों ने ईवीएम से किनारा कर लिया है। लेकिन भारत अभी बाकी दुनिया की राह पर नहीं चलना चाहता। समय और संसाधन की बचत जैसे तर्क ईवीएम के पक्ष में दिए जाते हैं। ऐसे में यह विचारणीय मुद्दा खड़ा हो जाता है कि समय और संसाधन बचाते हुए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े कुछ सवालों की अनदेखी तो नहीं कर रहे?

अनहोनी की आहट

जलवायु संकट के प्रतिकूल नतीजे दुनिया भर में दिखने लगे हैं। कहीं समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं फसलें सूखे की मार झेल रही हैं। हिमनदों के पिघलने और चक्रवाती हवाओं से मनुष्यों के सामने अस्तित्व का संकट गहराने लगा है। दुनियाभर में और खासकर भारत में जिस तरह मौसम का मिजाज बिगड़ा है, यह जलवायु संकट के गंभीर होने का संकेत है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय में हिमालयी क्षेत्र में हिमनदों और झीलों का क्षेत्रफल बढ़ना खतरे की घंटी है। क्या हम फिर केदारनाथ जैसी किसी त्रासदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा पहले से ही है। लिहाजा हिमनदों और झीलों के विस्तार को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इससे न केवल ब्रह्मपुत्र और गंगा जैसी नदियों में पानी की मात्रा पर असर पड़ेगा, बल्कि जैव विविधता के साथ जन-जीवन भी व्यापक रूप से प्रभावित होगा। केंद्रीय जल आयोग की रपट को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय हरित पंचाट का केंद्र सरकार को नोटिस सजग करने के लिए ही है। इससे समय रहते हिमनदों को संभालने और नदियों के प्रबंधन की दिशा में कार्य शुरू होगा। हालांकि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

केंद्रीय जल आयोग की रपट ने संभावित प्राकृतिक आपदा की तस्वीर सामने रखी है और इससे आंखें मूंदे नहीं रहा जा सकता। हिमनदों और झीलों के फटने से बाढ़ का अंदेशा तो है ही, और अगर ऐसा हुआ तो निचले इलाके में रहने वाले लाखों लोगों और जैव-विविधता के लिए यह भयावह होगा। भारत में जिन 67 झीलों की पहचान हुई है, उनके क्षेत्रफल में 40 फीसद की वृद्धि चिंता का विषय है। क्योंकि हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह विस्तार जोखिम बढ़ा सकता है। इन सभी परिस्थितियों के लिए कहीं न कहीं हम सभी दोषी हैं। हिमनदों का पिघलना कोई एक दिन में नहीं हुआ। कार्बन उत्सर्जन को रोक पाने में नाकामी तो है ही, वहीं जलवायु संकट पर उपेक्षा का भाव भी कम जिम्मेदार नहीं। ऐसे में पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाने के साथ आपदा प्रबंधन पर ठोस कार्य करने की भी जरूरत है।

मुकदमों का बोझ और न्याय की गति

जब इंसाफ समय पर न मिले, तो अनगिनत सवाल खड़े होते हैं। पीड़ित और अभियुक्त दोनों ही इस धीमी प्रक्रिया से त्रस्त हो जाते हैं और न्याय केवल एक प्रतीक्षा बन कर रह जाता है।

सोनम लववंशी

भारत की न्यायिक व्यवस्था में मुकदमों का लंबे समय तक चलना गंभीर समस्या है। वर्षों तक लंबित पड़े मामलों ने न्याय के वास्तविक अर्थ को धुंधला कर दिया है। न्याय में देरी अन्याय के समान ही होती है, लेकिन परिपाटी ऐसी बन गई है कि इंसाफ की उम्मीद में कई बार पीड़ित की पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। एक सभ्य समाज में न्यायिक व्यवस्था होना और उसका बेहतर तरीके से कार्यान्वित होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके बावजूद जब इंसाफ समय पर न मिले, तो अनगिनत सवाल खड़े होते हैं। पीड़ित और अभियुक्त दोनों ही इस धीमी प्रक्रिया से त्रस्त हो जाते हैं और न्याय केवल एक प्रतीक्षा बन कर रह जाता है। इसी बीच बीते दिनों अलीगढ़ से एक ऐसी खबर आई, जो न्याय की आस लगाए या न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा कर अपना समय, धन खर्च करने वालों को कहीं न कहीं एक संजीवनी देने का काम कर रही है। यह घटना हमें यह बताती है कि सब कुछ ठीक ढंग से किया जाए, तो समय पर न्याय मिल सकता है।

दरअसल, पिछले दिनों अलीगढ़ की पाक्सो अदालत ने उनतीस दिनों के भीतर एक मामले का निपटारा कर दिया। यह एक स्वागतयोग्य कदम है और यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को द्रुतगति देने की दिशा में एक संदेशवाहक बन सकता है। अलीगढ़ में किशोरी के साथ हुए बलात्कार के दोषी को बीस वर्ष की कैद और पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना न केवल पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाने का प्रमाण है, बल्कि उन तमाम मामलों के लिए भी एक नजीर है जो अनावश्यक देरी के कारण वर्षों तक लंबित रहते हैं।

यहां सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हर मामले को इसी तरह जल्द निपटाया जाए! क्या पुलिस और अभियोजन की तत्परता वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया को तेज कर सकती है? या यह महज एक अपवाद है, जिसे सामान्य नहीं माना जाना चाहिए? शायद यह मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इसका फैसला भारतीय न्याय प्रणाली की नई व्यवस्था लागू होने के बाद पहली बार आया है। ऐसे में यह त्वरित न्याय का प्रतीक है या फिर इसे महज एक संयोग मान कर दरकिनार कर दिया जाए? सच तो यह है कि हमारे देश में पुलिस, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया के बीच सामंजस्य की कमी न्याय में देरी की मुख्य वजह रही है। जिस प्रकार अलीगढ़ के इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों को तुरंत एकत्रित किया, अभियोजन ने मामले को गंभीरता से पेश किया और अदालत ने तत्परता से मामले की सुनवाई की, वैसा सभी मामलों में नहीं हो पाता। सामान्यतः पुलिस जांच के लिए समय नहीं निकालती है, अभियोजन तर्कों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता और अदालतों के सामने मुकदमों का अंबार लग जाता है। ऐसे में जल्दी निपटारा असंभव हो जाता है।

सवाल यह भी है कि क्या यह घटना वाकई मील का पत्थर है। क्या यह उदाहरण वास्तव में न्यायिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम है या फिर इसे सिर्फ एक अपवाद मान कर हम आगे बढ़ जाएंगे? अगर कानूनी संस्थाएं इस उदाहरण से कुछ सीखने का प्रयास करें, तो शायद हम मुकदमों के बोझ को कम कर सकते हैं। 'नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड' की रपट के अनुसार, भारत में इस समय लगभग पांच करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें से सत्तर फीसद से अधिक मामले निचली अदालतों में हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में भी लाखों मामले लंबित हैं। स्पष्ट है कि न्याय प्रणाली अपने ही बोझ तले दबी है। यह इस बात का भी सबूत है कि देश की कानून व्यवस्था अपने ही भार तले दबे जा रही है। क्या अदालतों में न्यायाधीशों की कमी इस समस्या की जड़ है? यह तो साफ है कि जब तक न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा नहीं जाता, तब तक मामलों का निपटारा तेजी से नहीं हो पाएगा। लिहाजा पुलिस और अभियोजन को उतनी ही तेजी से काम करना होगा। वरना, जैसा कि अकसर होता है, साक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं और अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं।

> **अगर वर्षों तक अपराधी बिना सजा के खुले घूमते हैं, तो समाज का कानून व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो जाता है। यह केवल एक अदालत का काम नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था का दायित्व है कि अपराधी को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। तभी कानून व्यवस्था का असली उद्देश्य पूरा हो सकता है। लंबित मुकदमों के बढ़ते भार का हल केवल अदालतों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। यह हर स्तर पर सुधार की मांग करता है। पुलिस को अपनी जांच में तेजी लानी होगी, अभियोजन को तर्कसंगत होना होगा और अदालतों को त्वरित निर्णय लेने होंगे। सिर्फ कानून बनाने से नहीं, उसे सही समय पर और सही ढंग से लागू करने से ही न्याय प्राप्त होगा।**

भारत में इंसाफ में देरी के कई प्रमुख कारण हैं। आज भी अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। विधि आयोग की रपट के अनुसार, भारत में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर केवल इक्कीस न्यायाधीश हैं। अमेरिका में यह संख्या एक सौ सात और ब्रिटेन में पचास है। इस कमी के कारण अदालतों पर भारी बोझ पड़ता है और मामलों को निपटाने में सालों लग जाते हैं। यहां तक कि पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्यशैली भी बहुत लचर है। कई बार देखा गया है कि अपराध की जांच में देरी, साक्ष्य इकट्ठा करने में लापरवाही और गवाहों की सुरक्षा का अभाव आदि के कारण पीड़ित पक्ष को समय से न्याय नहीं मिल पाता हैं। कई मामलों में देखा गया है कि गवाहों को भी कभी लालच देकर या फिर डरा-धमका कर अपने बयानों से पलटने के लिए मजबूर कर दिया जाता हैं।

भारतीय न्यायालय में डिजिटलीकरण की गति बहुत ही धीमी है। जबकि त्वरित न्याय के लिए डिजिटलीकरण एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही ई-फाइलिंग, आनलाइन सुनवाई और मामलों के प्राथमिकता-आधारित निपटारे जैसे उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा और 'मशीन लर्निंग' जैसी तकनीकों का उपयोग कर लंबित मामलों की पहचान और प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। सरकार को न्यायिक प्रणाली के लिए पर्याप्त बजट आवंटन, नई अदालतों की स्थापना और कानूनी ढांचे में सुधार जैसे कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं जनता में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। न्याय केवल कानून का पालन करने की प्रक्रिया नहीं है, यह समाज में विश्वास बहाल करने का माध्यम भी है।

अलीगढ़ मामले में जिस प्रकार अभियुक्त को त्वरित सजा दी गई, वह यह भी दर्शाता है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। अगर अपराधी वर्षों तक बिना सजा के खुले घूमते हैं, तो समाज का कानून व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो जाता है। यह केवल एक अदालत का काम नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था का दायित्व है कि अपराधी को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। तभी कानून व्यवस्था का असली उद्देश्य पूरा हो सकता है। लंबित मुकदमों के बढ़ते भार का हल केवल अदालतों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। यह हर स्तर पर सुधार की मांग करता है। पुलिस को अपनी जांच में तेजी लानी होगी, अभियोजन को तर्कसंगत होना होगा और अदालतों को त्वरित निर्णय लेने होंगे। सिर्फ कानून बनाने से नहीं, उसे सही समय पर और सही ढंग से लागू करने से ही न्याय प्राप्त होगा। न्याय के लिए सभी संबंधित पक्ष अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाएं, तो त्वरित न्याय असंभव नहीं है। एक घटना सिर्फ एक प्रेरणा हो सकती है, समाधान नहीं। समाधान तब होगा जब यह प्रक्रिया पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था में स्वाभाविक हो जाएगी, और तभी हम उम्मीद कर सकते है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द और वास्तविक न्याय मिल सकेगा।

सेहत की प्रकृति

अमिताभ स.

इंसानी शरीर छोटी-बड़ी बीमारियों को ठीक करने की समूची क्षमता से लैस है। वैज्ञानिक शोध भी जाहिर करते हैं कि शरीर की हर सूक्ष्म कोशिका में भी एक पूरा 'रैसाइक्लिंग कंपाउंड' या कहें पुनर्चक्रण यौगिक बना होता है। कोशिकाओं में मौजूद पचास से ज्यादा एंजाइम पेट में खाने को पचा कर न केवल पूरी तरह से खाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि नई कोशिका में तब्दील करने का हुनर भी जानते हैं। जानकार बताते हैं कि एंजाइम कोशिका भोजन पाचन सहित चयापचय के तमाम पहलुओं को उत्प्रेरित करती है। ये छह महीने पुराने गले-सड़े जहरीले होते अपचित खाद्य अंशों को भी खाने तक में सक्षम हैं। शरीर की वसा को भी खा या पिघला कर खत्म सकते हैं। इस हद तक कि नसों की रुकावटों को भी हटा कर खून का दौरा सुचारु कर सकते हैं। इनमें शरीर में मौजूद बुरे बैक्टीरिया, विषाणुओं, मृत, प्रोटीन बनाना बंद कर चुकी या फिर दोषपूर्ण प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाओं को पूरी तरह से बाहर निकाल फेंकने का दमखम भी है।

कुछ बिगड़ी कोशिकाएं बेकाबू व्यवहार करते-करते लाइलाज बीमारी का रूप अख्तियार कर लेती हैं। लाइलाज इसलिए क्योंकि चिकित्सा विज्ञान फिलहाल ऐसे रसायन नहीं बना सका है, जिनसे इनका शत-प्रतिशत इलाज हो सके। हालांकि शरीर में समूची समझ और क्षमता है कि खुद-ब-खुद किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। सवाल उठता है कि शरीर में मौजूद तत्व बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं! इन्हें रोक कौन देता है? वास्तव में इंसान खुद ही रोक रहा है। तोक्यो इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के नोबेल विजेता वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी की 2016 के शोध का निष्कर्ष है कि 'आटो फजी' नामक वैज्ञानिक प्रणाली के जरिए इंसानी शरीर की कोशिकाएं खुद को खाने लगें, ऐसी व्यवस्था में पहुंचना अत्यंत फायदेमंद है। 'आटो फजी' ग्रीक शब्द है। आटो यानी खुद-ब-खुद और 'फजी' मायने खाया जाए। इस मरम्मत या रखरखाव की प्रणाली को कैसे सुचारु रखा जाए? इस सवाल का हैरान करने वाला जवाब है- खाने का नागा करके! लेकिन बचपन से ही बताया गया है कि भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है। जैसे वाहन को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को भोजन के तौर पर ऊर्जा चाहिए।

दरअसल, खाना खाते ही 'आटो फजी' चालू नहीं होता, क्योंकि विभिन्न खाद्य पदार्थों को पचाने में अलग-अलग वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर, फल खाने के आधे से डेढ़ घंटे में पचते हैं। कच्ची सब्जियों को पचाने में दो से तीन घंटे लगते हैं। सब्जियों को पका कर खाएं, तो पाचन अवधि बढ़ कर तीन से पांच घंटे हो जाती है। चावल और गेहूं की रोटी खाने से पचने के बीच छह से आठ घंटे लग जाते हैं। जबकि पकाए हुए गोश्त को पचाने में चौबीस घंटे भी कम पड़ते हैं। अगर सुबह नौ बजे ऐसा कुछ खाया है, जिसे पचाने में आठ घंटे लगते हैं और फिर एक बजे दोपहर का भोजन कर लिया, यानी अभी तो पिछली पाचन प्रक्रिया जारी है, तो और खा लिया। फिर शाम चाय पी, रात फिर नौ बजे खाना। खाने की जल्दबाजी के चलते पाचन पूरा न होने की वजह से पुरानी कोशिकाओं के बदले नई कोशिकाएं बनने की गति नहीं बन पाती, जितनी जरूरत है। नतीजतन सुस्ती घेरे रहती है, त्वचा चमकहीन हो जाती है, मधुमेह या दिल की तकलीफ उभरने लगती है।

आखिर कैसे 'आटो फजी' यानी कोशिकाओं के रखरखाव की प्रक्रिया शुरू हो? उपवास रखना सबसे बेहतर तरीका है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी धर्म-आस्था से उपवास जोड़ दिए हैं। जबकि वास्तविकता है कि व्रत की जरूरत भगवान से कहीं ज्यादा इंसान की सेहत को है। इसलिए हफ्ते में एक बार चौबीस घंटे के खाने-पीने के नागे के उपवास से शुरुआत की जा सकती है। मुश्किल लगे, तो पानी, नीबू पानी या फलों का जूस पीकर एक दिन रहा जा सकता है। शरीर थका-थका लगे या सिर दर्द होने लगे, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। खुद को बीमार मत मान लेना चाहिए। ऐसे मामूली दुष्परिणाम उपवास रखने की वजह से ही होते हैं। झेल नहीं पा रहे, तो फल खा लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार उपवास नहीं रख पा रहे, तो पखवाड़े या महीने या फिर तिमाही में ही एक बार रख लेना चाहिए।

दूसरा तरीका है कि समयबद्ध तौर-तरीके से खाया-पिया जाए। रात सात या नौ बजे खाना खा लिया जाए, तो अगले दिन सुबह सात या नौ बजे ही नाश्ता करना चाहिए। इस तरीके से कोशिकाओं की मरम्मत और रखरखाव का काम अपने आप चालू हो जाएगा। धीरे-धीरे खाने के अंतराल के घंटों को बढ़ाते जाया जा सकता है। कहते हैं कि भोजन रात सूर्यास्त से पहले और सुबह सूर्योदय के बाद करना चाहिए। बीमारी को भी तो डाक्टर कम और हल्का-फुल्का खाने की सलाह देते हैं। दवा के साथ कम खाना भी शरीर को चंगा करने में अहम रोल निभाता है। बीमार होते ही पहले भूख मर जाती है, ताकि कम खाया जाए, जिससे शरीर 'आटो फजी' की राह पर चल पड़े, सही होने की रफ्तार बढ़ने लगे। खाली पेट रहने से शरीर ही खुद को ठीक करने की मशीन बन जाता है, लेकिन खयाल रहे कि दस दिनों तक लगातार कतई भूखे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ज्यादा दिन भूखे रहे, तो कोशिकाएं बुरे प्रोटीनों को खत्म करने के बाद शरीर को ही खाने लग जा सकती हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **चिकित्सा विज्ञान फिलहाल ऐसे रसायन नहीं बना सका है, जिनसे इनका शत-प्रतिशत इलाज हो सके। हालांकि शरीर में समूची समझ और क्षमता है कि खुद-ब-खुद किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। सवाल उठता है कि शरीर में मौजूद तत्व बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं!**

जागरूकता की जरूरत

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग लगभग हर व्यक्ति करता है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों के खतरे का भी सामना कर रहा है। खासतौर पर महिलाओं के लिए यह ज्यादा जोखिम भरा है। इसलिए इस मामले में सबका जागरूक होना आवश्यक है। साइबर अपराध में उत्पीड़न, पहचान की चोरी, 'साइबर स्टाकिंग' और आनलाइन धोखाधड़ी आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारत में बढ़ते साइबर अपराध का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल के शुरुआती चार महीनों में पीड़ितों की बेशुमार शिकायतें दर्ज की गई हैं और अंदाजन उन शिकायतों में 1750 करोड़ रुपए की ठगी होने की बात सामने आई है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा साइबर अपराध को काबू करने के लिए कुछ नए नियमों को भी लागू किया गया है, जिसमें समय अवधि को आधार बनाया गया है। किसी भी साइबर अपराध के छह घंटे में सूचना के बाद 24 घंटे के भीतर संबंधित नेटवर्क कंपनी को उसकी भौगोलिक जानकारी का डेटा सरकार को सौंपना होगा। इसके अलावा मोबाइल फोन निर्माता कंपनी द्वारा आइएमईआइ नंबर को भारत सरकार के पास पंजीकृत करना होगा।

– आकाश कुमार, मेरठ

घोषणाओं का बोझ

'नौजवानों का संदेश' (संपादकीय, 25 नवंबर) यह स्पष्ट दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाताओं ने सत्ता के पक्ष में मतदान किया, किंतु आबादी की करीब पचास फीसद महिलाएं यदि सत्ता का साथ नहीं देतीं, तो जनाधार खिसकता और सरकार के खिलाफ दल से बीस फीसद मतदान हो जाता। ऐसे में महायुति और झामुमो की प्रचंड जीत पर सवालिया निशान लगता। उल्लेखनीय है कि दोनों सरकारों के साथ अन्य दलों की सरकारों ने भी मतदान पूर्व महिलाओं को मासिक राशि देने की घोषणा के साथ खातों में बकाया राशि भी जमा कर दी। वस्तुतः यह ऐसा दांव था कि महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। दूसरे राज्यों में भी पहले ऐसा हुआ है। चुनावी नारों का समर्थन और विरोध विशेष मायने नहीं रखता और इनसे जनाधार प्रभावित नहीं हुआ। इस तरह यदि सत्ता में बने रहने के लिए घोषणाएं होती रहीं, तो ऐसे सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति डगमगाने का अंदेशा है।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

जिंदगी अनमोल

हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन लेने का हक भी हमें नहीं है। यहां तक कि अपनी जान लेने का हक भी हमें नहीं। लोगों द्वारा आत्महत्या की खबरें अक्सर प्रकाश में आती हैं। इस तरह से लोगों के जान गंवाने के कई कारण हैं। अवसाद, बेरोजगारी, कर्ज और घरेलू कलह के कारण प्रायः आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। ये सब कारण मानव निर्मित ही हैं। सही बात तो यह है मनुष्य जीने के लिए संघर्ष ही नहीं करना चाहता। हर जगह सहजता चाहता है। जबकि सभी मनुष्यों के सामने प्रतिकूल स्थितियां आती हैं। जो उससे जूझते हैं, वे ही अपने जीवन में सफल होते हैं। पल-पल अवसाद में रहने वाले, स्थितियों का सामना न करने वाले और हर चीज को शार्टकट से देखने वाले इसी तरह जीवन में नाकाम होते हैं और फिर अनमोल जीवन गंवा बैठते हैं। जबकि हमें जीवन को सफल बनाना चाहिए। जीवन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने वाले भरपूर जीते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए।

– दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

महिला शक्ति

दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में, तमाम प्रगति के बावजूद आज भी यह देश लिंगभेद की मानसिकता से नहीं उबर सका है। भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन सहित कई परमाणु संपन्न देशों ने महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार किया है। लगता है कि अमेरिका आज भी इसके लिए तैयार नहीं हो सका है। आठ वर्ष पूर्व हिलेरी क्लिंटन और इस वर्ष कमला हैरिस जीत की प्रबल दावेदार होने पर भी राष्ट्रपति चुनाव में सफल नहीं हो सकीं। हो सकता है कि कमला के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं की नजर में अधिक उपयुक्त रहे हों। कहने को लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिंगभेद की कोई जगह नहीं है। फिर भी अमेरिका इस तथ्य को प्रमाणित करने में विफल रहा है। जबकि महिलाओं में प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता की कोई कमी नहीं है। ब्रिटेन और भारत के शीर्ष महिला नेतृत्व ने इस तथ्य को अपनी दुर्लभ उपलब्धियों से साबित भी किया है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com